

प्रकाशक  
दिल्ली पुस्तक सदन,  
१२६ कमला मार्केट, नई दिल्ली ।

प्रथम संस्करण अक्टूबर १९५६  
पुनर्मुद्रण : नवम्बर १९५७  
मूल्य : दो रुपया पचास नये पैसे

मुद्रक  
शर्मा इलेक्ट्रिक प्रेस,  
३८५३ दरियागाँव, दिल्ली ।

## दो शब्द

स्वाधीनता प्राप्ति के उपरान्त भारत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक क्षेत्र में क्रान्ति के पथ पर अग्रसर हुआ है। नई योजनाएँ बन रही हैं, नये प्रयोग हो रहे हैं और समस्याओं पर नवीन दृष्टि में ध्यान दिया जा रहा है। भारत जैसे जनतंत्रात्मक देश के लिए समुचित शिक्षा व्यवस्था के सम्यन्ध में भी अनेक समस्याएँ समुपस्थित हो रही हैं और उन पर सरकार के अतिरिक्त अनेक शिक्षा विशारद मंच विचार करने रहे हैं। शिक्षा की असीम महत्ता और इसकी वर्तमान आवश्यकताओं को समझते हुए उन समस्याओं पर विचार-निवमर्श करना प्रत्येक अध्यापक का धर्म है।

एक अध्यापक के नाते शिक्षा सम्यन्धी बुद्ध महत्त्वपूर्ण समस्याओं पर जब कभी मुझे सोचने-विचारने का अवसर मिला है, मैंने निजी कर्तव्य के किंचित पालन करने के निमित्त, अपने विचारों को लेखबद्ध करके सामयिक पत्रिकाओं में प्रकाशित करके शिक्षा जगत की सेवा करने का प्रयास किया है। यह प्रयत्न सफल होने हुए देख कर, मेरे कई एक सुहृद्यों ने इन सभी लेखों को संग्रह करके एक पुस्तकीय रूप देने का अनुरोध किया। इनके इस सुन्नाय को मैंने मर्दप न्यीकार किया, और पाठकों के हित के लिए अपने विचारों को प्रस्तुत पुस्तक के रूप में समुपस्थित करने का प्रयत्न किया। यदि पाठकगण एवं अध्यापक मेरी इस पुस्तक से किंचित भी संतुष्ट हुए तो मैं अपने आनको शृतहृन्व्य समझूँगा।

मैं उन सभी सम्पादकों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट किए बिना नहीं रह सकता जिन्होंने अपनी पत्रिकाओं में मेरे छोटे छुए लेखों को प्रस्तुत पुस्तक द्वारा पृथक रीति से छापने की आशा दी है।

इस पुस्तक के प्रकाशक के उपरान्त मैं पाठक वृन्द से पुस्तक के सम्बन्ध में नये परामर्श और विचारों की आशा रखता हूँ।

अन्त में मैं इस पुस्तक के प्रकाशक का आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने मेरे विचारों को एक सुन्दर पुस्तकीय रूप देकर मेरी कामना को कार्य रूप में परिवर्तित किया है।

—लेखक

## विषय-सूची

विषय	पृष्ठ
१. वर्तमान भारत में बच्चों की शिक्षा	१
२. नर्मरो मूूलों की आवश्यकता	१६
३. शिक्षा में मार्ग निर्देशन	२१
४. बाल-निर्देशन एवं बाल सुरक्षा	३४
५. माध्यमिक शिक्षा में सुधार	४२
६. शिक्षा की उन्नति में शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान	५४
७. माध्यमिक शालाओं के अध्यापक	६२
८. एक अध्यापक द्वारा मंचालिक स्कूल	७०
९. शिक्षा की विषय सामग्री	७६
१०. पाठ्य-पुस्तकें	८३
११. सफल-परीक्षा	८८
१२. भारत में बुद्धि परीक्षण की आवश्यकता	९३
१३. शिक्षा व मनोविनोद	१०४
१४. शिक्षानियों में सामाजिक जीवन की शिक्षा	११०
१५. शिक्षा में रेडियो का स्थान	११६
१६. शान्ति स्थापना के लिए शिक्षा का रूप	१२४
१७. शिक्षा क्षेत्र में रोज व अनुभवान और शिक्षक	१२८



## वर्तमान भारत में बच्चों की शिक्षा

पिछले दो सौ वर्षों से भारत में एक सूख क्रांति हो रही है। कुछ उन प्राचीन आघातों के नष्ट हो जाने से (जिनका दबाव उनके अनुमोदन का कारण था)। उनके पुराने महत्व का भी अन्त हो गया है। यह परिवर्तन किसी एक जाति अथवा जीवन के बँचल एक रूप तक ही सीमित नहीं है। मनुष्य के प्राकृतिक शक्तियों पर बढ़ते हुए अधिकांश ने इस परिवर्तन के अन्त को और भी तीव्र गति दी है। किन्तु आश्चर्य है कि इन परिवर्तनों के होने पर भी आज भारत में करोड़ों ग्रामीण निरक्षर, अशिक्षित और अन्धविश्वासी हैं। उनकी इन परिवर्तन-शीलता में एक पुराने शक्ति रखने वाला अंग है। इस प्रकार एक और ऐसा जनसमूह है जिसमें समझने और समझने की शक्ति तो नहीं है किन्तु जन्मभूमि से प्राप्त अपार धार्मिक शक्ति अवश्य है। इसी और यह शिक्षित समाज है जो उत्तम उदाहरण और अग्रणी है।

शिक्षा सम्बन्धी प्रयोग इस परिवर्तन-क्रिया के अन्त एक भाग रहे हैं और वर्तमान भारत में 'बच्चों की शिक्षा' इस शिक्षा सम्बन्धी प्रयोग के कार्यक्रम का एक अंग है।

'बच्चों की शिक्षा' की प्रस्तावित योजना में २ से ६ वर्षों तक के बच्चों के लिए ऐसा वातावरण प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है जहाँ वह शारीरिक सुरक्षा और महायत्ना प्राप्त कर सकें जिससे उनका अक्षय्य मुक्त हो सके अग्रिम शिक्षा की भित्ति का निर्माण हो। बच्चों को शिक्षा देने के लिए पर्याप्त समय और धन व्यय करने की आवश्यकता होती है किन्तु यदि साधारण ग्रामीण की स्वयं इस विषय पर विचार

करने के लिए छोड़ दिया जाए तो वह हमका कोई कारण नहीं खोज सक्ता ।

हमारे देश के गाँवों व कस्बों में अधिकतर भूखे रहने वाले तथा निम्न सामाजिक व आर्थिक परिस्थिति में जन्म लेने वाले बच्चों के लिए नर्सरी स्कूलों के रखण की अत्यन्त आवश्यकता है क्योंकि उनके माता-पिता दोनों को ही काम पर जाना होता है । ऐसी परिस्थिति में वह अपने छोटे बच्चों की देख-भाल उनके घड़े भाई बहिनों पर छोड़ जाते हैं । इन भाई बहिनो में इनकी योग्यता ही नहीं होनी कि वह उचित रीति में यह कार्य कर सकें और न ही उन्हें नोरोग रहने के नियमों का ज्ञान होता है । जंगल भी खाने को मिल जाता है उन्हें दे दिया जाता है । हमारे उनका नारीरिक विकास नहीं हो पाता । आ. २ से ६ वर्ष तक के करोड़ों बच्चे उपेक्षित रहते हैं । यह उपेक्षा ही बच्चों की बहुसंख्य मृत्यु का कारण है । इन बच्चों के बचाव व इनमें स्थिति की भावना जागृत करने के लिए तो बचपन में शिक्षा देना आवश्यक है ही पर इसमें भी अधिक आवश्यकता उनकी नारीरिक सुरक्षा की है ।

शिक्षा के सम्बन्ध में अपना यष्टय्य देने समय मद्रास के डा० एन० कृष्णराव ने इसे स्पष्ट रूप में प्रकट किया है :—

बड़े-बड़े राष्ट्रों में खेतने के मंदान व धन्य मुनिघाएँ न होने के कारण नर्सरी स्कूलों की अधिक आवश्यकता है । मद्रास नर्सरी स्कूल योजना का उद्देश्य उन स्कूलों की गहायता करना है जो मुल मुक्त हैं और उन लोगों को महयोग देना है और स्कूल सौजना चाहते हैं ।

२ से ६ वर्ष तक के बच्चों में खेलना अधिक होनी है । वह अपने काम-काज रहने वाले मनुष्यों तथा शारीर और के संगार के प्रति अपनी भावना बनाता है । इस समय उन्हें अनुभवो माता-पिता और अध्यापक के मध्ये पद-प्रदर्शन की आवश्यकता होनी है जिसमें उन्हें बचपन का आनन्द-मय और नित्यन्त जीवन विजाने तथा अक्षरी प्रवृत्तियों को बनाने में

सहायता मिले। अतः यह आवश्यक है कि गाँवों में हमारी निःशुल्क-प्रारम्भिक स्कूठ बनाने की योजना में इस वय के बच्चों के लिए नर्सरी व किंडरगार्डेन स्कूल खोलने की ओर भी ध्यान दिया जाये।

इनमे अच्छी आर्थिक व सामाजिक परिस्थिति वाले समाज में एक तो यह परिवार है जहाँ माता-पिता दोनों काम पर जाते हैं और बच्चों को या तो अनिश्चित नौकरों की देख-भाल पर छोड़ जाते हैं या उन दयावान पड़ोसियों के मरक्षण में छोड़ते हैं जिन्हें उन पर ध्यान देने का अनकाश ही नहीं होता। दूसरे ऐसे परिवार हैं जहाँ माताएँ काम पर नहीं जाती अतः यह बच्चों की स्वयं देख-भाल करती है ऐसी परिस्थिति में बच्चों को नर्सरी स्कूल में भेजना आवश्यक प्रतीत नहीं होता। फिर भी यदि बच्चा खेलना हो तो उसे अपनी अवस्था के बच्चों के साथ सामूहिक अनुभव प्राप्त करने के लिए नर्सरी स्कूल में भेजना आवश्यक हो जाना है। बच्चे यह अनुभव करना चाहते हैं कि किमी समूह में उनका भी स्थान है और यह किनी 'समूह का सदस्य' होने की भावना नर्सरी स्कूल में ही प्राप्त होनी है। वहाँ उन्हें गिलोनों तथा अन्य वस्तुओं को परस्पर वितरण करने का अवसर मिलता है। इस प्रकार और बच्चों के साथ रह कर तथा अपनी बारी पर काम करके वह मानव के परस्पर सम्बन्ध का विकास करने में सहयोग देते हैं।

अपनी शिक्षा योजना को प्रारम्भ से ही प्रभावशाली बनाने के लिए भारत के प्रत्येक गाँव व छोटे-छोटे शहरों में नर्सरी स्कूलों की स्थापना करना अत्यन्त आवश्यक प्रतीत होता है। राष्ट्र के निर्माण का केवल एक ही माध्यम है कि वहाँ के छोटे-छोटे बच्चों को ही शिक्षा देना आरम्भ किया जाये क्योंकि यही उनका निर्माण काल होता है। बच्चों को कमी भी शिक्षा मिले यह नर्सरी स्कूल की शिक्षा सर्वथ उनके साथ रहती है। उनका शिक्षात्मक जाना, अन्य बच्चों के साथ खेलना, समाचार मासूम करना, अपने नियम व स्वभाव बनाना सभी नर्सरी स्कूल में प्राप्त शिक्षा पर आधारित रहते हैं।



'बच्चों की शिक्षा' के जिम्मे रूप का मैंने यहाँ न किया है उसे प्रोत्साहित करने वाला वातावरण कहना अनुपयुक्त न होगा क्योंकि बच्चों को-गित्ताने के लिए इस योजना में पर्याप्त सामग्री और योग्य शिक्षकों की व्यवस्था है। इस प्रकार के स्कूल उन बच्चों के लिए तो विशेष रूप से उपयोगी है जिनकी प्रमुख अनुविधाएँ सामाजिक होती हैं, जैसे:—इकलौते, पिछड़े हुए, दूरस्थ, पड़ोसियों में दुपक रहने वाले और निम्न सामाजिक व धार्मिक स्थिति के परिवारों में जन्म लेने वाले बच्चे जहाँ माता-पिता उन पर पूरा आवश्यक ध्यान नहीं दे सकते। इनके अनिश्चित कुछ बच्चे साथी न होने के कारण और कुछ जीवन की कठिनता के कारण सगार में; साधारण स्थिति न बना सकने वाले परिवार के सदस्य होने के कारण समाज से अलग रह जाते हैं। इन बच्चों के लिए नमंरी स्कूल ऐसा वातावरण प्रस्तुत करते हैं जहाँ यह धारणा भाग में सारत है, दूरी पर धरनी भावना प्रकट कर सकते हैं तथा सामूहिक कार्य में सगे रह सकते हैं।

छोटे-छोटे बच्चों में माप-माप सेटने, बोलने, कल्पना करने और काम करने में परस्पर प्रेम की भावना बढ़ती है। यह स्नेह को अनुचित रखने का सबसे आवश्यक मापन है।

नमंरी स्कूल बच्चों की धारणी ही व्यवस्था के बच्चों में मित्रता स्थापित करने का ध्येय देते हैं। बच्चे को धारने धारात्मिक रूप में स्थान का पक्ष एक उपाय है। उसे प्रभावशाली प्रोड सगार के विरुद्ध गठायना मित्रता है क्योंकि जगते तो बड़ निर्मा प्रचार भी समानता नहीं कर सकता। बड़ करने धारणी धरनी सामूहिक परिस्थिति का स्वाधी अनुभव कर सकते हैं—धरनी उनकी गति व ऊँचाई के योग्य सामान प्रस्तुत रहता है। नमंरी स्कूल में ऐसे प्रोड अनुप्य होते हैं जो बच्चों की धारात्मिक इच्छाओं और रक्ष को समझने के कारण उभरे महानुभूति रगते हैं। शिक्षक की गठायना धारर तथा धारने में उनकी धर्मरक्ष देस कर बच्चे निर्भय हो सकते हैं। इन्हीं कारणों में भारत के विभिन्न गाँवों व

शहरों में छोटे बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नर्सरी स्कूलों की स्थापना करना अत्यन्त आवश्यक है।

आज बल्क तो नर्सरी-स्कूल-शिक्षा अधिकांश में माता-पिता की इच्छा पर ही निर्भर है। नर्सरी स्कूल अथवा बसार्चों का प्रारम्भिक तथा माध्यमिक शिक्षालयों में सम्मिलित बना देने का उत्तरदायित्व स्थानीय और केन्द्रीय सरकार को अपने ऊपर ले लेना चाहिए। यही नहीं कि नर्सरी स्कूल इन छोटे बच्चों के लिए ही उपयोगी हैं जो अन्य शिक्षालयों में नहीं जा सकने वाले माता-पिता को बच्चों की देख-भाल करने की शिक्षा देने के भी केन्द्र हैं। अतः नर्सरी स्कूलों के साथ ही माता-पिता को सम्मति देने वाले केन्द्र भी बन जाने चाहिए जहाँ एक छोटा पुस्तकालय क्या एक पढ़ने का कमरा भी हो। नर्सरी स्कूल योजना बच्चों को इन्हीं व्यवस्थाओं के साथ प्रोग्राम देने में प्रस्तुत है।

भारत के अनेक मनुष्य नर्सरी स्कूलों पर धन व्यय करने में बुद्धिमत्ता नहीं समझते क्योंकि अभी तक तो प्रारम्भिक शिक्षा ही यहाँ की जनता के केवल एक छोटे भाग को ही मिल पाती है। प्रारम्भिक शिक्षा योजना के साथ ही साथ नर्सरी-स्कूल शिक्षा भी चलनी चाहिए। धन का, अनुभव की शिक्षा का, स्थान का तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं का अभाव हमारी शिक्षा के उत्थान में बाधक है। शिक्षा की सम्पूर्ण योजना में नर्सरी स्कूलों को उमका एक महत्वपूर्ण और और आवश्यक अंग समझना चाहिए।

मुद-बाध, मुद के पदवत् की आवश्यकता और धनी आबादी के कारण बच्चों के लिए मुद ऐसी बातों की आवश्यकता है जिन पर सदैव जोर नहीं डाला जाता। जैसे 'आदर्श जीवन' का विषय जिसमें उन्हें यह सोचने का अवसर मिले कि ऐसी परिस्थिति के पश्चान् क्या होता है। भिन्न-भिन्न स्थानों, मनुष्यों, और दिनचर्या में किसी प्रकार की अनुविधा अनुभव न हो और इन्हीं वह आधार बना सकें। फिर ऐसी मामलों के क्रियाएँ हो जो उनकी बड़ती हुई आवश्यकता और अवस्था के अनुकूल हों

इसके प्रतिरिक्त जीवन व्यतीत करने की ऐसी योजना हो जो उनके खेल, विश्राम, भोजन और विचार में सामंजस्य रखती हो।

छोटे बच्चों की देखभाल करने वालों को सदैव यह स्मरण रखना चाहिये कि सभी बच्चे एक में नहीं होते बल्कि उनमें विभिन्नताएँ भी होती हैं। यह व्यक्तिगत विभिन्नता ही तो बच्चों की देखभाल की इतना मनोरंजक और कठिन बना देती है।

विश्राम की दृष्टि में बच्चे अपने धनुभवों और त्योहारों में बड़ते हैं, व्यस्तता में नहीं। जिन बच्चों को छात्रागारी बनाया जाता है उन्हें अपनी प्रस्ताव करने की शक्ति गोकर इसका मूल्य चुकाना होता है। "उत्प्रति-शील शिक्षा" की भित्ति यह है जहाँ बच्चे अपना प्रत्येक पग, यदि वह उनकी स्वाभाविक विकास शक्ति से सम्बद्ध है तो, पहले से अधिक मुशिया में उठा सके हैं।

बच्चों की शिक्षा में एक प्रकार की ऐसी स्थिति प्रस्तुत करना अभीष्ट है जिनमें शिक्षा देने के मापन वास्तविक विकास के अधिक समानान्तर हो सकें। बच्चा अपने जीवन में जिन सीमा तक पहुँचना है वह उसकी जीवन-शक्ति की सम्भने की योग्यता पर निर्भर है। सबसे पहले तो जीवन-शक्ति केवल माने और नष्टाने के समय तक ही सीमित रहती है किन्तु धीरे-धीरे जैसे ही क्रमानुसार उसकी देखने, हँसने, सोचने, अपने हाथों की काम में लाने की शक्तियाँ प्रकट होती जाती हैं उसे जागृत रहने का उद्देश्य भी साम्य हो जाता है। नींद का मुख्य केवल धनुभवों की मनननाट के बीच नहीं स्फूर्ति देना मान रह जाता है। एक बच्चा अपनी संवाहन शक्ति, प्रगल्भा की प्रकृत माँग, सम्पत्तों के प्रति-विद्रोह, जीवन का निश्चलन हासिक आनन्द आदि की जिज्ञासा ही कुल रचना और रचना में करना सीगता जाता है उसका ही वह उसकी स्मृति में दूर हो जाते हैं। बच्चा जंग-जंग बसा हो जाता है जैसे ही वह इन शक्तियों से दूर रहने का प्रयत्न करता जाता है साथ ही परिवर्तन का प्रभाव भी बढ़ता जाता है।

ममार के ममस्त मनुष्य अपने बच्चों की संचालक शक्ति से डरते हैं छोटे मानव की प्रबल प्राकृतिक शक्ति को मानना तो दूर वह उसके स्वाभाविक विकास को रोक देते हैं और बच्चे को उस लचीली मिट्टी के समान समझते हैं जिसे चाहे जैसा भी रूप दे सकते हैं। पुराना विचार था कि बच्चे स्वयं भागे बड़ना नहीं चाहते और यदि पीछे में बडे उनका पथ-प्रदर्शन न करें अथवा उन्हें उनकी शक्ति को प्रयोग में लाने के लिए बाध्य न करें तो वह जीवन के किसी छोर तक नहीं पहुँच सकते। यदि हम बच्चों के उन कठिन कार्यों की धोर; जिन्हें बच्चा स्वयं करता है, ध्यान देना छोड़ दें तो यह स्पष्ट हो जायगा कि बड़ों की प्रसन्न करने के प्रतिरिक्त इस विचार का कोई अस्तित्व नहीं है।

बच्चे में व्यक्तित्व की रक्षा की आवश्यकता बड़ी गहरी जमी हुई है। पूर्व-प्रारम्भिक शिक्षा की प्रत्येक अवस्था में बच्चे की स्वाभाविक शक्तियों को सुरक्षित रखने का ध्यान रक्ता गया है। विनास की भावना के माय-माय बनने वाली कोमलता बच्चे के जीवन में उपयोगी सिद्ध होती है। विनिष्ट मिट्टि की प्राप्ति के लिये यह सुरक्षित कपाट का कार्य करती है। विनाशोन्मुख प्रवृत्तियों और लौकिक माँगों के बीच बहुत बड़ा अन्तर है। बच्चे की अपनी परिवर्धन-शक्ति और धर्मनाहताओं के बीच सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है।

बच्चे के पालन-पोषण में आधुनिक माता-पिता को इनकी कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि यदि उनके पूर्वज उन्हें देख पाते तो आश्चर्य चकित हो पबरा उठते। उदाहरणार्थ, यदि एक शिक्षित माता-पिता अपने बच्चे का सम्बन्ध उनके साथियों से तोड़ना चाहें तो यह कहने के प्रतिरिक्त कि "तुम इस प्रकार के बच्चे से न खेतो" उन्हें अपना रेडियो सर्राब धरना पड़ेगा, अपने टेलीफोन के सम्बन्ध को तोड़ना पड़ेगा, समाचार पत्र या पत्रिकाओं का मून्य भेजना बन्द करना पड़ेगा। यही तथ कि अपने द्वार पर से सब प्रकार का ध्याहार रोचना होगा।

व्यवहार के बनने और बढ़ने में दो चीजों का गहरा प्रभाव पड़ता है—शिक्षा का तथा विकास का। शिक्षा—व्यवहार के परिवर्तन को बढ़ा सकती है जो पुराने अनुभव से होता है। विकास—प्राथमिक और शारीरिक परिवर्तन है जो ज्यों-ज्यों मनुष्य बढ़ता जाता है उसके शारीरिक अंगों में होता जाता है।

२ से ६ वर्ष की अवस्था के बच्चे काकार में बढ़ते जाते हैं। उन की शक्ति में भी एक प्रकार की वृद्धि होने से परिवर्तन हो जाता है। मान-योगिता अधिक पुष्ट हो जाती है, प्रतिभियाँ और भी शीघ्रता से होने लगती हैं, मन को एकाग्र करने और कठिन तथा विपरीत काम में लगाने की क्षमता बढ़ जाती है। पूर्व-प्रारम्भिक शिक्षा में इन बातों पर ध्यान रखना चाहिये।

बच्चों के विकास अनुक्रमणिका पर लिखी पुस्तक में *Jerrild* ने इस सिद्धान्त को स्पष्ट किया है :—

“मानव विकास जितनी शीघ्र गति से परिवर्तन होगा उतना ही परिणाम पर प्रभाव डालने का अवसर मिलेगा।”

यह प्रस्तावना जिस सीमा तक सत्य है, उतना ही बच्चों के प्रारम्भिक जीवन में सम्बन्धित शिक्षा का महत्व बढ़ जाता है। जब पूर्व-स्कूल-शिक्षा को बच्चों की बढ़ती हुई क्षमता को उपयोग में लाने के लिये उसकी नैसर्गिक शक्तियों को विकसित का महत्वपूर्ण अंग समझ कर उचित स्थान देना चाहिए, तो शिक्षा का भी यह उत्तरदायित्व है कि जैसे-जैसे बच्चा बढ़ता जाये वह ऐसे भावों की खोज करे जिनमें उनकी नैसर्गिक शक्तियाँ स्वयं प्रकट हो सकें। बच्चा यदि अपनी शक्ति को अनुसार प्रत्येक काम को करने की इच्छा करना सीख जाता है तो यह उसकी शक्तियों के लिये स्थायी चुनौती होती है।

पूर्व ज्ञान से ही अनुमान लगाया जा सकता है कि हमारी प्राणायाम शिक्षा वर्तमान शिक्षा से कितनी आगे पहुँच सकती है। शिक्षा के कुछ

धर्म्यासों में अवश्य भविष्य का संकेत है । बच्चों की वह शिक्षा जो केवल वर्तमान संकेतों पर ही आधारित होगी अवश्य विकास के उपकरणों से दूर हो जायगी तथा बच्चों का उपकार करेगी । अतः उन प्रस्तावों को महत्व देना बुद्धिमत्ता होगी जिनमें उन क्रियाओं को स्थान मिलता है जो न केवल वर्तमान विकास के लिए ही उपयुक्त हों बल्कि भविष्य में भी उपयोगी सिद्ध हों । आज के लिए महत्वपूर्ण और भविष्य के लिये उपयोगी माँगों में परस्पर विरोध नहीं होना चाहिये क्योंकि यह एक-दूसरे को पूर्ण करती हैं ।

बच्चे का विकास इन सबकी एक साथ वृद्धि करने या प्रारम्भिक प्रवृत्तियों को सुधारने अथवा नवीन विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियों को धरानाने से ही नहीं होना बल्कि उन बातों को भी दूर करना चाहिये जो प्रारम्भिक दिनों के लिये तो उपयुक्त थीं किन्तु अब व्यर्थ हैं ।

बच्चों की शिक्षा में शारीरिक और मनोवैज्ञानिक महत्त्वता को अवश्य स्मरण रखना चाहिए । बच्चा प्यार का भूखा होता है । वह अनुभव करना चाहता है कि उसका भी वही स्थान है । बच्चे की दूरियों में प्यार पाने की इच्छा अनेक प्रकार में प्रकट होती है और जितना ही वह बड़ा होता जाता है उतनी ही इस इच्छा की प्रवणता कम होती जाती है । बच्चे की देखभाल में शिक्षालयों का अत्यधिक उत्तरदायित्व है । शिक्षालय या संस्थान है कि न तो वह बच्चे की बहुत अधिक देखभाल करे और न उसकी उपेक्षा करे । बच्चे को अनुभव बनाने के लिए शिक्षालय की सहायता देनी चाहिए, जिससे वह समझ सके कि उसे परमार्थ होना सीखे । बच्चों को ऐसे अवसर देना भी स्कूल का काम है । जिससे वह अपनी महानुभूति या महयोग की दायता बना सके । अन्य बातों के साथ-साथ शिक्षालय में बच्चों को ऐसे अवसर भी मिलने चाहिए जिनके द्वारा उनमें प्रतियोगिता और हितकर स्पर्धा की भावना जागृत हो । प्रत्येक व्यक्ति प्रमाण, आधार और यथा तक कि विकास में भी एक दूसरे से भिन्न होता है । जैसा कि यह सत्य है कि अपनी योग्यता

घोर लक्षणों में प्रत्येक बालक भिन्न होता है उसी प्रकार बच्चे के अंतर में भी विभिन्नताएँ होती हैं यह भी सत्य है। एक बच्चा अपनी बुद्धि में अग्रगण्य हो सकता है किंतु रचनात्मक क्रियाओं में भी साधारण बच्चों के समान हो। पर अधिकांश में तो यही होता है कि अच्छे गुण एक माथ ही रहते हैं। जो बच्चा एक विषय में सबसे अधिक प्रतिभाशाली होगा वह अन्य विषयों में भी सामान्य से अच्छा ही होगा। अतः केवल वही योजना बच्चे की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने में सफल हो सकती है जिनमें अनेक प्रकार की रचनात्मक क्रियाओं तथा शिक्षा के अन्य साधनों का समावेश हो।

बच्चे की अभिरुचि पर भी ध्यान देना आवश्यक है। जैसे बच्चा २ से ६ वर्ष तक बढ़ता है, शिक्षा को भी भिन्न-भिन्न परिणाम ग्रहण करने पड़ते हैं। इस पूर्व प्रारम्भिक शिक्षा-काल में बच्चे की क्रियाएँ वातावरण की देन से बहुत अधिक प्रभावित होती हैं।

बच्चों के विक्रम व वृद्धि का यह रूप समस्त विश्व के बच्चों की विशेषताओं का प्रदर्शक है। कभी-कभी बच्चों की इन प्रवृत्तियों को प्रकट करने में भौगोलिक विभिन्नताओं, पारिवारिक स्थितियों तथा संस्कृति का भी प्रभाव पड़ जाता है। बच्चों की प्रारम्भिक आवश्यकताएँ तो सर्वत्र एक ही होती हैं। इसलिये प्रभावशाली पूर्व प्रारम्भिक शिक्षा का उद्देश्य एक तो उनकी पूर्ति करना है जिसका घर में अभाव होता है फिर उन्हें इस योग्य करना है कि वह अपना बाल्यकाल आनन्दमय बना सकें तथा प्रौढ़ जीवन की प्रभावशाली भित्ति बन सकें।

हमारे देश में बच्चों की शारीरिक सुरक्षा सबसे अधिक आवश्यक प्रतीत हुई है। सरकारी और सार्वजनिक कल्याण के लिए बनी समाश्रमों को, पूर्व-प्रारम्भिक-शिक्षा के विकास व स्थापना के लिए की गई प्रत्येक योजना को आश्रय देना चाहिये और इसके लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था

करनी चाहिए। शिक्षा को अन्य योजनाओं के साथ-साथ माता-पिता की शिक्षा पर भी ध्यान होना आवश्यक है। सरकार व जनता को सबसे अधिक तो स्त्री-कल्याण-संघटन की सहायता देनी चाहिए जिमने इस योजना को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दिया है।

अतः यह स्पष्ट है कि भारत में प्रादुर्ग शिक्षालय वहाँ बनाना चाहिए जहाँ गाँव के प्रत्येक बच्चे की पहुँच किसी भी ठीक समय पर हो सके और वह प्रति साधारण ढंग का होना चाहिए। बच्चों की दिनचर्या में खेल, संगीत, पर्यटन, भोजन, विद्याम कहानी आदि सभी को उचित स्थान मिलना चाहिए। सब कहानियाँ और उपदेश साधारणतः स्थानीय भाषा में होने चाहियें। जिमने सीखने में सुविधा रहे। इन बच्चों को सर्वथा व्यावसायिक शिक्षा देनी ही उचित नहीं क्योंकि उनकी अवस्था कम होती है। अधिकांश समय तो ऐसे हाथ के काम को देना चाहिए जो मनोरंजक होने के साथ-साथ शिक्षाप्रद भी हो। 'हाथ के काम' से हमारा अभिप्राय मिट्टी के नमूनों से ही नहीं है बल्कि मूल की दस्तकारी भी मिलानी चाहिये जिमवा हमारे गाँव में प्राथम्य भी है और जिमने विभिन्न प्रकार की पुताई व जाली तैयार की जा सकती है।

भारतीय ग्रामों में बच्चों का बहुत छोटा समय शिक्षालय में बीतता है। इसलिए पूर्व-प्रारम्भिक-शिक्षा को पर्याप्त रूप से पूर्ण और मनोरंजक बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। कहानी और संगीत द्वारा बच्चों को बड़ी भुगमता से शिक्षा दी जा सकती है। राष्ट्रीय जीवन के समान शिक्षालय के जीवन में भी संगीत को महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए। अथवा अभिप्राय का ध्यान देने वाली कहानियाँ शिक्षा देने का सर्वोत्तम साधन बनाई जा सकती है।

गाँव के प्रत्येक विद्यालय के चारों ओर घास होना शिक्षा के लिए परमन्त आवश्यक है। वहाँ हम बच्चों के साथ उन कामों में भाग ले सकते हैं जिनमें वह घर में भी परिचित हो जाते हैं। इसके अनिश्चित



अवस्था अच्छी न हो और माताओं की काम पर जाना पड़ता हो वहाँ तो विशेष रूप से प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है।”

पूर्व-निर्मित योजना के अनुसार शिक्षालय बच्चों के निवास से जितने भी निकट हो अच्छा है: भारत-कृषि प्रधान देश है अतः यहाँ के अधिकांश बच्चों के माता-पिता या मरदाक या तो कृषक हैं अथवा खेतों में काम करने वाले श्रमिक हैं इसलिए समय परिवर्तन की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे माता-पिता या बड़ी बहनों को जब भी मुविधा हो वह बच्चों को विशालय में ला सकें।

युद्ध के पश्चात् शिक्षा सम्बन्धी पुनर्निर्माण के लिये बनाई गई मद्रास विश्वविद्यालय की समिति ने जो मुझाव दिये हैं उनका मैं भी अनुमोदन करूँगा।

(१) समस्त बड़े सहरों में नर्सरी स्थापित होनी चाहिए।

(२) इस प्रकार के शिक्षालय अधिकतम निधन बस्तियों में होने चाहिए।

(३) २ से ५ वर्ष तक के अथवा इनसे कुछ बड़ी अवस्था के बच्चों को इन स्थापनों में भेजना चाहिए।

(४) स्वास्थ्य-निरीक्षण और पालन-पोषण की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिये तथा इसी काल में समस्त रोगों का उपचार कर देना चाहिए।

(५) नर्सरी स्कूलों के शिक्षक विशेष रूप से शिक्षित व अनुभवी होने चाहिए।

(६) भोजन की उचित व्यवस्था होनी चाहिये।

(७) ऐसे भोजन के लिए प्रत्येक माता-पिता से उनकी सामर्थ्य के अनुसार धन लेना चाहिए।

(८) अन्य क्षेत्रों में यदि कोई स्वयं नमंरी संस्था खोलना चाहे तो सरकार में उसे प्रोत्साहन मिलना चाहिए ।

बाल्यकाल की शिक्षा को प्रोत्साहित करने और पूर्व-शारम्भिक शिक्षा का एक धंग होने के कारण, माता-पिता की शिक्षा का इसके माप-माप बहुत आवश्यक है । यदि हमारे सामाजिक कार्यकर्ता और नमंरी स्कूल के घनृभक्ती व दूरदर्शी शिक्षक समय-समय पर बच्चों के घरों में जाएं तो इस योजना में बड़ी सहायता मिले । माता-पिता को नमंरी स्कूल में सुनाकर प्रदर्शन करना बहुत उपयोगी है इसमें पूर्व शारम्भिक शिक्षा के कार्य-क्रम में इनको विद्वान भी हो जाता है । यह प्रदर्शन फिल्मों के द्वारा होना चाहिये । अन्तिम भारतीय नारी मन्ना, Y. W. C. A, Red Cross और Guild Service आदि वर्तमान महिला संगठनों में कार्य में सहायता मिलने की हमें पूर्ण आशा है ।

शिक्षात्मक धारक्षाने तो हैं नहीं जहाँ के उत्पादन का अनुमान पढ़ने में ही लगाना जा सकता है यह तो एक सामूहिक योजना है जहाँ शिक्षकों, व्याख्यातकों, बच्चों व माता-पिताओं को सम्मिलित रूप से काम करना चाहिए ।

अच्छे स्वास्थ्य व अच्छी शिक्षा का अधिकार प्रत्येक बच्चे को होता है चाहे उसका जन्म कहीं भी हुआ हो । बच्चों को प्रभावशाली शिक्षा देने में धार्मिक व्यक्तियों की समझा सबसे विषम और पर्याय है । इस समझा का समाधान सरकारी और व्यक्तिगत सहायता में हो सकता है ।

## नर्सरी स्कूलों की आवश्यकता

हमारे देश में आजकल शिक्षा क्षेत्र में बहुत हलचल मची हुई है। भारतीय शिक्षा की उत्तम व्यवस्था के लिए अनेक कमीशन और कमेटियाँ नियुक्त की जा रही हैं किन्तु आश्चर्य का विषय है कि सरकार की ओर से अथवा जनता की ओर से पूर्व-प्रारम्भिक शिक्षा पर अभी तक कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। प्रायः माता-पिता पूर्व-प्रारम्भिक शिक्षा से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। जो कुछ लोग इस विषय से परिचित भी हैं, वे अपने वास्तव्य के आगे नर्सरी स्कूलों में स्वस्य वातावरण में अपनी मंजूरियों के पालन-पोषण को अधिक महत्त्व नहीं देते। इसका प्रधान कारण यही है कि साधारण जनता को इस विषय में कोई उचित शिक्षा नहीं दी जाती।

साजेंट रिपोर्ट के अनुसार नर्सरी शिक्षा के लिए तीन करोड़ रुपये व्यय करने का आयोजन किया गया है, तथा लगभग दस लाख नर्सरी स्कूल स्थापित करने का विचार है। इन स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा दी जायगी तथा इन स्कूलों में बालकों को भोजना-भाता-पिता की इच्छा पर निर्भर होगा तथापि यह प्रयत्न किया जायगा कि माता-पिता अपनी सतान को इन्हीं स्कूलों में शिक्षा दिलायें।

(१) बालकों के स्वास्थ्य की रक्षा तथा स्वास्थ्य की उन्नति के लिये उत्तम व्यवस्था।

(२) साधारण घरों की अपेक्षा उत्तम एवं अधिक स्वास्थ्यप्रद वातावरण की व्यवस्था।

(३) विवाहिता स्त्रियों को निःशुल्क अथवा स-शुल्क कार्य करने का अवसर देना । आधुनिक समय में यदि बालकों के हित को इस कार्य के अधीन समझा जाय तभी स्त्रियाँ इस कार्य को सम्भालेंगी ।

बाल्यकाल से इस अवसर में थोड़ी-बहुत शिक्षा की आवश्यकता है, क्योंकि यह बालक का निर्माणकाल है । यह समय बालक के चरित्र-निर्माण का सुयोग है, तथा उसके व्यावहारिक शिक्षा का भी उत्तम अवसर है । इस अवस्था में बालकों को अनुभवों की अधिक आवश्यकता है । खेल, खिलौने तथा अन्य सामाजिक कार्य उनके निर्माण के उत्तम साधन हैं । 'खेल' के महत्व को भी पूर्णतया समझने की आवश्यकता है, क्योंकि खेल अनुभव प्राप्ति के माध्य ही मनोरंजन का साधन भी है । खेल तथा कार्य में कोई भेद नहीं होना चाहिए । उत्तम नर्सरी स्कूल में फ्रीडबल तथा मान्टेमरी की शिक्षा-प्रणालियों में से उत्तम रीतियाँ चुनकर शिक्षा दी जानी चाहिये । बालक को पर्याप्त स्वतंत्रता मिलनी चाहिये । शिक्षक को कभी-कभी गहायना एवं संरक्षण के लिये अवसर तैयार रहना चाहिये ।

मुझे इंग्लैंड में नर्सरी स्कूलों को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वहाँ जिम बस्तु ने मुझे सबसे अधिक आकर्षित किया वह वहाँ की सजावट और साधन थे । स्कूल-भवन तथा अन्य वातावरण-स्थित भवन, विशेष ध्यान देकर निर्माण किये गये थे जिससे वहाँ स्कूल तथा घर दोनों के गुण व साधन गुणम हों । मार्जेंट रिपोर्ट में इस विषय का कोई उल्लेख नहीं किया गया । ग्रैंट रिपोर्ट के नर्सरी स्कूल एगोमियेगन ने 'प्लेनिंग दी न्यू नर्सरी स्कूल' शीर्षक एक पत्रिका प्रकाशित की है । इसमें विद्वानों ने महत्वपूर्ण विषयों—जैसे स्कूल के निर्माण तथा साधन पर भिन्न-भिन्न परिच्छेद लिखे हैं । जो नर्सरी-शिक्षा में रुचि रखते हैं, उन्हें इस पत्रिका से लाभ उठाना चाहिये ।

नर्सरी स्कूल, घर और ऊँची बहालों के बीच एक मध्य माने हैं ।

अतः इसमें गृह-मुक्तों के साथ ही उत्तम सामाजिक व्यवस्था होनी चाहिये, जहाँ रहकर भिन्न-भिन्न वर्गों के बालक सामाजिक जीवन का सुखपूर्वक उपभोग कर सकें।

व्यक्तिगत शिक्षा एवं व्यक्तिगत सहयोग को सुलभ बनाने के लिये विद्यार्थियों की संख्या कम होनी चाहिये। दो हजार की जन-संख्या में से, साजेंट रिपोर्ट के अनुसार, एक कक्षा में चालीस विद्यार्थी होने चाहिए। यदि हमसे अधिक जन-संख्या में भी इतनी ही संख्या में विद्यार्थी लिये जायें, तब भी कोई हानि नहीं।

बालकों की स्वास्थ्य-रक्षा के लिये यह उचित है कि शिक्षालय-भवन खुले स्थान में, शहर के शोर तथा धुएँ से दूर स्थित हों। कक्षा के कमरों की अपेक्षा खेल के मैदान और बगीचे आदि अधिक महत्वपूर्ण हैं, किन्तु हमारे यहाँ ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। प्रायः जूनियर स्कूल तब और गन्दी गलियों में होते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य-रक्षा-विभाग तथा शिक्षा-विभाग इस और अधिक ध्यान नहीं देते। फलस्वरूप आज देश में स्वास्थ्य-शिक्षा-आन्दोलन मचा हुआ है। हमारे शिक्षालयों के भवन-निर्माण पर अधिक महत्व दिया जायेगा। लंदन के शिक्षालयों में खेदने के मैदानों में छतें भी होती हैं, हम भी इसी प्रकार की व्यवस्था कर सकते हैं। सड़क की मोटर गाड़ियों से बालकों की रक्षा करने के लिए मैदान के चारों ओर हरी बाड़ लगा देनी चाहिये।

स्कूल भवन भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। कमरे खुले, हवादार एवं स्वच्छ होने चाहियें। वहाँ रोशनी ठीक दिना में आनी चाहिये। दरवाजों, दीवारों और लिफ्टियों के रंग गुन्दर होने चाहियें। जमीन ठण्डे और चमकदार सीमेंट प्रयुक्त या टाइल की होनी चाहिये। चमकदार रंगीन पर्दे बालकों के लिये आकर्षण की वस्तु हैं। यदि शत्रुओं के अनुसार रंगों में

परिवर्तन लाया जाय, तो अधिक आनर्पण लाया जा सकता है। फूलों द्वारा मनोरंजन तथा सुन्दर वातावरण उत्पन्न किया जा सकता है।

फर्नीचर बनाते समय भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। उमे बनवाते समय बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान अवश्य रखना चाहिये। भारतवर्ष में बुमियों की अपेक्षा दरिया अधिक अच्छी रहती है, साथ ही वे छस्नी भी होती हैं। नीचे देख तथा चौकियाँ अधिक उपयोगी सिद्ध होंगी। बहने का तात्पर्य यह है कि स्कूल भीतर और बाहर से सुन्दर एवं आनर्पक होना चाहिये जिससे बालक स्वयं वहाँ जाने को तैयार रहें।

आयः बालकों को पाँच या छः घण्टे तक स्कूल में रहना पड़ता है। घनः वहाँ स्नान करने, आराम करने तथा भोजन करने की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिये। बालकों की रक्षा तथा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये शिक्षिकाओं तथा शिक्षकों को उनके साथ भँशी रखनी चाहिये तथा उनका व्यवहार भी मित्रों जैसा ही होना चाहिये।

नर्सरी स्कूलों की सफाई अधिकतर क्षेत्रों के माधनो पर अवलंबित है। उन्नतिशील बालकों की उन्नति और आवश्यकताओं का समुचित ध्यान रखने हुए, इन माधनो का चुनाव करना चाहिये। ये माधन सस्ते, आनर्पक और पत्राऊ होने चाहिए। इनके प्रतिरक्त, डा० कुमाराप्पा के शब्दों में इनमें बालकों के इन्द्रिय-विकास एवं म्नायु विकास में भी सहायता मिलनी चाहिये। ये बालकों की भिन्न-भिन्न रुचियों के अनुकूल हों, अधिक धवापट न करें, बालकों की क्रियात्मक भावना को मत्त करने में समर्थ हो, तथा इन आस्था में बालकों के विकास के लिए अनुकूल हो।

इन विषय में अधिक विस्तार तथा चित्र आदि वस्तुएँ व्यक्तिगत अभिन्चियों पर निर्भर हैं, तथा इनका निर्णय शिक्षकों को स्वयं करना चाहिये। उदासी नर्सरी स्कूल में, रेल, मिट्टी, धिरकला-आधन तथा विचारमक मिलीने आदि अवश्य होने चाहियें।

इन साधनों के उपयोग अथवा रद्दा पर भी कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। यह धिक्काकर रखने की वस्तु नहीं। उसे देखने से ही अनेक सम्भावनाएँ उत्पन्न हो जाती हैं, जिनसे अनेक समस्याएँ आदि भी सामने आती हैं। अतः यह साधन सुलभ होने चाहियें। प्रत्येक वस्तु के लिये नियत स्थान होने चाहियें, साथ ही बालकों से बड़ों के समान नियम और नियन्त्रण की आशा नहीं करनी चाहिये। बालकों को इन साधनों की झाड़-बौछार स्वच्छ रखने का काम सौंप देना चाहिए; शिक्षकों को उन की देख-भाल करनी चाहिए।

पश्चिम में नर्सरी स्कूलों में अध्यापन-कार्य स्त्रियों पर निर्भर है। भारतीय-शिक्षा-विषयक रिपोर्ट में मि० बुड ने भारत में भी इन स्कूलों में स्त्री शिक्षिकाओं की ही रचना उचित समझा है। मेरे विचार से तीसरे बर्ष में स्त्रियाँ इस कार्य के लिये अधिक उपयोगी हो सकती हैं, विशेषकर यदि वे विवाहिता हों। इस कार्य के लिए उन्हें विशेष शिक्षा की आवश्यकता है। साधारण ट्रेनिंग-कालिज का पाठ्य-क्रम पर्याप्त नहीं, क्योंकि उन्हें बाल-मनोविज्ञान के असीम ज्ञान की आवश्यकता है—विशेषकर दो से सात बर्ष तक के बच्चों के मनोविज्ञान का उन्हें विशेष ज्ञान होना चाहिये। उन्हें भाँति-भाँति के शिक्षारथ खेनो और खिलौनों से भी भली भाँति परिचय होना चाहिए। हमारे यहाँ अधिकतर ट्रेनिंग कालिजों में इन वस्तुओं का वर्णन ही बनाया जाता है, फलस्वरूप न तो शिक्षकों को उनका प्रयोग आता है और न उनको पहचानना ही आता है।

अतः उपर्युक्त उद्देश्य नर्सरी स्कूलों के सामने होने चाहियें। यह ठीक है कि हम एक ही दिन में उन्नति नहीं कर सकते किंतु फिर भी उन्नति सम्भव है। अब भी उन्नति के कुछ कुछ चिन्ह दृष्टिगोचर होने हैं।

## शिक्षा में मार्ग निर्देशन

पश्चिमी देशों की शिक्षा व्यवस्था में आजकल संलग्निक मार्ग निर्देशन का प्रमुख स्थान है : यह आन्दोलन उनकी शिक्षा का एक अविभक्त भाग बन चुका है। आज के शिक्षा विज्ञों ने इसका महत्व भली प्रकार समझ लिया है। पश्चिमी शिक्षा की उत्पत्ति का मुख्य कारण यही आन्दोलन है; शैक्षणिक, सामाजिक एवं आर्थिक प्रयोजनों की वृद्धि का सर्वोत्तम साधन यही मार्ग निर्देशन है। यही इस चन्द की सीपी-मादी ब्राह्मण्य है।

परन्तु फिर भी हमारे मध्य ऐसे व्यक्तियों की कमी नहीं है जो इस विषय से अनभिज्ञ हैं। सन् १९४४ में प्रकाशित सार्वजनिक रिपोर्ट में भी इस विषय का कोई उल्लेख नहीं किया गया। हाँ उसमें एक छोटा सा अन्वय अन्वय-नियुक्ति विभाग अन्वय है। सोच-समझ कर हम इसका सम्बन्ध उपरोक्त विषय में जोड़ सकते हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि अभी तक हम मनोविज्ञान को समाज के उत्थान के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में स्वीकार नहीं कर पाये हैं। मनोविज्ञान के इस महत्त्व को अभी हमें समझना है। इसमें अन्वय नहीं कि हमारे देश में भी इस दिशा में कुछ प्रयत्न प्रारम्भ कर दिये गये हैं। उत्तर प्रदेश एवं बम्बई राज्य में इस आन्दोलन का श्री गणेश हो चुका है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने सन् १९४७ में न्यूरो-आफ गादवागीजी स्थापित किया। सन् १९५० में इस आन्दोलन के प्रचारार्थ बम्बई सरकार ने एक विशेष गादवे-स आदेशानुसार नियुक्त किया था। आना की आती है कि समय के साथ-साथ इन दोषों



संस्थाओं के कामों में उन्नति होगी और कुछ समय में ही यहाँ विविधपूर्वक कार्य प्रारम्भ हो जायगा।

इस आन्दोलन का आधार मनुष्य की आवश्यकताएँ हैं और इसका उद्देश्य मनुष्य के जीवन एवं उसकी प्रतिभा व शक्ति को सुरक्षित रखना है। इससे हमारा तात्पर्य यह नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति में आइंस्टाइन, टॉगोर अथवा महात्मा गांधी बनने की क्षमता होती है परन्तु यह अवश्य सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ऐसी विभूतियाँ होती हैं जो उसे बहुत कुछ नहीं तो कुछ अवश्य बना सकती हैं। परन्तु हम उस कुछ तक भी नहीं पहुँच पाते क्योंकि हमें जीवन में आवश्यकतानुसार उचित परामर्श देने वाला उपयुक्त पथ-प्रदर्शक कोई नहीं मिलता। हम अपने जीवन की यात्रा मार्ग जाने बिना ही प्रारम्भ कर देते हैं। परिणाम यह होता है कि बहुत कम ही कोई ऐसा भाग्यशाली निकलता है जो अपने निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुँच जाता है। मानव-शक्ति व्यर्थ नष्ट होती है, जीवन जँमे-तँसे व्यतीत हो जाता है। ऐसे व्यक्ति कम ही होंगे जो अपने अपनाएँ हुए व्यवसाय के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं। शिक्षित व्यक्तियों को भी नीकरी नहीं मिलती, केवल इसीलिए नहीं कि हमारे यहाँ रिक्त स्थानों की इतनी ज्यादा कमी है वरन् इसलिए कि हमारे पढे लिखे नवयुवक अपने आप को किसी व्यवसाय के योग्य नहीं समझते। मार्ग निर्देशन आन्दोलन वा उद्देश्य इन कठिनाइयों को दूर करना है। अपने जीवन की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में प्रत्येक व्यक्ति को उचित परामर्श मार्ग निर्देशन की आवश्यकता होती है। मार्ग निर्देशन आन्दोलन से इन आवश्यकता की पूर्ति होती है। इनके द्वारा मनुष्य को दो महत्वपूर्ण बातें ज्ञात हो जाती हैं—पहली उसी वया करने की योग्यता है और दूसरी वह अपनी योग्यताओं में अधिक लाभ किस प्रकार उठा सकता है।

प्रत्येक नवयुवक के सामने कई प्रकार की समस्याएँ होती हैं उ मनुष्य ही उसे मार्ग निर्देशन की भी आवश्यकता होती है। अस्तु जिस प्रकार की समस्याएँ होंगी उतने ही प्रकार वा मार्ग निर्देशन भी हो

इन समस्याओं का एक दूसरी से इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है और वे एक दूसरे के इतनी समान हैं कि उन्हें पृथक् करना असम्भव सा है फिर भी सुभीते के लिये हम इन समस्याओं का वर्गीकरण इस प्रकार कर सकते हैं-

१. स्वास्थ्य व शारीरिक विकास से सम्बन्धित ।
२. गृह तथा परिवार से सम्बन्धित ।
३. व्यक्तित्व से सम्बन्धित ।
४. शिक्षा से सम्बन्धित ।
५. व्यवस्था से सम्बन्धित ।
६. धर्म से सम्बन्धित ।
- ७ सामाजिक जीवन से सम्बन्धित ।
८. अध्यापन के समय के गदुगद्योग से सम्बन्धित ।

इसमें गन्देह नहीं कि इन स्थानों पर विचार करना आवश्यक है । इन पर हर शिक्षालयों में एव उनके बाहर भी ध्यान देना चाहिये । परन्तु हमारे वर्तमान शिक्षालय इस प्रकार के हैं कि इन समस्याओं में से अधिकांश का उत्तरदायित्व वे नहीं ले सकते । परन्तु शैक्षणिक तथा व्यावसायिक मार्गनिर्देशन का पूर्ण उत्तरदायित्व से लेने में उन्हें संकोच नहीं होना चाहिये । इनके अनिश्चित शिक्षादियों के व्यक्तिगत जीवन की समस्याओं में भी वे कुछ सहायता प्रदाय कर सकते हैं

मार्गनिर्देशन की आधारभूत बातें निम्नलिखित हैं :-

१. प्रत्येक व्यक्ति में व्यक्तिगत योग्यताएँ एवं अभिरचियाँ होती हैं । जो सब में समान नहीं होती ।
२. व्यक्तिगत अभिरचियाँ एव योग्यताएँ निर्दिष्ट नहीं होती ।
३. मार्गनिर्देशन का उद्देश्य केवल आदेश देना नहीं है । इसके विपरीत मनुष्य में स्वयं सहायता की तथा अपनी उन्नति करने की योग्यता उत्पन्न करना है ।

### शैक्षणिक मार्ग निर्देशन

शिक्षार्थियों की समस्याओं में सबसे पहली समस्या शैक्षणिक मार्ग-निर्देशन की है। इसके अन्तर्गत यह तीन बातें आती हैं।

१. विद्यार्थी में किम प्रकार की तथा कैसे पाठ्य करने की योग्यता अधिक है।

२. किस प्रकार की शिक्षा से उनकी योग्यताओं का पता चल सकता है तथा किस प्रकार से वह उन्हें विकसित कर सकता है।

३. अग्रगतिशील शिक्षार्थियों के लिये क्या करना चाहिये।

शैक्षणिक मार्गनिर्देशन अध्यापन कार्य से सर्वथा भिन्न है : शैक्षणिक मार्गनिर्देशन किसी व्यक्ति के बौद्धिक विकास में जागरूकतापूर्वक सहायता करने को कह सकते हैं। मार्गनिर्देशन विभिन्न प्रकार से परीक्षणों के द्वारा शिक्षार्थी की योग्यताओं, वृत्तियों तथा अभिरुचियों आदि का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है और उनके आधार पर उस व्यक्ति का वह मार्गनिर्देशन करता है। बहुधा व्यवसायिक दृष्टिकोण को शैक्षणिक मार्ग निर्देशन में अधिक महत्व दिया जाता है : उदाहरणार्थ यदि भविष्य में विविज्ञान विज्ञान का अध्ययन विद्यार्थी का लक्ष्य हो तो शिक्षार्थी को उसी के लिये तैयार करना चाहिये। इसके अर्थ यह हुए कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपनी व्यवसाय का निश्चय बहुत पहले ही कर लेना चाहिए। इस दृष्टि में शैक्षणिक एवं व्यवसायिक मार्गनिर्देशन साथ-साथ चलने चाहिये।

शिक्षा का एक सोपान पार करने के पश्चात् आगे बढ़ने से पूर्व प्रत्येक शिक्षार्थी को यह देख लेना चाहिये कि वह मार्ग उसके लिये लाभदायक है या नहीं। यहाँ याकर भी उसे शैक्षणिक मार्ग निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। प्रत्येक शिक्षालय एवं महाविद्यालय में अनेक पाठ्य क्रमों की व्यवस्था होनी चाहिये जिससे शिक्षार्थी मार्गनिर्देशन से पूरा-पूरा लाभ उठा सकें।

कभी-कभी ऐसे शिक्षार्थी भी आ जाते हैं जिनमें किसी प्रकार का मानसिक अथवा स्नायविक अवरोध होता है। उनके लिए भी शैक्षणिक मार्गनिर्देशन का आवश्यकता रहती है। मार्ग निर्देशक उसकी रूढ़ावृत्त के कारणों आदि की जाँच करके उसकी उन्नति के उपाय बता सकता है। इस बात को एक उदाहरण देकर स्पष्ट कर देना उचित होगा यह पटना यूरो आफ मायबोलोजी दलाहाबाद की है। एक तरह बपें की बानिजा वहाँ आई। उसमें कोई मानसिक रूढ़ावृत्त थी। उसकी माँन पैगियाँ भी असम्बद्ध थी। कुछ परीक्षाओं आदि के परवान् यह देना गया कि उसकी मानसिक आयु केवल ६ वर्ष है और उसकी बुद्धि लग्गि ५० है। स्पष्ट था कि वह बालिका अपना कुछ भी काम नहीं कर सकती थी। उसका उच्चारण भी ठीक नहीं था। माँन पैगियों के नियंत्रण में बहुत कमो थी। इसका विशेष कारण उसकी मानसिक दुर्बलता ही थी। इन अन्वेषणों के आधार पर उसकी उन्नति के लिये ये उपाय निर्धारित किए गये :

### १. मानसिक विकास के लिए :

स्थूल पदार्थों द्वारा शिक्षण का आयोजन किया गया। इसने उसकी सन्भावना में वृद्धि हुई। प्रको का ज्ञान हुआ तथा उसके माधारण विचारों में कुछ विकास हुआ। इसने उसकी माँन पैगियों के नियंत्रण में भी कुछ हदता आ गई और उसका उच्चारण भी कुछ ठीक हो गया।

### २. संवेगात्मक विकासार्थ :

उसके साथ सहानुभूति पूर्ण परन्तु हृद व्यञ्जहार का आदेश दिया गया। मार्गनिर्देशक का कार्य केवल सुझाव देकर ही समाप्त नहीं हो जाता। उसे पूरी प्रगति का ध्यान रखना पड़ता है और आवश्यकता पड़ने पर परिवर्तन भी करने पड़ते हैं।

### ३. व्यावसायिक मार्गनिर्देशन :

जिनो ध्यक्ति को व्यवसाय चुनने में, उसके लिए उसे तैयार करने में उसे प्रारम्भ करने में तथा उसमें उन्नति करने में सहायता करना ही

साधारण शब्दों में व्यावसायिक मार्गदर्शन की परिभाषा मानी जा सकती है दूसरे शब्दों में किसी व्यक्ति को अपनी व्यावसायिक योजना में सफलता प्राप्त करने में सहायता करना ही व्यावसायिक मार्गनिर्देशन कहा जा सकता है।

व्यवसाय मनुष्य की भाँति अनेक ही है और इसमें भी सदेह नहीं कि सभी मनुष्य किसी एक व्यवसाय के लिए कभी उपयुक्त नहीं हो सकते। प्रत्येक व्यवसाय के लिये विशेष वृत्ति चाहिये तथा विशेष तैयारी तथा विशेष पुष्ट भूमि तैयार होने की आवश्यकता होती है। जिस व्यक्ति में यह सब विद्यमान हो वही व्यवसाय में सफल हो सकता है। व्यावसायिक मार्ग-निर्देशक सर्वप्रथम यह पता लगाता है कि उसके लिए कौन-कौन से काम सहज में मिल सकते हैं और उनके लिए किन-किन बातों की आवश्यकता है। इसके बाद वह यह देखता है कि उसके मार्गनिर्देशन में जो व्यक्ति है वह उन सब आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकता है अथवा नहीं। मार्ग-निर्देशन का कार्य तत्काल ही समाप्त नहीं हो जाता वरन् उसे अपने मुसाव देने के बाद भी कुछ समय तक उस व्यक्ति और उसके काम का प्रवलोकन करना होता है। यदि आवश्यक हो तो पुनः परिवर्तन भी करने पड़ते हैं। अधिकतर मेकेण्ड्री स्कूल की अवस्था में व्यावसायिक मार्ग-निर्देशन की आवश्यकता होती है क्योंकि इस अवस्था के बाद अधिवास शिक्षार्थी या तो किसी व्यवसाय को प्रारंभ करते हैं या व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं।

आज का युवक व्यवसाय प्रारम्भ करते समय केवल दो बातों का हवाल रखना है। पहली कौन सी जगह खाली है और दूसरी वेतन। न तो स्वयं वह और न उसके पिता आदि इस बात को सोचते हैं कि वह उस व्यवसाय विशेष के लिए योग्य भी है अथवा नहीं। बहुधा ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जिनके कारण किसी योग्य व्यक्ति को अत्यंत साधारण सा काम स्वीकार कर लेना पड़ता है। ऐसी प्राथिक सनटापक स्थितियों में स्कूलों एवं कॉलेजों को उन शिक्षार्थियों की सहायता करनी चाहिए।

अस्तु: व्यावसायिक मार्गनिर्देशन के अन्तर्गत ये भवस्थायें आ जाती हैं :

१. व्यक्ति सम्बन्धी आवश्यक विषयो का सञ्चलन ।

इसमें सामान्यता शारीरिक, स्वास्थ्य, बुद्धि लक्ष्य, व्यक्ति की विशिष्ट वृत्तियों, अभिरुचियों एवं योग्यताओं का सफल आविष्कार है ।

२. परामर्श देना ।

उपरोक्त सञ्चलन के आधार पर व्यक्ति के अनुकूल व्यवसाय के सम्बन्ध में परामर्श देना होता है । यह परामर्श सामान्य रूप में अथवा किसी विशेष व्यवसाय के लिए किसी प्रकार भी दिया जा सकता है । मान लीजिए कोई व्यक्ति व्यावसायिक मार्गनिर्देशनार्थ किसी मार्गनिर्देशक के पास जाता है । समस्त मामलों संकलित करने के उपरान्त मार्गनिर्देशक यह निर्णय देता है कि प्रमुख व्यक्ति वैज्ञानिक तथा प्रायोगिक व्यवसाय में अधिक सफल हो सकता है । यह सामान्य रूप से परामर्श देना हुआ ।

कभी-कभी मनुष्य किसी विशेष लक्ष्य को सम्मुख रखकर परामर्श लेने जाते हैं उदाहरणार्थ कोई व्यक्ति इस उद्देश्य से परामर्श लेने जाय कि वह चिकित्सा शास्त्र के अध्ययन में तथा उम्र व्यवसाय में सफल होगा कि नहीं । परामर्शदाता उमकी जांच करके उसे बता देता है कि वह इस कार्य को सफलतापूर्वक कर सकता है या नहीं । यह विशेष रूप से परामर्श देना हुआ । एक बार स्यूरो आफ साइकोलोजी इलाहाबाद में एक नवयुवक इंजीनियरिंग व्यावसायिक मार्गनिर्देशनार्थ उपस्थित हुआ उसकी परीक्षा आदि करके उसे निम्नलिखित परामर्श दिया गया ।

इस व्यक्ति की परीक्षा करने के उपरान्त हम इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि वह इंजीनियरिंग में पूरी तरह सफल हो सकता है बशर्त कि उम की अभिरुचि नष्ट न हो या किसी प्रकार की शारीरिक कठिनाइयाँ उसके मार्ग में न आयें ।

३. जिन व्यवसाय के लिए परामर्श दिया जाय उमके लिये तैयार करना ।

## आधुनिक शिक्षा की समस्याएँ

एक-एक व्यावसायिक मार्गनिर्देशक की आवश्यकता होगी। परन्तु एक विशेष क्षेत्र के लिए केवल एक मनोवैज्ञानिक पर्याप्त होगा। मनोविज्ञानिक की सहायतायें कुछ सहायक तथा एक उत्तम प्रयोगशाला का होना भी जरूरी है। व्यावसायिक मार्गनिर्देशन के प्रमुख कार्य होंगे संचित अभिलेखों की सम्भाल रखना, व्यवसयो से सम्बन्धित विभिन्न स्थानों को समय-समय पर जाकर देखना तथा विभिन्न पाठ्यक्रम तथा व्यवसायों से सम्बन्धित सूचनाएँ तैयार रखना। उसे इस योग्य भी होना चाहिये कि वह साधारण श्रवणयोग्यता के मार्गनिर्देशन का काम भी कर सके। विषय श्रवणयोग्यता के विद्यालयों में भी मार्गनिर्देशन के पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जा सकते हैं। बी० टी० के पाठ्यक्रम में मार्गनिर्देशन के सामान्य तथ्यों का सहज ही समावेश किया जा सकता है जिसमें प्रायः अध्यापक मार्गनिर्देशक का भी थोड़ा बहुत काम कर सके।

अभिलेखों में बहुत से व्यक्ति परिचित नहीं हैं यद्यपि वे इस क्षेत्र में काम करने हैं। अभिलेखों का रखना कोई नवीन वस्तु नहीं है इसका परीक्षणों से घनिष्ठ सम्बन्ध है। परीक्षाएँ भी उतनी ही प्राचीन चीज हैं जितनी अध्यापन। प्रो० फूर्लेमिंग के शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति के चार से लेकर दस ऐसे अभिलेख सुरक्षित रहने चाहियें जिनमें व्यक्ति पर स्वतन्त्र रूप से किए गए पाठ्य परीक्षाओं का तथा व्यक्ति विषयक अध्यापन का निष्कर्ष हो। परीक्षणों के फल होने हैं और उन्हें सुरक्षित रखा जाता है। विश्वास किया जाता है कि इस प्रकार के अनेक परीक्षा फलों से एक की अपेक्षा अधिक सूचनाएँ व्यक्ति के सम्बन्ध में प्राप्त हो सकती हैं। इस प्रकार के मापों के आधार पर मार्गनिर्देशन अधिक सुगम हो जाता है। इन अभिलेखों को सुरक्षित रखा जाता है। विविधता के समय ही केवल इनका प्रयोग किया जाता है। ऐसा एक अभिलेख सदा तैयार रहना चाहिए। यदि कोई शिक्षार्थी एक स्कूल से दूसरे में जाए तो अभिलेख उस स्कूल को देना चाहिए। इस अभिलेख में कितने ही विषयों के सम्बन्ध में

ज्ञान सामग्री हीं सजती है। परन्तु उनमें से मुख्य विषय ये हैं :

(१) शिक्षा संबंधी—बिना स्कूल में शिक्षा प्राप्त की, उपस्थिति; त्रिष पाठ्य-विषय घयवा सवने कम रचिकर विषय।

(२) प्रमाणित परीक्षों के द्वारा अभिलक्षित स्तर—(१) अजिन योग्यता (Attainment) (२) मानसिक योग्यता (Mental ability)।

व्यक्तिगत गुणावगुण—(१) अभिरचिया (२) अभिवृत्तिया (३) योग्यता प्राप्ति आदि।

(४) गृह जीवन—परिवार में स्थान, अवकाश के समय में सर्वाधिक मनोरञ्जक कार्य, व्यवसाय यदि हो तो, कोई निरोप घरेलू परिस्थितियाँ आदि।

यहूया शिक्षार्थी अन्य व्यक्तियों द्वारा की गई जाच को ही मन्थ घोर विश्वासनीय मानते हैं यही केवल ठीक नहीं उन्हें अपनी जाच स्वयं करना योग्यता चाहिए। यह काम भी मार्गनिर्देशन का है। यह रीति आरमोप्रति का अंष्ट उपाय है। अपने विषय में ज्ञानम्य विषय निम्न निवित है :

- १ -

(१) बुद्धि—प्रमाणित बुद्धि परीक्षणों की सहायता से बुद्धि मन्त्र ही मापी जा सकती है। यह खेद की बात है कि हमारे देश में अभी इन प्रकार के परीक्षणों ने अधिक उन्नति नहीं की है परन्तु इसर भी विकास की पूर्ण घाना है। तब तब अध्यापक के निर्गुण पर चरना शिक्षार्थी के लिए अघरकर हो सकता है। अपनी बुद्धि के बारे में जान कर कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता का सहा ही अनुमान लगा सरता है।

(२) अजिन योग्यता—अर्थात् भिन्न-भिन्न पाठ्य विषयों आदि में उमने बिजनी योग्यता प्राप्त की है। यदि किसी व्यक्ति की मरिण व



विज्ञान में अधिक योग्यता न हो तो उसकी इंजीनियर बनने की कोशिश सफल नहीं हो सकती ।

(३) विशेष योग्यताएँ—अर्थात् किन-किन विशेष कार्यों में बड़ा भाग लेना है । जिस कार्य में जिसकी अधिक रुचि होती है वह उसी में भाग लेना है । साथ ही उसे यह भी निश्चय कर लेना चाहिए कि वह भविष्य में क्या करना चाहता है । अभिरुचि परीक्षणों के द्वारा विभिन्न कार्यों में व्यक्ति की रुचि का माप किया जाता है । यह परीक्षण भी उसकी सहायता कर सकते हैं । भिन्न-भिन्न व्यवसायों के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के परीक्षणों का आयोजन विदेशों में पाया जाता है । हमारे देश में अभी तक इस ओर भी कुछ कार्य नहीं किया गया है ।

(४) व्यक्तिगत गुण—इनका ज्ञान प्राप्त करना भी परम आवश्यक है । कोई व्यक्ति अधिक सामाजिक होना है कोई अधिक मिलना-जुलना पसन्द नहीं करता । कोई व्यक्ति शीघ्र ही क्रुद्ध हो जाता है कोई शांत रहता है । यदि आप अपने कार्यों पर विचार करें तो आप अपने इन गुणों का सहज ही अनुमान लगा सकते हैं ।

(५) स्वास्थ्य—जब तक कोई व्यक्ति किसी विशेष रोग से पीड़ित न हो तब तक कोई विशेष चिन्ता की आवश्यकता नहीं है । रोग को सहज ही स्वीकार नहीं कर लेना चाहिये वरन् किसी चिकित्सा विशेषज्ञ को प्रथम स्कूले के चिकित्सक को दिखाकर उसका निदान कराना चाहिए ।

मरण में यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी भली प्रकार जांच करे और साथ ही सुगम पाठ्यक्रमों एवं व्यवसायों का सूक्ष्म अवलोकन करे तो वह इनमें अपनी योग्यता का कुछ-कुछ अनुमान लगा सकता है । इसके साथ ही व्यावसायिक मार्गनिर्देशक का निर्णय यदि मिला जाय तो वह व्यक्ति अपेक्षाकृत अधिक सफल हो सकता है ।

ऊपर के अनुच्छेदों में बार-बार इस बात पर बल दिया गया है कि

हमारे देश में मार्ग निर्देशन आन्दोलन के विषय में अधिक से अधिक अन्वेषण करने की आवश्यकता है। अभी तक हमारे पास न तो उपयुक्त प्रमाणित परीक्षण है न उपचार की विधियाँ हैं न कहीं से इस विषय में सूचना मिल सकती है कि किसी अध्ययन क्रम के अथवा किस व्यवसाय के लिए किन-किन बातों की आवश्यकता है। इन आधारभूत तथ्यों के बिना कुछ सफलता नहीं मिल सकती। अस्तु हमारे शिक्षा व्यवस्था में मार्ग-दर्शन की सम्यक् व्यवस्था करना हमारी सर्व प्रथम आवश्यकता है। आशा है इस महत्वपूर्ण विषय पर अब पूरा-पूरा ध्यान दिया जाएगा।

## बाल-निर्देशन एवं बाल सुरक्षा

हमारे शिक्षालयों एवं घरों में अभी तक व्यावसायिक मनोविज्ञान वेत्ता की कोई विशेष उत्तरदायित्व पूर्ण स्थान प्राप्त नहीं है। शिक्षार्थीगण शिक्षा-मनोविज्ञान की कानिजों में ही पढ़ते हैं और पढ़ाई समाप्त करके उसे वहीं छोड़ आते हैं। यद्यपि अन्य देशों में इस विज्ञान ने बहुत प्रगति की है परन्तु हमारे देश के बच्चे अभी तक उसी पुरानी रूढ़ियों में बँधे हुए डग से पढ़ रहे हैं।

अध्यापक तथा बच्चों के माता-पिता पालक आदि बच्चों के व्यक्तिगत विकास के प्रति उदासीन हैं और प्रायः प्रत्येक बच्चे को साथ एक-सा ही व्यवहार करने हैं। इसके अतिरिक्त मानसिक व शारीरिक विकारों से पीड़ित बच्चों के लिए भी हमारे यहाँ कोई प्रबन्ध नहीं है। अन्धे व भूँगे, बहिरे बच्चों के लिए बहुत ही कम स्कूल हैं और जो हैं उनका संचालन आदि भी विशेष अच्छा नहीं है।

यह सत्य है कि यत्र-तत्र कुछ बाल-निर्देशन-केन्द्र हैं, परन्तु जहाँ तक मुझे ज्ञान है, साधारण जनता की पहुँच से वे बहुत दूर हैं। अनुभवों और प्रशिक्षित व्यक्तियों की सख्या अत्यल्प है।

आज का इंग्लैण्ड में प्रत्येक शैक्षणिक-विभाग में एक मनोवैज्ञानिक नियुक्त किया जाने लगा है। समस्त देश में लगभग सी ऐमे केन्द्र हैं जिनमें अधिकतर निम्नवर्ग बच्चों की जाती है। नए विधान के अनुसार अब प्रत्येक ब्रिटिश-बालक का इलाज सुरक्षित किया जायगा। अमरीका ने इस दिशा में और भी अधिक प्रगति कर ली है, वहाँ बच्चों के निर्देशन एवं सुरक्षार्थ उचित शिक्षित व्यक्ति की सेवा महत्त्व ही उपलब्ध है।

भारत में उच्चिष्ठ प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिकों की कमी का विशेष कारण यह है कि हमारे महाविद्यालयों या विद्वत्विद्यालयों में माधन सम्पन्न प्रयोगशालाएँ बहुत कम हैं। इसमें भी अधिकांश खर्च का वात यह है कि ऐसे विद्वत्विद्यालय जहाँ प्रायोगिक-मनोविज्ञान की शिक्षा दी जाती है, प्रायः नगण्य ही हैं। यदि इस दिशा में कदम उठाया जाय तो हमारी बहुत-सी समस्याएँ मुलम्भ मरती हैं। उत्तर-प्रदेश की सरकार ने इलाहाबाद में एक 'यूरोपि आफ साइकोलोजी' स्थापित किया है। मैट्रोल इन्स्टीट्यूट ऑफ ऐड्युकेशन में भी एक 'क्लिनिक' बनाया गया है। अभी हाल ही में पंजाब प्रांत के शिक्षा-विभाग ने विद्वानों की एक समिति नियुक्त की है। आशा है यह कमेटी भी पंजाब-राज्य में ऐसे केंद्र प्रारम्भ करने की योजना पर विचार करेगी। मेरे विचार में इस प्रकार की सुविधाएँ दिए बिना कोई सौभाग्यपूर्ण कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता।

इस विषय में कुछ सुझाव देने से पूर्व मे सक्षेप में यह बता देना चाहता हूँ कि बाल-निर्देशन एवं बाल सुरक्षा में हमारा तात्पर्य क्या है और इन विनियम का क्या काम है।

साधारणतः यह विनियम उन बच्चों के लिए होते हैं जो वैसे तो मानसिक दृष्टि में सामान्य होते हैं परन्तु किसी विशेष कारणों से उनके आचरण में कुछ ऐसी बातों का समावेश हो जाता है जो अर्थात्तीय हैं। ऐसे बच्चों का भली प्रकार अध्ययन करके ऐसे आचरण का कारण खोजा जाता है और तदनुसार उनका आचार भी बिया जाता है। यह ध्यायश्यक है कि प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया जाए। ये विनियम माता-पिता, पालक एवं अध्यापकों की बच्चों की देख-भाल करने, उनका उचित पालन-पोषण आदि करने के विषय में भी निर्देशन देने हैं। मानसिक और नार्मल विचारों में पीड़ित बच्चों के लिए अलग विनियम होते हैं।

सामान्य बच्चों में दिन-दिन समस्याओं का उद्भव होता है यह

जानता भी मनोरंजक होगा। कुछ बच्चे संगीत और संवेदनात्मक होते हैं, भारत में ऐसे बच्चों की समस्याएँ बड़ी जटिल हैं। ये बच्चे शरीर से बिलग रहते हैं, कुछ बच्चे धर्म के भय या धार्मिकों से पीड़ित रहते हैं। क्लिनिक्स बच्चों को इन कठिनाइयों से मुक्ति दिलाने में सहायता करते हैं और वे सामान्य बच्चों की भाँति हो जाते हैं।

कुछ बच्चों को नियंत्रण में रखना अत्यन्त कठिन होता है, सम्भवतः इसका विशेष कारण यह है कि उन्हें अपनी शक्ति के प्रयोग का वही ठीक अवसर नहीं मिलता। ऐसे बच्चों को उचित निर्देशन प्रदान करके क्लिनिक्स उनकी विशेष शक्ति को उचित दिशा में लगा कर उनके सुगठित व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं।

बहुधा क्लिनिक्स में ऐसे बच्चे भी आते हैं जो साधारणतया सामान्य होते हैं परन्तु कक्षा की पढ़ाई में पिछड़े रहते हैं। क्लिनिक्स ऐसे बच्चों को उनकी शक्तियों का पूर्ण प्रयोग करने में सहायता देते हैं। बहुधा इन बच्चों को कक्षा के अन्य बच्चों के बराबर जाने के लिए व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होती है।

बालकों में सद्गुणों का निर्माण करने में माता-पिता व अध्यापकों का विशेष उत्तरदायित्व है। बहुत से बच्चों में 'भ्रूणशूल चूमने' आदि के दुर्गुण काफी बड़े होने तक बने रहते हैं। क्लिनिक्स बच्चों के दुर्गुणों को दूर करके उनमें सद्गुण ठलवाने में सहायक गिढ़ होते हैं।

चोरी की आदत हमारे यहाँ के बच्चों में बहुत पाई जाती है। चोरी करने का बहुत बड़ा कारण यह होता है कि माता-पिता बच्चों को उनकी इच्छित वस्तु नहीं देने या उनमें चीजें दूर रखते हैं। इसके अतिरिक्त माता-पिता बच्चों की कुछ इच्छाएँ अन्यायपूर्ण रह जाती हैं उनमें भी चोरी की आदत पक जाती है। यदि प्रारम्भ से ही उन्हें न रोजा जाय तो यह अभ्यास बढ़ने-बढ़ने बच्चों की अज्ञानता को बड़ा खतरा बना देता है, अस्तु विशेष-पत्रों में परामर्श लेकर शीघ्रातिशीघ्र इसका उपचार करा देना चाहिए।

कुछ बच्चों को बोलने में कठिनाइयाँ होती हैं जैसे मुतलाना, हकलाना आदि । इन रोगों का इलाज भी विशेषज्ञों से कराना चाहिए ।

भूठ बोलने की आदत भी बच्चों में प्रारम्भिक अवस्था में ही पड़ती है । घर के ध्वनि इनका उपचार नहीं कर सकते, अतएव ऐसे बच्चों के लिये भी ये क्लिनिकल लाभदायक हो सकते हैं ।

अस्तु, माता-पिता एव अध्यापकों के रूप में, अपने बच्चों के निर्देशन व सुरक्षा का समुचित प्रबन्ध करना हमारा कर्तव्य है । जिससे हमारे बच्चे सामान्य मानव बन सकें और जीवन की प्रगति के लिये उनमें आवश्यक सद्गुणों का प्रादुर्भाव हो सके ।

इन सब बातों को देखते हुए मैं यह अनिवार्य समझता हूँ कि प्रत्येक शिक्षा विभाग की ओर से एक मनोवैज्ञानिक शाखा स्थापित हो । प्रत्येक राज्य में एक प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक हो और उनके साथ काम करने वाले अन्य सहायक भी इस विषय में उचित शिक्षा प्राप्त हों । इसी प्रकार प्रत्येक जिले में उपयुक्त साधन सृज ही उपलब्ध होने चाहिए । यथा-सम्भव प्रत्येक स्कूल में एक प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक होना चाहिए जिससे वह छोटी-मोटी कठिनाइयों को देखभाल कर सके और अधिक जटिल बच्चों को चिकित्सक से भेज सके ।

अपने ट्रेनिंग-कालेजों में हम शिक्षा-मनोविज्ञान का ज्ञान चतुष्टय ही सीमित रूप में देते हैं । मेरा विचार है कि हमें प्रायोगिक मनोविज्ञान के मूल सिद्धान्तों एव व्यावहारिक रूप की शिक्षा अनिवार्य बना देनी चाहिए; जिनसे प्रत्येक अध्यापक स्वयं में एक मनोवैज्ञानिक बन सके । इस प्रकार हमारे विद्यालयों में एक पुष्कः मनोविज्ञान-विभाग स्थापित करके हमें प्रशिक्षित विद्वानों की सेवाएँ दिलाने में सफल होंगे । इस कार्य के लिये मन्त्रालयीन शिक्षण भी लाभदायक हो सकते हैं ।

हमारे प्रतिरिक्त मानसिक व शारीरिक विकारों से ग्रस्त बच्चों की

देखभाल, शिक्षा व निर्देशन के लिये भी हमारे यहाँ कुछ विशेष स्तून होने चाहिए। ऐसे बच्चों की आवश्यकताएँ सामान्य बच्चों की आवश्यकताओं से भिन्न होती हैं, अतएव इन बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ रखना शैक्षणिक व नैतिक दोनों ही दृष्टि से अवाञ्छनीय है।

मनोवैज्ञानिक खोज ने इस तथ्य को बूँद निकाला है कि प्रत्येक मनुष्य की व्यावसायिक रुचि एक दूसरे से भिन्न होती है। अतएव यदि हम व्यावसायिक उपरति करना चाहते हैं तो प्रत्येक व्यवसाय के लिए व्यक्तियों का निर्वाचन करने में उनकी रुचि व योग्यता का ध्यान रखना चाहिए। हमारे यहाँ अभी तक व्यावसायिक निर्देशन का भी कोई विशेष प्रबन्ध नहीं है। अपनी शिक्षा समाप्त करने के पश्चात् मनुष्य समस्त व्यवसायों के लिए प्रयत्नशील रहना है और जहाँ भी स्थान मिल जाता है उसी व्यवसाय को अपना लेता है। इंग्लैंड के बड़े-बड़े शहरों में शिक्षा समाप्त करने वाले व्यक्तियों को व्यावसायिक-निर्देशनार्थ उचित प्रबन्ध है। इसी प्रकार अमरीका में भी व्यावसायिक निर्देशन के कार्य में बहुत प्रगति हुई है।

हमारे देश में भी इस प्रकार की व्यवस्था की आवश्यकता है। प्रत्येक शैक्षणिक क्षेत्र में (जो वर्तमान नगरपालिका या नोटिफाइड क्षेत्र के समान है) इंग्लैंड की मुद्राण संस्थाओं (Care Committee) के समान ही संस्थाएँ होनी चाहियें। स्कूल जाने वाले बच्चों के स्वास्थ्य की देख-रेख करना तथा उन्हें उचित निर्देश देना इन संस्थाओं का काम होना चाहिये। स्पष्ट है कि इन संस्थाओं के लिए हमें निदान मनोवैज्ञानिकों की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही एक स्वास्थ्य प्राणीतर भी होना चाहिए। इन दोनों की नियुक्ति पूरे समय के लिए होगी।

ग्रामों की समस्या कुछ कठिन हो सकती है, परन्तु इसका भार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को अपने ऊपर लेना चाहिए।

यहां किननिवम के कार्य के विषय में भी बुद्ध कह देना उपयुक्त होगा ।

निर्देशन के लिए मुख्य और सर्व प्रथम आवश्यकता समस्या की उचित जांच करके उसके ठीक रूप का ज्ञान प्राप्त करना है । इसके लिए निर्देशक को स्वयं उस व्यक्ति से तथा उसके माता-पिता परिवारियों आदि से बातचीत करनी होती है और व्यक्ति विशेष के गुणावगुणों का पूरा जेवा तैयार करना होता है । मिश्राधियों को इन किननिवम में भेजना स्कूलों का कर्तव्य है । निर्देशक में पहिले समय ले लेना उपयुक्त होगा । यदि बच्चे की कठिनाइयाँ आदि के विषय में निर्देशक को पहिले में ही बतला दिया जाय, तो निर्देशक को उसकी परीक्षा करने में भुगमना हो सकती है । बुद्धि-शरीक्षण, अन्निवृत्ति-शरीक्षण तथा अन्य परीक्षणों से भी निर्देशक को बच्चे के व्यक्तित्व के विषय में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त हो सकता है । उदाहरणार्थ इनमें निर्देशक को यह मालूम हो सकता है कि वह बच्चा गव तरह में बचाम में पिछड़ा हुआ है या केवल एक विषय में ही । बच्चा मंदबुद्धि है या उसमें केवल बुद्धि अवरोध है । अवरोध का कारण कोई संवेगात्मक घटक, मानसिक घटक; मिश्रा ग्रहण करने में किसी विशेष प्रकार की कठिनाई, या केवल कोई वातावरण में सम्बन्धित घटक हो सकता है ।

कभी-कभी बच्चों में कुछ शारीरिक बिट्टनियाँ होती हैं । उनके लिए भी बच्चों के रोगों में विशेषज्ञ चिकित्सक की महायता अपेक्षित है । अतएव, प्रायेण बाल-निर्देशन मंत्र्या के साथ ही एक चिकित्सक का रहना भी अनिवार्य है ।

कभी-कभी ऐसा भी होता है कि चिकित्सक के परीक्षा कर लेने पर माधारण उपचार में ही बच्चे का रोग दूर हो जाता है । कभी-कभी यदि माता-पिता को उचित परामर्श दे दिया जाय तो वे ही सावधानी रखकर बच्चे को रोग से मुक्त कर सकते हैं । विशेषज्ञ द्वारा चिकित्सा



की आवश्यकता जटिल रोगों में ही पड़ती है। ऐसे अवसरों पर बच्चों को अनेक बार विलम्ब में जाना पड़ता है; माता-पिताओं को भी उनके साथ जाना होता है और उनका चिकित्सा में हिस्सा लेना होता है। इसका विशेष कारण है माता-पिता को बच्चे के रोग के कारणों से परिचित कराना जिससे वे अपने उनका निवारण कर सकें; इसी कारण से कभी-कभी अद्यापकों के सहयोग की भी अत्यन्त आवश्यकता रहती है।

“बच्चे को उसकी प्रौढ अवस्था में उसकी शक्तियों के अनुकूल उपयोगी और सुखी बनाना”, इस मनोवैज्ञानिक चिकित्सा का उद्देश्य है ‘परीक्षा’ करके उसकी शक्तियों का परिचय प्राप्त किया जाता है और चिकित्सा द्वारा उनको सदुपयोगी बनाया जाता है। बच्चे में अपार शक्ति होती है पर कभी-कभी वह गलत दिशा में लग जाती है। कोई-कोई बच्चा श्रद्धिमान होता है परन्तु साथ ही भावुक अधिक है। ऐसा बच्चा जो काम करता है वह यद्यपि उसकी योग्यता के लिये सरल हो तो भी उसे अत्यन्त असफलता का सामना होता है।

शारीरिक रोगों के लिये एक चतुर डाक्टर सारीर्जन या एस्प्रीन की गोतिया देने की अपेक्षा उस रोग का मूल कारण जानने का प्रयास करता है, क्योंकि वह यह जानता है कि कुछ देर के लिये रोग दूर कर देने की अपेक्षा उसकी जड़ ही नष्ट कर देना अधिक अच्छा है। इसी प्रकार मनोवैज्ञानिक चिकित्सा में भी केवल वाह्य-सूचना प्राप्त कर लेना मात्र ही पर्याप्त नहीं। यदि हम किसी बच्चे का कोई दुष्ट गुण सचमुच ही दूर करना चाहते हैं तो हमें उसके मूल कारण की खोज करनी चाहिये। दण्ड देने से बच्चे की खराब आदत नहीं छुड़ाई जा सकती। हमें इससे गहरे बैठ कर उसका कारण खोजना होगा।

संवेगात्मक-विवृतियों का प्रादुर्भाव बच्चे के सुपुष्ट-मन में होता है। दमन की हुई भावनाएँ बालक के सुपुष्ट-मन में रहती हैं। उन्हीं से

स्नावयिक बठिनाइया उत्पन्न हो जाती है। चिकित्सा की अवधि में चिकित्सक इन्हें उस स्तर में ऊपर लाने का प्रयत्न करता है।

अन्यापन, शूंगापन, बहिरापन आदि विशेष विट्टियों से प्राप्त बच्चों की शिक्षा के लिये विशेष अध्ययन-विधियों का प्रयोग किया जाता है। यदि इन विधियों द्वारा शिक्षा दी जाये तो उत्तम परिणाम निरत्न हैं। शिक्षा प्राप्त करके वह बच्चा उतना अधिक निःसहाय नहीं रहता जितना शिक्षा द्वारा प्राप्त न करने से रहता है।

मानिक चिकित्सा की आवश्यकता तब ही पड़ती है जब कोई विशेष मानसिक विकार हो और उसके स्थायी बने रहने की आशा हो।

## माध्यमिक शिक्षा में सुधार

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् अब तक भारत की स्थिति एवं अवस्थाओं में जो परिवर्तन आए हैं उन सबका अध्ययन अब हमे मूढम रूप से करना चाहिये । हमें यह निर्णय करना है कि जो शिक्षा-पद्धति लगभग डेढ़ सौ वर्ष से भारत में प्रचलित रही है क्या वह अब भी हमारे लिये उपयुक्त है ? हमारे वर्तमान विद्यार्थियों के उत्तरदायित्व अब बहुत बड़े और विशाल हो गये हैं क्या इनके लिये भी वही पुरानी शिक्षा परिपाटी उपयुक्त रहेगी ? इस प्रश्न के उत्तर में सब वर्तमान प्रणाली के प्रति असन्तोष प्रकट करेंगे, क्योंकि सब भारतीय यह जानते हैं कि यह शिक्षा प्रणाली हमारे भारतीय-जीवन एवं परम्पराओं से बहुत भिन्न है । यह न तो हमारे विद्यार्थियों में विचार-शक्ति का विकास करती है और न ही उनकी रचनात्मक-शक्ति का ।

१९८७ में यूनिवर्सिटी कमिशन तथा १९५२ में सेक्रेटरी-गेजुकेशन कमिशन की नियुक्ति इस बात की सूचक है कि अब अधिवासी वर्ग का ध्यान जनता की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की ओर आकृष्ट होने लगा है । प्राथमिक-शिक्षा के लिये बेमिर-पद्धति का महत्व सर्वगम्मत है और अब सीधे ही सारे प्राथमिक-स्कूलों में महात्मा गांधी जी के आदर्श के अनुकूल गित्य को माध्यम बनाकर शिक्षा देने की पद्धति प्रारम्भ कर दी जायगी ।

माध्यमिक शिक्षा अभी तक हमारे शिक्षा-मोपान का सबसे कमजोर भाग है । उनमें अविलम्ब आवश्यक सुधार की आवश्यकता है । हमारी वर्तमान माध्यमिक शिक्षा केवल विताधी शिक्षा है, इसका उद्देश्य केवल यूनिवर्सिटी में प्रवेश पाना तथा मान्य पदों की प्राप्ति मान्य रह गया है ।

मेकेण्डरी-ऐड्जुकेशन कमीशन की नियुक्ति में प्रतीत होता है कि सरकार माध्यमिक शिक्षा के इस अनुचित, दूषित एवं संकीर्ण रूप से अमनुष्ट है और अब उसमें आवश्यक परिवर्तन करने के लिये विशेष उत्सुक है। अब सब यह महसूस करने लगे हैं कि 'मेकेण्डरी-ऐड्जुकेशन' या 'माध्यमिक शिक्षा' शब्द के अर्थ एवं उद्देश्य अधिक विस्तृत हैं, विशेषकर जननन्त्रात्मक राज्य में; जहाँ के प्रत्येक बच्चे को पूर्ण एवं लाभप्रद जीवन व्यतीत करने के योग्य शिक्षा प्रदान करना सरकार का कर्तव्य है। अस्तु: मेकेण्डरी ऐड्जुकेशन कमीशन की नियुक्ति का उद्देश्य यही था कि कमीशन मेकेण्डरी-शिक्षा के उद्देश्यों, प्रयोजनों, पाठ्य-सामग्री (पाठ्यक्रम), विधिषा तथा उनके द्वावहारिक रूप के सम्बन्ध में सूक्ष्म अध्ययन करके अपने सुझाव प्रस्तुत करे। कमीशन की रिपोर्टें अब हमारे सामने हैं। कमीशन ने इनमें से कुछ मस्यौदाओं का सुन्दर मसौदा हमारे सामने रखा है परन्तु इन रिपोर्टों को हम "शानिकारी" नहीं बटु सनने। मेकेण्डरी-ऐड्जुकेशन कमीशन की रिपोर्टें छानने में कुछ 'मस्ताह' पूरा नरेन्द्र देव कमेटी (उत्तर प्रदेश सरकार) ने मेकेण्डरी शिक्षा के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उसमें कुछ हद तक अधिक अच्चे एवं उपयोगी सुझाव रखे गये हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में मेकेण्डरी शिक्षा का रूप निश्चित करने में पहिले शिक्षा के प्राचार्यों को दोनो रिपोर्टों का नयी भाति अध्ययन करना चाहिए। सर्वप्रथम कमीशन ने मेकेण्डरी-शिक्षा के उद्देश्यों को चर्चा करते हुए उनकी अधिक विस्तृत धर्मों में व्याख्या की है, जनतंत्र भारत की जननन्त्रात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति ही इस सब निर्माण का आधार है। यदि सूक्ष्म रीति में परमा जाए तो हम देखेंगे कि केवल भारत ही नहीं, बरन् समस्त जननन्त्रात्मक राज्यों की आवश्यकताएँ एक ही हैं, अतएव कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में उन्हीं बातों को दुहरा रिया है जो हमें अन्य अनेक शिक्षा सम्बन्धी पुस्तकों में मिलती हैं, उन्हीने कोई नये सुझाव नहीं दिये। कमीशन ने इस बात पर बल दिया है कि मेकेण्डरी-शिक्षा की प्रभारारत्मक एवं उपयोगी बनाने के लिये यह आवश्यक है कि

(क) ह्यूमेनीटीज (ख) साइनेज (ग) टेक्निकल-विषय (घ) कमर्शल-विषय (ङ) कृषि (च) ललित कलाएँ (छ) गृह-विज्ञान—अन्यतः जहाँ जिस प्रकार आवश्यकता हो अनिश्चित विषय बढ़ाये जा सकते हैं ।

इस प्रकार के पाठ्यक्रम प्रायः प्रत्येक राज्य में बनाये जा चुके हैं । कहीं-कहीं प्रारम्भ भी किये जा चुके हैं । अनएव कमीशन के तत्सम्बन्धी मूल्यांकन केवल पुनरावृत्ति मात्र प्रतीत होने हैं ।

उत्तर-प्रदेश में इ टरमीजियट-स्टेज को भी हायर-सेकेण्डरी स्कूलों में मिला दिया गया है, अन्तिम चार वर्षों को दो वर्गों में बाँट रखा है, ९ और १० तथा ११-१२ श्रेणियाँ । नरेन्द्र देव कमेटी ने दोनों वर्गों के लिये भिन्न-भिन्न पाठ्यक्रम निर्धारित किए हैं । पाठ्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उ-होने हिन्दी-यत्र में संस्कृत को भी अनिवार्य स्थान दिया है तथा उसी का एक अंग बना दिया है । पाठ्यक्रम में संस्कृत को मुख्य स्थान देने का प्रमुख कारण यह है कि संस्कृत की गम्यक शिक्षा हिन्दी का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करती है । संस्कृत पढ़ने में विद्यार्थियों के सांस्कृतिक, सामाजिक एवं नैतिक विचारों को प्रेरणा प्राप्त होती है ।

उत्तर-प्रदेश के नवीन पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषयों का समावेश किया गया है :—

९ तथा १० श्रेणियाँ :—(१) हिन्दी-संस्कृत उसका एक मुख्य अंग है (२) हिन्दी के अनिश्चित एक अन्य धार्मिक भारतीय भाषा अथवा एक धार्मिक प्रोरोरीय भाषा (३) गणित अथवा गृह-विज्ञान (केवल लड़कियों के लिए) (४) निम्नलिखित वर्ग में से कोई सा एक वर्ग :— (क) साहित्य (ख) विज्ञान (ग) कृषि (घ) प्रि-टेक्निकल (ङ) कला (चुन ल विषय) ।

११ तथा १२ श्रेणियाँ :—१ तथा २ उपरोक्त वर्गों के समान ३ शीघे के वर्गों में से कोई एक (क) साहित्य (ख) विज्ञान (ग) कला (घ) कृषि (ङ) कमर्शल (चुन पाँच विषय) ।

उन पाठ्यक्रम को प्रारम्भ करने में दो प्रमुख बातें माननी हैं। पहली बात तो यह है कि वर्तमान प्रचलित म्धारों में यह परिष्करण किया जावे और केवल कुछ महत्वपूर्ण विषय ही प्रारम्भ में रखे जाएं। उदाहरण के लिए इन नवीनता को प्रारम्भ करने के लिये पर्याप्त धन की आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि यदि विद्यार्थियों के लिये उचित एवं दिग्दर्शनीय मार्ग-निर्देशन (guidance) का प्रबन्ध नहीं किया गया तो यह योजना अधिक सफल नहीं हो सकेगी। मार्ग-निर्देशन की व्यवस्था करने के लिये भी केन्द्रीय एवं राज्य की सरकारों को जायदा धन व्यय करने की आवश्यकता पड़ेगी। यदि धन के अभाव के कारण उन मुद्दों को कार्यक्रम में परिचित नहीं किया गया तो भी उचित नहीं होगा।

मेकेन्ड्री-नियमा के लिए जिस प्रकार अधिक धन प्राप्त किया जा सकता है इस विषय में भी कमीशन ने कुछ सुझाव दिये हैं। 'एडिज्मन्ट एडुकेशन क्लब' का अधिक पहलू ही किया जा सकेगा है। उनके परिष्कृत कमीशन ने यह सुझाव भी दिया है कि राष्ट्रीय उद्योगों एवं कम्पनियों आदि को धान का कुछ प्रतिशत भाग टेक्निकल शिक्षा के लिए देना चाहिए। साथ ही, मन्त्रालय कर तथा कस्टम-दुर्ग्री आदि में भी शिक्षा के निर्दिष्ट पैसा देने का सुझाव दिया गया है। उनके परिष्कृत इस सम्बन्ध में कमीशन ने भी बड़ी पुगता सुझाव और दिया है कि केन्द्रीय सरकार को मेकेन्ड्री-नियमा की उपरि के लिए अधिक से अधिक धन देने का प्रयत्न करना चाहिए। धन की यह व्यवस्था लेनी है कि पर एक छोटे से पूरा पूरा जोर देने की आवश्यकता है अन्यथा मेकेन्ड्री-नियमा कमीशन की रिपोर्ट की कारिदा केवल आदर्श-रिपोर्टों की सीमा बसाने के ही काम आयेगी।

पाठ्य-मुद्दों के सम्बन्ध में भी कमीशन ने सन्धान प्रकट किया है। सन्धि कमीशन ने पाठ्य-मुद्दों के सम्बन्ध को पूर्ण तरह स्वीकार किया है परन्तु वह वर्तमान पाठ्य-मुद्दों के विषय, वेद-धन आदि में

बच्चों का महीने में अथवा पन्द्रह दिन में एक बार टेस्ट अवश्य लेते हैं जिससे उनकी दैनिक प्रगति का पता चल जाय। इन टेस्टों का तय बच्चों को जो घर का काम दिया जाता है उसका पूरा रिपोर्ट रखा जाता है; बच्चों के माता-पिता के पास बच्चों की मासिक रिपोर्ट भेजी जाती है। यह रिपोर्ट केवल उनकी पढ़ाई-लिखाई के बारे में ही नहीं होती, बल्कि उनके अन्य कार्यों की भी होती है। इन रिपोर्टों को यथा-शक्ति रोचक एवं लाभदायक बनाने का प्रयास किया जाता है। इसके अनिश्चित वर्ष में तीन बार उनकी परीक्षा भी ली जाती है। इसका समय तो निश्चित होता है परन्तु यह नहीं बताया जाता कि किस विषय की परीक्षा किम दिन होगी। वर्ष के अन्त में कक्षा टीचर प्रत्येक बच्चे का रिपोर्ट तैयार करके उन्हें अन्य अध्यापकों की मीटिंग में उनके सामने रखता है। विभिन्न विषयों में बच्चे की प्रगति पर उनका उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण होना निर्भर करती है। कभी-कभी अध्यापकों की सम्मति पर किसी विद्यार्थी को वर्ष के बीच में भी दूसरी कक्षा में चढ़ा दिया जाता है। किसी-किसी बच्चे को किसी विशेष विषय के लिए ऊँची कक्षा के साथ पढ़ने की अनुमति भी दी जाती है। इस बात की पूरी कोशिश की जाती है कि बुद्धिमान् एवं चतुर बालकों की प्रगति में कोई व्यवधान न पड़े।

अस्तु, स्पष्ट है कि इस स्कूल में बच्चों की उन्नति उनके दैनिक काम पर निर्भर करती है। अन्य स्कूलों में जिस तरह परीक्षाएँ होती हैं वह रीति इस स्कूल में नहीं है। हमने 'औपचारिक परीक्षाओं' तथा 'परीक्षाएँ बिल्कुल न हो' इन दोनों सीमाओं में दूर रहकर मध्य में रहने का प्रयत्न किया है।

कभी-कभ ने शैक्षणिक प्रक्रिया में अध्यापक के महत्व पर बहुत बल दिया है और यह ठीक भी है। शिक्षा की सफलता अध्यापक की निपुणता पर निर्भर करती है, क्योंकि अध्यापक ही शिक्षा के विद्यार्थियों, उसके

नस्वों को कार्यरूप में परिणित करने का एवमात्र माध्यन है। अस्तु, उत्तम, गुणवान एवं पुनाय अध्यापकों को इस क्षेत्र में लाने की एक बड़ी समस्या है। यह तब ही हो सकता है जब हम इस व्यवसाय को आकर्षक बनायें तथा अध्यापकों का प्रशिक्षण एवं चुनाव ठीक-ठीक हो। कमीशन ने इसके लिए आकर्षक तनव्याह देने का सुझाव दिया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी मन्त्र प्रगट किया है कि अध्यापक को उसकी योग्यता के अनुकूल वेतन देना चाहिए, वह किस स्कूल में पढ़ाता है अथवा किस पद पर है यह बातें उसका वेतन निर्दिष्ट करने का मापदण्ड नहीं होनी चाहियें। अध्यापकों के लिए पेगन प्रोवीडेंट-फंड; इन्डोरिंग की योजना सारे राज्यों में स्वीकार कर लेने का भी उन्होंने सुझाव दिया है। जिससे अध्यापक अधिक लगन में काम करें तथा उनकी कुशलता बढ़े। इस व्यवसाय को अधिक आकर्षक बनाने के लिये उन्होंने यह सुझाव भी दिया है कि अध्यापकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाय तथा उनकी तथा उनके परिवार की चिकित्सा निःशुल्क की जाय। पचायत बोर्ड बनाने का यह काम अवश्य होगा कि स्कूल के संचालक अध्यापकों को व्यर्थ परेशान न कर सकेंगे।

ट्रेनिंग-कालिजों के लिए विद्यार्थियों एवं अध्यापकों का चुनाव करना एक अटल समस्या है, परन्तु प्राप्त्य की बात है कि कमीशन ने इस घोर बहुर ही कम ध्यान दिया है। पनाकार के समान अध्यापक में भी अध्यापन का गुण (कला) जन्मजात होता है। यह प्राप्त्यक नहीं कि एक विद्वान अथवा अध्यापक भी हो। इसलिये अध्यापक का चुनाव करते समय ध्यान रखना चाहिए कि जिस व्यक्ति को इस काम में स्वाभाविक रुचि हो उसे ही चुना जाय। हमारा विचार तो यह है कि जो व्यक्ति अध्यापक बनना चहे उसे अपने जीवन में जल्दी ही निश्चय कर लेना चाहिये। इसके यह लाभ होगा कि वह दफ्तर, यो० ए० में ऐसे ही विराम पड़ेगा जो उसके भावी व्यवसाय में काम आए। इस सम्बन्ध में हमारा सुझाव यह है कि जो व्यक्ति अध्यापक बनना चाहते हैं उनके



## प्राथमिक शिक्षा की समस्याएँ

लिये चार वर्ष का विशेष पाठ्यक्रम होना चाहिये। इन चार वर्षों में से तीन वर्ष यूनिवर्सिटी में तथा एक वर्ष वा कोर्स ट्रेनिंग-कालेज में होगा। डिग्री-कोर्स में उन्हें शिक्षा के दर्शन एवं व्यावहारिक रूप का कुछ अध्ययन अवश्य करना चाहिये। जो अध्यापक स्कूलों में काम कर रहे हों उनके लिए भी रिफ्रेशर्स कोर्सों का आयोजन अवश्य होना चाहिये जिससे अपने विषय की नवीनतम बातें उन्हें मालूम हो सकें।

नेकेंडरी-स्कूलों को प्रादर्श बनाने के लिये दो मुख्य बातें कमीशन ने और स्वीकार की हैं। उनका मत है कि स्कूलों की बातों में अधिकारी-वर्ग की ओर से व्यर्थ एवं अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये, स्कूलों की अपनी बातों, समस्याओं आदि के समाधान की स्वतन्त्रता होनी चाहिये, अन्यथा अध्यापकों की समस्त रचनात्मक शक्तियों का दमन हो जाता है, वे स्वयं कुछ करने को तैयार नहीं होते। अपनी-अपनी श्रेणियों में अपने-अपने विचारों के अनुकूल काम करने की स्वतन्त्रता सब अध्यापकों को होनी चाहिये। कमीशन वा यह मुझाव सर्वमान्य है। आज वा युग प्रयोगवादी है। शिक्षा एक गत्यात्मक विज्ञान है, और स्कूलों में किये गये प्रयोगों पर ही इसकी उन्नति अथवा गति निर्भर है। इस संबंध में पंजाब-शिक्षा-विभाग ने जो प्रयत्न किये हैं उनका उल्लेख करना अनुचित न होगा। पंजाब-राज्य में कुछ स्कूलों को शिक्षा-विभाग ने पूर्ण स्वतन्त्र कर दिया है। पाठ्यक्रम निर्धारित करना, पाठ्य-पुस्तकों का चुनाव करना, अध्यापन-विधियों का चुनाव करना, परीक्षा तथा पाठ्य-क्रम-संशोधन आदि का आयोजन करना आदि बातों में स्कूलों को पूरी स्वतन्त्रता प्रदान कर दी गई है।

यह मेरा दृढ़ विश्वास रहा है कि स्कूलों के दैनिक कार्य-क्रम के परवान् यदि उनका प्रयोग कम्यूनिस्ट-सेन्टमें के रूप में किया जाये तो द्वितीय मजदूर-शिक्षा योजना की बहुत सहायता हो सकती है। इसके अतिरिक्त बच्चों के माता-पिता उन स्कूलों के अधिक सम्पर्क में आ सकते

है जिनमें उनके बच्चे पढ़ते हैं। बच्चों की शिक्षा की सफलता माता-पिता तथा स्कूल दोनों के सहयोग पर निर्भर करती है। दोनों जितने अधिक और निकट सम्पर्क में आयेंगे उतना ही अच्छा है। कमीशन ने भी यह सुझाव दिया है और मुझे आशा है कि इस क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति इस ओर ध्यान दें।

## शिक्षा की उन्नति में शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान

हमारे देश में बारम्बार, समय-समय पर, शिक्षकों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है। इसका प्रथम कारण तो यह हो सकता है कि हम अध्यापक के महत्व को अच्छी तरह नहीं समझते। दूसरा कारण यह हो सकता है कि हमारी श्रद्धा की भावना अनुकूल श्रादशों पर अवलम्बित नहीं है। इनमें दूसरा कारण ही अधिक सत्य प्रतीत होता है क्योंकि दीर्घकाल तक दागता के वधन में जबड़े रहने के कारण हमने अपने जीवन में वेदल भय व शक्ति पर ही श्रद्धा करना सीखा है। सदाचार, वृत्तशता आदि सदगुणों की हमने मदा ही हमी उदाई है। अतः स्वतंत्र शिक्षा की रूपलता के लिए शिक्षा के विषयो व मापनो आदि में भी परिदतन होना चाहिए। विन्तु परिदतन में समय सगता है। इस समय जनता ने अधिक आशा करना अत्यचार है। इस कार्य का भार केवल शिक्षको पर ही नहीं वरन् शिक्षा-विभाग पर भी है।

### शिक्षकों का वेतन तथा प्रशिक्षण

अध्यापकी का वेतन, यदि अधिक नहीं तो, अन्य समान योग्यता के सरकारी पदाधिकारियों के वेतन जितना अवश्य होना चाहिए। इस विषय में कुछ प्रान्तीय सरकारों ने थोडा बहुत कार्य किया है, किन्तु वह सभी आदर्शों से बहुत दूर है। यदि शिक्षा-मन्त्रालय में यथायं उन्नति हो

जाय तो निश्चय ही योग्य व्यक्ति इन धोर भावपित होंगे । उन्नति में शिक्षकों के प्रशिक्षण का उचित प्रबन्ध भी समाविष्ट होना चाहिए ।

### संस्थाओं का ठोस व्यवसायात्मक कार्य

व्यक्तिगत व सहायता द्वारा संचालित शिक्षा-संस्थाओं (Private and aided institutions) में बहुत परिवर्तन की आवश्यकता है । यह संस्थाएँ अधिकतर ठोस व्यवसायात्मक होती हैं । उनकी दृष्टि मूलतः आर्थिक लाभ पर ही रहती है । शिक्षा-व्यवसाय के पतन का यही कारण है तथा इसी कारण यह इतना हीन कार्य समझा जाने लगा है । अतः इन संस्थाओं की धोर में सतर्क रहना चाहिए तथा यथासाध्य उन्हें अपेक्षित दिशा में मोड़ना चाहिए । "विश्वविद्यालय आयोग" की ही भांति इन कार्य के लिए भी एक कमीशन बँटाना चाहिये ताकि वह इन विषय में सयोजित जाँच-गढ़ताल करके कुछ रचनात्मक और व्यावहारिक सुझाव दे सके ।

### शिक्षक के निजी कर्तव्य

यह सब हो जाने पर भी शिक्षक को अपने अधिकारों की रक्षा के लिये स्वयं धरनेवा ही लड़ना पड़ेगा । इसके लिये शिक्षक को चाहिये कि यह धरने धारम-सम्मान व योग्यता की भावना का विराग करे और देशवासियों को यह दिशा दे कि वह भी देश के लिये एक महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है ।

आधुनिक समाज में थडा व मन का भापो बहुधा वही होता है जिसके पास धन व उच्च पद हों । शिक्षकों में सौखिक दृष्टि में इन दोनों चीजों का अभाव-भा है । जो क्या आश्चर्य कि उनकी समा ऐसी दयनीय है । परन्तु यह दृष्टिकोण ही भ्रान्ति-मूलक है जिसे हमें सुधारना है ।

हमारे सामने हेराल्ड लास्की व आइन्स्टाइन के उदाहरण हैं जिनके सम्मुख राजा व प्रधान मन्त्री तक सिर झुकाते थे। हमारे सम्मुख भारत के प्राचीन गुरुओं का उदाहरण है जिनके सामने नत-मस्तक होने में बड़े-बड़े मन्त्राट् भी गौरव और सौभाग्य का अनुभव करते थे। इन आदर्शों को सामने रखकर यदि हम शिक्षक आत्मोन्नति की भावना से प्रेरित हों तो बहुत कुछ हो जायेगा। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, हमें कठिनाइयों से लड़ना पड़ेगा, बटिन से बटिन कार्य करना पड़ेगा, ताकि हम शिक्षा-व्यवसाय से सम्बन्धित सारे दोषों को दूर कर सकें।

### अनुशासन व शिक्षा

अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें सगठन की आवश्यकता है। सगठन से हमारा अभिप्राय सरकार के विरुद्ध आन्दोलन करना अथवा सरकार की अवहेलना करना नहीं है, बल्कि स्वयं अपने को इस प्रकार अनुशासित करना है कि अपने कर्तव्यों का समुचित पालन करते हुए हम अपने अधिकारों को जता सकें तथा अपनी आवश्यकताओं की ओर यथेष्ट ध्यानाकर्षक कर सकें। इसके लिये हमें उपयुक्त संस्था स्थापित करनी होगी जिसका ध्येय्य शिक्षण-व्यवसाय में सुधार लाना होगा। इसके नियम ऐसे होंगे जो इन समस्या के मान्य होने में किसी प्रकार भी बाधक नहीं होंगे। मेरे विचार से शिक्षकों की इस सगठित संस्था में सरल व्यवहार व चरित्र आदि के निश्चित नियम होने चाहियें, तथा इन नियमों को लागू करने के लिए प्रान्तीय समिति आदि भी नियुक्त होनी चाहिए। समाचार पत्र व व्यवसाय-सम्बन्धी ऐसी सगठित संस्थाओं का सरकारी विभाग में भी यथायं महत्त्व है। क्या कारण है कि शिक्षकों की संस्था भी उन्हीं के समान प्रतिष्ठित नहीं हो सकती? मेरा विचार है कि यदि हम वास्तव में उसको उपयोगी बनाएँ तो निश्चय ही सरकार को शिक्षा-सम्बन्धी प्रत्येक समस्या के सुलझाने में हमारे सहयोग की आवश्यकता दीगर पड़ेगी।

### कार्य-क्रम

इस कार्य की सूची बनाना तो सम्बन्धित विभागों से  
 बर्तव्य है, किन्तु मेरे विचार से निम्नलिखित कुछ कार्य ही  
 शीघ्र ही ध्यान दिया जाना चाहिये :

१. द्यूगन—मेरे द्यूगन का विरोधी नहीं है, किन्तु शिक्षकों के  
 पर जाकर पढ़ाना अथवा कुछ मुलक पर ही द्यूगन करने का  
 विरोध मैं गर्वय करता हूँ। कभी-कभी निश्चिन्ता यह रहती है कि  
 शिक्षक किसी छात्र को किसी विदेशी परीक्षा के विषय में  
 उद्यत हो जाते हैं। मैं जानता हूँ कि हमें अपने मुच्छ वेतन के कारण  
 ही आवश्यकता होती है, फिर भी, अपने को बन्ना को उदा  
 दृष्टि में गिराना सोना नहीं देता।

भाय के लोभ में फँस कर बहुत से शिक्षक द्यूगनों में इतने मग्न  
 रहते हैं कि वे अपने विधानम के कार्य को भी भूल जाते हैं। थडा व  
 विद्वान का सुयोग्य पात्र बनने के लिये अध्यापक को अपने बर्तव्य का  
 भली भाँति ध्यान रखना चाहिए। इस सम्बन्ध में प्रत्येक शिक्षक के लिए  
 द्यूगनों की निश्चित संख्या व निश्चित समय होना चाहिए व शिक्षकों के  
 पर जाकर समय परीक्षा के कुछ ही पहले द्यूगन करने पर प्रतिबंध  
 लगा देना चाहिए। इन नियमों का उन्मथन करने पर शिक्षक को  
 उचित दंड मिलना चाहिये।

२. प्रकाशन-कार्य—उर्ध्व अध्यापक पुस्तकें आदि लिखते हैं। यह  
 प्रत्येक शिक्षक के लिए अनिवार्य का मापन होना चाहिए। किन्तु हमारे  
 देश में इस कार्य की संख्या बहुत कम है यह ही हमें दूर हो जानी  
 चाहिए। देशों व कृत्यों आदि में शिक्षक की बोड़ी बहुत धाय प्रयत्न  
 होती है किन्तु उनके लिए उचित प्रकाशन की आवश्यकता नहीं करनी  
 पड़ती है। कभी-कभी उचित व उदात्त प्रकाशन की प्रवृत्ति के अभाव में प्रकाशन

अपने नाम पर नगण्य से नगण्य लेखक के लेख आदि भी प्रकाशित किए जाने पर राजी हो जाते हैं। इसका परिणाम यह है कि आज प्रकाशक यही समझते हैं कि प्रत्येक शिक्षक अपना 'नाम बेचने' को तैयार है और चूँकि वे अपने काम में वृत्तकार्य होते जाते हैं उनकी ऐसी मनोवृत्ति बढ़ती जाती है। प्रकाशकों की इस दूषित मनोवृत्ति को दूर करने के प्रयत्न नहीं हुए हैं बल्कि कभी-कभी ऐसे-ऐसे कार्य कर दिये जाते हैं जिनसे उग मनोवृत्ति को बल मिलता है। यथा—कोई शिक्षक अपनी लिखी परन्तु किसी प्रकाशक द्वारा प्रकाशित पुस्तक को बेन-बेन-प्रकारेण पाठ्य क्रम में स्थान दिलाकर उसकी बिक्री बढ़वा देता है, जिसके कारण बात प्रकट होने पर उसे अपमान का भाजन होना पड़ता है।

शिक्षकों व प्रकाशकों का पारस्परिक सम्बन्ध अनिच्छ होना चाहिए। घुंन हुए कुछ प्रकाशकों की सूची रहनी चाहिए। प्रथकार को निश्चित शुल्क मिलना चाहिए। तथा उसका सर्वाधिकार सुरक्षित रहना चाहिए।

प्रकाशन कार्य की देखभाल व संचालन के लिए शिक्षकों का एक सहयोग सध होना चाहिए। इस प्रकार शिक्षक अपने परिश्रम के सम्यक् लाभ उठाने में समर्थ होंगे और साथ ही पुस्तकों व लेखों आदि को अधिक उपयोगी बना सकेंगे। इस दिशा में लखनऊ के 'टीचर्स को-ऑपरेटिव जेनरल एण्ड पब्लिशर्स लिमिटेड' का कार्य शुरु है। इस सरथा का संचालन शिक्षक स्वयं ही करते हैं। यहाँ से शिक्षकों के लिए लाभकारी पुस्तकें व पत्र आदि प्रकाशित किए जाते हैं। अब उ-होने अपना निजी प्रेम भी खोल रहा है। ऐसी सस्थाएँ सभी प्रान्तों में होनी चाहिए।

### सहायक पुस्तकें

आज सारा बाजार सस्ती सहायक पुस्तकों व नोट्स से संचालित भरा हुआ है। फलस्वरूप हमारे विद्यार्थी वक्षा के कार्य व अध्यापक की ओर

विशेष ध्यान नहीं देते, क्योंकि वे समझते हैं कि परीक्षा में कुछ काम करने महायुक्त पुस्तकों आदि में से कुछ महत्व पूर्ण प्रश्नों के उत्तर रट लेने पर ही वे परीक्षा में उत्तीर्ण हो जायेंगे। किन्तु प्रश्न यह है कि क्या इस प्रकार की क्रिया शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति किसी भी ढंग में करती है? जो शिक्षक ऐसी पुस्तकें लिखते हैं वे शिक्षा-व्यवसाय के घोर शत्रु हैं। क्या एक तुच्छ पुस्तक शिक्षकों के स्थान की पूर्ति कर सकती है? यदि जनता की विश्वास हो जाय कि वह कर सकता है तो हम उम्मेद किसी प्रकार के मान-आदर की धाना नहीं रख सकते।

### उन्नत शिक्षा-कार्य

इन सस्ती पुस्तकों व नोट्स आदि की प्रत्येक शिक्षालय में होती बना देनी चाहिए (ऐसी पुस्तकें हस्तगत हो तब तो ! छात्र तो उन्हें स्कूल में बदाचिन् ही लाते हैं, उनका अधिकतर व्यवहार घर पर ही करते हैं—म०)। पुस्तक की अपेक्षा शिक्षा के महत्व की अधिक मान मिलना चाहिए। मेरा विचार है कि कानून द्वारा ऐसे साहित्य के प्रकाशन व विषय पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाय।

### शिक्षकों का उत्तरदायित्व

जगर जो कुछ कहा गया है वह वित्तीय एकांगी मालोचना के रूप में कौरा निर्दान-प्रतिदान समझा जायगा यदि दो एक सख्त शिक्षकों के उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में भी न कहे जायें। क्योंकि यद्यपि एक घोर यह सत्य है कि एक योग्य शिक्षक दूसरे व्यक्ति के हृदय में घपने लिए श्रद्धा की भावना जाग्रत करने में समर्थ होता है तो दूसरी धार यह भी साथ है कि बहुरस्यक अध्यापन प्रणाली केन्द्रों में सीधे हुए छात्रों का पाठनानाओं में कम उपयोग करते हैं, क्योंकि बंधा करने में विशेष श्रम की आवश्यकता होती है। पूर्ववत् प्रणाली-काल के पहले जैसा ही,



कुछ विद्यार्थी की डिग्रियों आदि से ही सन्तुष्ट हो जाते हैं। इस विषय में अभी तक कोई रिसर्च भी नहीं की गई है। हमारे पास कोई ऐसा मूत्र नहीं है जिसके द्वारा हम इस समस्या को सुलझा सकें। अभी तक इस विषय पर कि—अध्यापक के विशेष गुण क्या होने चाहिएँ मतभेद है। अस्तु, हमें अपने तरीके स्वयं बना कर अध्यापकों का चुनाव करना पड़ता है। अध्यापकों को चुनने के तरीके बना कर उनके परिणाम देखने चाहियें तब ही किसी निश्चय पर पहुँच सकेंगे। कमोजन ने इस सम्बन्ध में जो मुझाव पेश किये हैं वे अस्पष्ट से हैं, और अधिक लाभदायक भी नहीं प्रतीत होते। आशा है कि संकेन्द्री-दिज्ञा-प्रसार के निमित्त अध्ययन करने के लिए जो विशेषज्ञ नियुक्त किए गये हैं वे इस सम्बन्ध में कुछ अच्छे मुझाव देंगे। किसी अध्यापक की अध्यापन-योग्यता की जाच करने का मेरे विचार से सर्वोत्तम उपाय यह है कि पढाते समय उमका निरीक्षण किया जाय और बाद में मत स्थिर किया जाय। अध्यापकों को चुनने समय, मेरे विचार से निम्नलिखित बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए —

१. माता-पिता की इच्छा (२० प्रतिशत भाग)
२. विद्यार्थी का निजी भुझाव (४० प्रतिशत भाग)
३. स्कूल के मुख्य अध्यापक तथा उमके अध्यापकों के विचार (२० प्रतिशत भाग)
४. (यदि हो सके तो) बुद्धि तथा व्यक्तित्व परीक्षण के परिणाम (२० प्रतिशत भाग)

इस आधार पर विद्यार्थी का निर्वाचन करके उसे कुछ पढाने का अवसर देना चाहिये तथा उसकी गतिविधि का अच्छी तरह निरीक्षण करना चाहिये। इसके बाद जो विद्यार्थी चुने जायें उनमें से अंतिम चुनाव में जिन विद्यार्थियों के स्कूल का जीवन अच्छा रहा हो उन्हें माध्यमिक स्कूलों में अध्यापकों का काम करने के लिए तैयार करने के निमित्त

द्वितीय ट्रेनिंग कालेज की अनुमति दे देनी चाहिए । शेष जूनियर ट्रेनिंग संस्थाओं में जा मरने हैं । संस्थाओं में भी ट्रेनिंग की अवधि दो वर्ष की अनिवार्य होनी चाहिए । कमीशन ने भी इसका समर्थन किया है । कुछ राज्यों में तो ये बोर्ड दो वर्ष के होते ही हैं ।

ट्रेनिंग कालेजों के बोर्ड के लिए नई महीने का समय बहुत कम है । इनके में समय में विद्यार्थी वह सब कुछ नहीं सीख पाते जो उन्हें सीखना चाहिए और न ही उन्हें वह सब कुछ सिखाया ही जा सकता है । जैसा कि कमीशन ने भी कहा है, अभी कुछ समय तक ट्रेनिंग की अवधि बढ़ा देना सम्भव नहीं है; इसलिए मेरा विचार है कि यदि साध्यमिक-दाला शिक्षक की ट्रेनिंग द्वितीय कक्षा के प्रथम वर्ष में ही प्रारम्भ कर दी जाय तो बी० टी० छपवा बी० एड० की अवधि बढ़ाने की आवश्यकता ही न रहे । इस व्यवस्था में एक मान यह भी होगा कि जो विद्यार्थी अध्यापक बनना चाहेंगे वे बी० ए० में थियोसोफी और इकांतो-मिक्य जैसे दस-विषय जो स्कूलों में नहीं पढ़ाये जाते, नहीं लेंगे । इसके विपरीत ऐसे विषय जैसे त्रिकोण वे अखंड अध्यापक बन सकते हैं । ऐसे अध्यापकों की आवश्यकता बहुत आवश्यकता है ।

ट्रेनिंग संस्थाओं का पाठ्य-क्रम क्या हो ? यह प्रश्न संस्थाओं के ऊपर छोड़ देना चाहिए । प्रत्येक प्रशिक्षण संस्था की अपनी विशेषता होनी चाहिए । पाठ्य-क्रम सैद्धांतिक पक्ष पर ज्यादा बल दिया जाता है, मेरा विचार है इसके स्थान पर व्यावहारिक पक्ष पर अधिक बल देना चाहिए ।

इस सम्बन्ध में राष्ट्राध्यक्ष कमीशन के सुझावों पर विशेष ध्यान देना चाहिए । मेरेपक्षी-संरक्षक कमीशन ने भी इन सुझावों का समर्थन किया है ।

ट्रेनिंग में सैद्धांतिक प्रशिक्षण के उद्देश्य यह हैं कि विद्यार्थी :—  
 १. शिक्षा के विस्तृत क्षेत्रों, व्यक्ति तथा समाज की आवश्यकताओं

से उनके सम्बन्ध इत्यादि के विषय में जो सिद्धांत हैं उनका परिचय प्राप्त कर सकें।

२ पढ़ाने के उद्देश्य और विधियों का परिचय प्राप्त करें।

३ तथा शिक्षा-विकास के क्रम से परिचित हों। मंडांतिक भाग में व्यर्थ की बहुत सी बातें नहीं होनी चाहियें, वरन् उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को पुस्तकालय में पढ़ने, वाद-विवाद में भाग लेने आदि का अवसर देना चाहिए। उन्हें ऐसे अवसर देने चाहिये जिनमें उनकी कल्पना-शक्ति, विचार व तर्क-शक्ति पुष्ट हो। प्रत्येक ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट में ट्यूटोरियल-सिस्टम होना चाहिए अर्थात् लगभग १० विद्यार्थी एक अध्यापक के सुपुत्र होने चाहियें। प्रत्येक समूह के कार्यक्रम में वाद विवाद, तर्क, निबन्ध-पाठन आदि को म्यान मिलना चाहिये। समा के पश्चात् वाद-विवाद के लिए भी उन्हें समय देना चाहिए। शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि क्लास के वाद-विवाद में केवल दो-चार विद्यार्थी ही प्रमुख न रहें वरन् सब को अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिले। आजकल ट्रेनिंग कालेजों में जो भाषण-पद्धति प्रचलित है उसका प्रयोग बहुत कम होना चाहिए। विशेष विषयों पर भाषण होने चाहिये, वे भी ऐसे हो जिनमें विद्यार्थी और अध्यापक दोनों की योग्यता बढ़े।

अध्यापक-प्रशिक्षण के व्यावहारिक पक्ष के सम्बन्ध में प्रचलित रीति यह है कि प्रत्येक छात्र-अध्यापक को प्रतिदिन दो या तीन पीरीयड के डिमांड में लगभग एक महीने पढ़ाना पड़ता है। वे जो पाठ देते हैं उनका सूक्ष्म रीति में निरीक्षण और आलोचना की जाती है। यह सही है कि विधिपूर्वक इस प्रकार पढ़ाना प्रशिक्षण का मुख्य अंग है परन्तु यह भी सत्य है कि केवल यही महत्वपूर्ण नहीं है। माडल-प्रेजेंटेशन-स्कूट-टीचर-कमीशन ने भी प्रत्येक ट्रेनिंग कालिज के साथ एक प्रैक्टिसिंग स्कूल

होने पर बल दिया है, परन्तु, मेरा विचार है कि यह स्कूल केवल एक कृत्रिम वातावरण उपस्थित करता है। यहाँ छात्र अध्यापकों के सामने के समस्याएँ नहीं आती जो आये जाकर उन स्कूलों में उनके सामने आती हैं जिनमें वे पढ़ाते हैं। यदि आदर्श यथार्थता में बहुत दूर हो तो उगरी उपयोगिता नहीं रहती। मेरा मुझपर तो यह है कि प्रत्येक छात्र विभी एक स्कूल में उग स्कूल का एक सदस्य बनकर रहे, उसे अध्यापन न समझा ज्ञ.य, उसे कोई ऐसा व्यक्ति न समझा जाय जिसके साथ स्कूल के अन्य अध्यापक तथा प्रबन्धक कोई विशेष व्यवहार करें या उगरी मुविधा आदि का विशेष ध्यान रखें। इसके विपरीत उसे अन्य अध्यापकों की भाँति स्कूल में रहना चाहिए, उसके साथ सब काम करना चाहिए, उसकी भाँति ही स्कूल के प्रति अपना उत्तरदायित्व स्वयं सम्हालना चाहिए।

छात्र-अध्यापकों को कुछ बना प उद्योग तथा श्रवण-दृष्टि-सहायक माधन बनाने तथा सम्हालने की शिक्षा भी आवश्यक मिलनी चाहिए। कुछ मस्यारों में इन शिक्षा को आवश्यकता में अधिक महत्व दिया जाता है, यह भी ठीक नहीं है। हमें उन्हें ड्राइंग के या आर्ट या क्राफ्ट के शिक्षक नहीं बनाना है। एक और बात, मेरे विचार में महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक अध्यापक को महत्वपूर्ण शिक्षण-गतिधियों का व्यवहारिक ज्ञान आवश्यक होना चाहिए, उदाहरण के लिए मोन्टेगोरी एग्रीमेंट तथा फ्राइबल के गिण्टों को उपयोग करना प्रत्येक अध्यापक को जानना चाहिए। इन बातों में उनका परिषद बनाने के लिए एक उत्तम तरीका यह होगा कि उन्हें उन स्कूलों में ले जाया जाय जो इन विभिन्न पद्धतियों पर चलते हैं और उन्हें माधनो को उपयोग करने का अवसर दिया जाय। खेन, स्पाउटिंग, रेड-क्राफ्ट आदि की शिक्षा सेना भी उनके लिए प्रतिवार्य है। परन्तु इन सब चीजों पर ध्यान और आवश्यकता में अधिक बल देना अन्यायनीय है। हमारा उद्देश्य केवल यही है कि छात्र-अध्यापकों

को यथासम्भव विस्तृत ज्ञान प्रदान किया जा सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए छात्रालययुक्त ट्रेनिंग-कानिज अधिक उपयोगी सिद्ध होंगे।

व्यवसाय-प्रशिक्षण संस्थाओं में लिखित-परीक्षा का महत्व बहुत कम हो जाता है। इन संस्थाओं का उद्देश्य तो केवल यह होता है कि इनके विद्यार्थी अधिक से अधिक व्यवहार-कुशल तथा अनुभवी बनें; यह नहीं कि वे केवल तथ्य आदि ही रट लें। यद्यपि मेरी बात कुछ क्लिष्टकारी सी लगे, परन्तु, फिर भी मेरा यही कहना है कि बी० टी० या बी० एड० में अतिम वापिक लिखित परीक्षा न ली जाय। इसके स्थान पर प्रत्येक छात्राध्यापक के वापिक कार्य की सूक्ष्म जांच की जाय। जो विद्यार्थी वर्ष भर लायब्रेरी का प्रयोग करता है, जो मन्तव्यजनक पाठ देता है, जिसमें कुछ उत्कृष्ट दृष्टिकोण हों, जो महत्वपूर्ण साधनों का उचित प्रयोग करना जानता है, जिनके निबन्धों, वाद-विवाद आदि से यह प्रतीत हो कि वह विषय को भली भाँति समझता है, उस विद्यार्थी की ट्रेनिंग वस्तुतः ठीक मान लेनी चाहिए। यूनिवर्सिटी-परीक्षा का परिणाम उनके लिए कुछ महत्व नहीं रखता। मुझे स्मरण है बिना मे एम०डी० की डिग्री के लिए विद्यार्थियों को मरोजों का इलाज करना पड़ता था; उनके लिए कोई लिखित परीक्षा की व्यवस्था नहीं थी। यही अध्यापकों के नियम में भी है यदि वे "अपने मरोजों" का धैर्य और कुशलता से सामना कर सकते हैं तो उनकी अध्यापन योग्यता में कोई सन्देह नहीं है। इन सब बातों के लिए उनके सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक कार्यों का ध्यान रखना अनिवार्य है।

एक अध्यापक हमेशा विद्यार्थी रहता है। शिक्षा चेतन विज्ञान है। अपने वर्तमान को सकलतापूर्वक निभाने के लिए अध्यापक को नवीन ज्ञान प्राप्त करते रहने की जरूरत है। अतः स्कूल के प्रबन्धकों को उनके लिए उत्तम व नवीन प्रकाशन तथा शिक्षा-सम्बन्धी पत्र-पत्रिकाओं की व्यवस्था करना चाहिए। सरकार भी रिक्रेशन्-कोर्स; सेमिनार

यकॅंगोय, टूर, कान्फॅस आदि की व्यवस्था करके उनके ज्ञान को नवीन रमने में उनकी महामत्ता बर मफती है । कान्फॅसो आदि में देग के विभिन्न भागों के अध्यापक भाग लेंगे और परस्पर वाद-विवाद और विचार-विनमय करेंगे । स्कून के जीवन में भी कुछ दिन दूर धन्य लोगों में रहने का अवसर उन्हें मिलेगा । इस प्रकार के अवसर प्राप्त होने से उनका सामाजिक और नैतिक विकास होगा । मेरा मुक्ताव है कि प्रत्येक माध्यमिक-शाला-निशक्त को ऐसे अवसर प्राप्त होते रहने चाहिए । ऐसा एक अवसर उनके लिए तीन वर्ष तक पर्याप्त होगा ।

## एक अध्यापक द्वारा संचालित स्कूल

पड़े लिखों में बड़ती हुई बेकारी की समस्या को हल करने के लिए एक अध्यापक द्वारा संचालित प्राथमिक स्कूलों की योजना सरकार ने बनाई है और इसी निश्चय के अनुसार समस्त देश में लगभग ४०,००० ऐसे स्कूल खोलने का प्रयत्न किया जायगा। यही कारण है कि सहसा इस प्रकार के स्कूलों की चर्चा इतनी अधिक होने लगी है। इन स्कूलों में मॅट्रिक्यूलेंट्स, इण्टरमीडिएट्स तथा प्रेजुएंट्स सबको शिक्षक लगाया जा सकता है। स्कूल का कार्यभार सँपने से पूर्व उन लोगों को शिक्षण विधियों की शिक्षा भी दी जायगी।

कुछ लोगों का विचार है कि परिस्थिति को कुछ मुधारने के लिए ही इस प्रकार के स्कूल खोलने की योजना बनाई गई है, इसका कोई विशेष मौशणिक महत्त्व नहीं है। कुछ लोग इस आन्दोलन को चुनावों के समय मत आकृष्ट करने का साधन भी समझते हैं। परन्तु लोगों का यह विचार उचित नहीं है। प्राचीन काल से ही एक शिक्षक द्वारा संचालित स्कूलों का महत्त्व रहा है, विशेषकर गावों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए इस प्रकार के स्कूल सदा से काम करते रहे हैं। केवल भारत में नहीं, अपितु अमरीका, स्वीडन, आस्ट्रेलिया तथा यू० के० महा उन्नत देशों में भी इस प्रकार के स्कूलों का सदा से अस्तित्व रहा है।

भारत में एक अध्यापक द्वारा संचालित स्कूल प्राचीन काल में अनुपम और महत्वपूर्ण माने जाते हैं। डा० ए० एस० अस्टेवर ने अपनी पुस्तक "एजुकेशन इन ऐंतिग्ट इंडिया" में लक्षविला, बनारस तथा अन्य

स्थानों में हम प्रकार के स्कूलों का उत्सेह विद्या गया है। मुसलमानों के समय में ऐसे स्कूलों को "मदरस" के नाम से पुकारा जाता था; जहाँ कुछ उन्नत विद्यार्थियों अथवा 'मनीटरो' की महायत्ना से अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ने लिखने आदि की शिक्षा देने थे। अंग्रेजी राज्य स्थापित होने पर भी कुछ ऐसे स्कूल बनेमान थे। विलियम एडम तथा एन्ड्रयूवेल की रिपोर्ट में बिहार, बम्बई, मद्रास इत्यादि स्थानों पर इस प्रकार के स्कूल होने का प्रमाण मिलता है। अंग्रेजों ने अपने राज्यपाल से ऐसे स्कूलों को नष्ट करने की बहुत चेष्टा की परन्तु वे इसमें सफल नहीं हुए और आज भी—बिसेक्सर ग्रामों में—एक प्रकार के सहस्रों स्कूलों का अस्तित्व अवश्य है। अब स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् इस प्रकार के स्कूलों को महत्वपूर्ण समझकर भारत सरकार ने उन्हें प्रोत्साहन देने तथा इसी तरह के और स्कूल खोलने का निश्चय किया है। भारत के छोटे-छोटे गांवों की आर्थिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यही कहा जा सकता है कि एक अध्यापक द्वारा सञ्चालित स्कूल वहाँ के लिए उत्तम सिद्ध होंगे।

### पर्यावलोकन की आवश्यकता

सर्व प्रथम हम ध्यान की आवश्यकता है कि ऐसे गारे स्कूलों का पर्यावलोकन किया जाए तथा उनके सामने खाने वाली बट्टियाँ, उनकी आवश्यकताओं तथा उनके लिये आवश्यक साधनों की नोट कर लिया जाए। ऐसे स्कूलों में पढ़ाई लिखाई सम्बन्धी तथा सामान सम्बन्धी दोषों हो प्रकार की अनेक समस्याएँ सामने आती हैं। जब तक हमको गुणाया नहीं जायगा तब तक अन्धे अर्थों में शिक्षा का विकास नहीं हो पायगा। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि एक अध्यापक द्वारा सञ्चालित स्कूल ही पर्याप्त में भारतीय ग्रामों में शिक्षा विकास की कुंजी है। हमारे देश की समस्या उन संख्या में से ७० प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं। इस लक्ष्य को देखते हुए इनका महत्व एवं पूँज्य और भी बढ़ जाना है।



इन स्कूलों का पर्यावलोकन करने के लिए यह अच्छा होगा कि पंजाब में हाल में ही जो कमेटी स्कूलों की पुनर्व्यवस्था की समस्या के सम्बन्ध में विचार करने को नियुक्त की गई है वही कमेटी इस प्रकार के स्कूलों की समस्या पर भी विचार करे अथवा इस काम के लिए एक पृथक कमेटी नियुक्त की जाय, और शीघ्र ही उस कमेटी के सुझाव इत्यादि उपलब्ध हों। जिनमें उन पर विचार किया जा सके तथा उन्हें लागू करने के प्रयत्न भी जल्दी ही किये जा सकें। पंजाब राज्य की सामूहिक विकास योजना के अन्तर्गत ही यदि इस योजना को भी सम्मिलित कर लिया जाय तो भी यह कार्य ठीक प्रकार में हो सकता है। जिन नामेल स्कूलों में प्राथमिक-शिक्षालयों में पढ़ाने वाले अध्यापकों को ट्रेनिंग दी जाती है उन्हें एक अध्यापक द्वारा संचालित स्कूलों में पढ़ाने वाले अध्यापकों की ओर भी विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इन स्कूलों की समस्याएँ उन स्कूलों की समस्याओं से भिन्न होगी जिनमें अधिक अध्यापक पढ़ाते हैं। अतः इन अध्यापकों की ट्रेनिंग में उन सबका ध्यान रखना अनिवार्य है।

पढ़ाई लिखाई के सम्बन्ध में सर्व प्रमुख समस्या यह है कि एक स्कूल में कितनी कक्षाएँ हों, विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो तथा विषय क्या-क्या हों। स्पष्ट है कि हम एक अध्यापक से यह आशा नहीं कर सकते कि वह एक से अधिक कक्षाओं को सम्हाल सके, अथवा बहुत अधिक संख्या में विद्यार्थियों को सम्हाल सके या अधिक विषय पढ़ा सके। अतएव इन स्कूलों में इतने ही विद्यार्थी होने चाहियें जितने कि एक अध्यापक भ्रष्टानी से सम्हाल सकता है। यदि बिना स्थान पर एक स्कूल से काम न चले तो वहाँ और ऐसे ही स्कूल खोले जा सकते हैं। इस प्रकार के स्कूलों का महत्व इसमें ही है कि विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के बीच गहरा सम्बन्ध रहे। यदि विद्यार्थी बहुत अधिक संख्या में होंगे तो यह उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता। अध्यापक के लिए केवल पढ़ाना और विद्यार्थियों के लिए केवल पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है वरन् चाहिए

तो यह है कि अध्यापक अच्छे ढंग में पढ़ाए और विद्यार्थी अधिकाधिक निशा ग्रहण करें।

पाँच कक्षाएँ

एक अध्यापक द्वारा संचालित स्कूल में निम्न पाँच कक्षाओं की व्यवस्था गरमता से की जा सकती है—(१) शिशु शिक्षा (२) प्रथम (३) दूसरी (४) तीसरी और (५) चौथी : स्पष्ट है कि एक ही अध्यापक इन गारी कक्षाओं की एक ही समय नहीं पढ़ा सकता, और न ही स्कूल का समय साढ़े पाच घण्टों में अधिक हो सकता है। इन साढ़े पाच घण्टों में बच्चे या अध्यापक वायं में ही मलग्न रहें या बच्चे धुनवाप बैठे रहें यह भी सम्भव नहीं है। इन सब कारणों से हमारे सामने एक जटिल समस्या धा गड़ी होती है। अस्तु, शिक्षा-विभाग की अध्यापक को हर तरह सहायता व सहायता देनी चाहिए जिससे वह इन समस्याओं का सामना सफलता पूर्वक कर सके।

इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव निम्नलिखित हैं—

१. शिशुओं की बेचक तीन घण्टे के लिए स्कूल में रखा जाय। उनमें भी धाधा समय खेलों, मनोविनोद तथा अन्य शैक्षणिक क्रियाओं के लिए रखा जाय।

२. पाठ्यक्रम में पाठ्य-विषयों की संख्या कम कर दी जाय। यह काम भी इन प्रकार किया जाय कि आवश्यक विषय रह जायें और अनारसक हटा दिये जायें। कुछ विषयों की पुस्तक-पुस्तक न रख कर एक ही वर्ग में होने के कारण एक ही विषय के रूप में भी रखा जा सकता है।

३. पाठ्यक्रम की दो रखाइयों में इन प्रकार घाट दिया जाय कि पहली व दूसरी तथा तीसरी व चौथी कक्षाएँ रकड़ी रह सकें।

४. समय-विभाग इस प्रकार बनाया जाए कि एक पीरीयड सीधे-साधे डेग में बैठ कर पढ़ने का हो और दूसरों में सक्रिय कामों, ड्रिल; प्रायोगिक काम जैसे नक्शे बनाना, लिखना, सवाल निवाचनना आदि काम हो। इसके अर्थ यह हुए कि पाठ्यक्रम को नवीन सिद्धांतों के आधार पर बनाया जाए और उसमें त्रियात्रो तथा प्रायोगिक कार्य को अधिक स्थान दिया जाए। यदि यह क्रियाएँ आदि रोचक होंगी तो अधिक निरीक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

५. समय विभागों में तीनों दलासों के लिए मध्यान्तर अलग-अलग समय हो।

### व्यावहारिक ज्ञान

इन सब बातों का अर्थ यह हुआ कि इन स्कूलों में काम करने वाले अध्यापक अधिक योग्य व कुशल हों, और उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जाय। उन्हें डाल्टन-योजना, प्रोजेक्ट-विधि, प्ले-वे इत्यादि समस्त वैयक्तिक एवं सामूहिक शिक्षण-विधियों का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। इन स्कूलों में वाद-विवाद; सेमिनार, अमाइन्मेंट्स आदि का भी महत्वपूर्ण स्थान है, अस्तु, इन अध्यापकों को इन सब कार्यों के बरने में भी दक्षता प्राप्त करनी चाहिए। हमारे नामल स्कूलों में तथा अन्य ट्रेनिंग कालेजों की शिक्षा इन अध्यापकों के लिए उपयोगी नहीं होगी। यह उचित होगा कि प्रत्येक प्रशिक्षण संस्था के साथ ही एक मिगल-टीपर माडल स्कूल भी हो, तथा इनमें पढ़ाने की विधियों के लिए एक पृथक पेपर भी हो, जो अनिवार्य न हो। जो अध्यापक ऐसे स्कूलों में पढ़ाना चाहें वे इस विषय का विशेष रूप से अध्ययन करें।

इन समस्याओं के प्रतिरिक्त व्यवस्था मन्वन्धी भी कुछ समस्याएँ सामने आती हैं। ऐसे अवसर तो आते ही रहते हैं जबकि अध्यापक बीमार हो जाए अथवा अन्य किसी कारण से छुट्टी ले ले। ऐसे अवसर

पर जितने दिन अध्यापक न जाए स्कूल की छुट्टी नहीं होनी चाहिए । इन स्कूलों के उपयुक्त निरीक्षण की समस्या भी मुलज्ञानी चाहिए । प्रचलित ध्यस्यया दो कारणों से सतोपजदक नहीं बही जा सकती ।

(१) इन स्कूलों की अधिक निरीक्षण, व निर्देशन की आवश्यकता है ।

(२) सुपरवाइजर को भी इन स्कूलों से सम्बन्धित विधियों का तथा इनकी समस्याओं का पूरा ज्ञान होना चाहिए ।

## शिक्षा की विषय-सामग्री

“शिक्षण का विषय क्या होना चाहिए ?” शिक्षण प्रक्रिया का यह एक महत्वपूर्ण विषय है। जब तक हम यह निश्चय नहीं कर लेते कि हमें क्या पढ़ाना है तब तक उसे पढ़ाने की विधियों आदि के सम्बन्ध में वाद-विवाद करना हास्यास्पद प्रतीत होना है। शिक्षा का पाठ्य-क्रम निश्चित कर लेने पर हमारे सम्मुख एक निश्चित ध्येय होता है और उसी की पूर्ति के लिए हम अपने समस्त सांसारिक प्रयत्नों को मुख्यवर्धित एवं श्रुंखलाबद्ध रूप में रख सकते हैं। अस्तु, पाठ्य-क्रम को निर्धारित कर लेना सर्वप्रथम आवश्यक है।

‘पाठ्यक्रम’ का उद्देश्य व्यक्ति को ऐसी शिक्षा देना-है कि जिसके द्वारा वह स्वस्थ व्यक्ति तथा समाज का उपयोगी सदस्य बनने में समर्थ हो सके। शिक्षा के उद्देश्यों में परिवर्तन होने के साथ ही साथ पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन होना आवश्यक है, इसलिए पाठ्यक्रम परिवर्तनशील होना चाहिए। हमारे पाठ्यक्रम के उद्देश्य निश्चित एवं दृढ़ नहीं होने चाहिए, बरिन्तु उनमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन भी होने रहते चाहिए।

जिन विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम बनाया जाता है उनकी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति उससे होनी चाहिए। यह पाठ्यक्रम बनाने का मूल-मिशन है। इसके अन्तर्गत बालक की शारीरिक, सामाजिक मानसिक एवं आध्यात्मिक, समस्त प्रकार की, आवश्यकताएँ भा जाती हैं। अब हम इनको एक-एक करके विवेचना करेंगे।

शारीरिक आवश्यकताओं में सार्वभौम है—शरीर की गति पर नियंत्रण स्थापित करना। संसार में गफलत जीवन व्यतीत करने के लिए अपने

शरीर के समस्त अवयवों पर नियंत्रण रखना बच्चों के लिए अत्यन्त आवश्यक है। बच्चों की सामाजिक आवश्यकताओं का उद्गम उनकी समूह में रहने की प्रवृत्ति है। समाज में रहने की प्रवृत्ति ही उनके सामाजिक जीवन का मूल है। इसी कारण वे परस्पर सम्बन्ध स्थापित करते हैं। मानव के अन्दर में एक अतृप्ति होती है, एक भ्रम होती है, उसे तृप्त करने के लिए वह मदा अमान्य रहना है। जब अपनी शारीरिक-शक्तियों एवं अपने मस्तिष्क पर उमका मानसिक नियंत्रण हो जाता है, तब वह अपने अजित अनुभवों को वास्तविक महला को पूर्णतः समझने लगता है। जब मानव की स्वतन्त्र-शक्तियों को अभिव्यक्ति का मुहम्मर प्राप्त हो जाता है, तभी वह आन्तरिक तृप्ति का अनुभव करता है। यही मनुष्य की मानसिक एवं आध्यात्मिक आवश्यकताओं का कारण है।

उपरोक्त सब आवश्यकताएँ प्रत्येक बालक में व्यक्तिगत होती हैं। एक बच्चे की सोचने की शक्ति दूसरे बच्चे की सोचने की शक्ति में भिन्न होती है। अतएव पाठ्यक्रम को समस्त बच्चों की व्यक्तिगत शक्ति के अनुकूल होना चाहिए। इस दृष्टि में देखते हुए पाठ्यक्रम के विषय में कीर्ति हड़-पारणा निर्भर प्रतीत होती है। इनके विपरीत पाठ्यक्रम को अनिश्चित एवं परिवर्तनशील होना चाहिए। प्रत्येक स्थान, प्रत्येक वातावरण तथा प्रत्येक बालक के लिए एक ही पाठ्यक्रम नहीं हो सकता। उसमें परिवर्तन करने की भी आवश्यकता हो सकती है। इसलिए पाठ्यक्रम का बेरब बाह्य ढांचा ही बना लेना पर्याप्त होगा। अन्तर विभिन्नताओं के अनुकूल पूर्ण करने के लिए पर्याप्त स्थान छोड़ देना चाहिए।

‘शिक्षा मनुष्य को जीवन के लिए तैयार करती है।’ शिक्षा के इस उद्देश्य को हृदयगत रखते हुए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि हमारा पाठ्यक्रम ऐसा ही त्रिगुणों द्वारा हम बच्चों को प्रोड जीवन के लिए भी तैयार कर सके। यह ठीक है कि एक बच्चे और एक प्रोड की कुछ

आवश्यकताएँ समान नहीं होती, परन्तु आगे जाकर हमें पाठ्यक्रम में कुछ ऐसे विषय प्रवर्धन रखने होंगे जो प्रौढ जीवन के लिए विशेष रूप में लाभदायक हों।

जैसा हम ऊपर कह आये हैं, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना भी पाठ्यक्रम का लक्ष्य होना चाहिये। स्वतंत्र भारत के आदर्शों की पूर्ति के लिए पाठ्यक्रम बनाने के समय भी उन आदर्शों का ध्यान रखना चाहिये। अस्तु, पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसके द्वारा भारतीय जनता जनतंत्र के आदर्शों को जीवित एवं व्यवहारिक रूप दे सके और इस प्रकार अपने जीवन को उन्नत एवं आदर्श बनाने से सफल हो सके। समष्टि एवं अदृष्टि दोनों की उन्नति करना पाठ्यक्रम का उद्देश्य होना चाहिए।

इनके अतिरिक्त, पाठ्यक्रम बनाने के समय प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत विशेषताओं को भी यथोचित महत्त्व देना चाहिये, क्योंकि वे ही वास्तविक शिक्षा के मूल हैं। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम के द्वारा बालक की सम्पूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिये।

अन्य सामान्य व्यक्ति के महत्वपूर्ण अनुभवों को ही पाठ्यक्रम का आधार बनाना चाहिए। इन अनुभवों में बौद्धिक, भावात्मक एवं रागात्मक आदि सब प्रकार के अनुभवों का सुन्दर सम्मिश्रण होना वाछनीय है।

इनके साथ ही उद्युक्त शिक्षण वातावरण प्रस्तुत करना भी एक शिक्षक का उत्तम है। इसके अर्थ यह हुए कि वातावरण में निर्मातित विशेषताएँ हों—

- (१) पारस्परिक सम्बन्धों को विकसित किया जाय तथा वे प्रिय और सुन्दर हों।
- (२) निष्ठात्वों को अधिक सुन्दर बनाया जाय।

(३) सुन्दर और शैक्षणिक प्रभावन अधिन में अधिक उपग्रह किये जायें ।

(४) बालक को स्वतन्त्रता दी जाए ।

(५) क्रियात्मक जीवन तथा खेलों को अधिक महत्व दिया जाए ।

इन सब बातों को पूरा करने के लिए हमें नीचे लिखी बातों पर अधिक जोर देना चाहिए—

(१) उच्चरित भाषा पर (मातृ-भाषा पर) अधिक ध्यान दिया जाय ।

(२) मौन-पठन एवं ध्वनित करने की शक्ति पर ध्यान दिया जाय ।

(३) व्याकरण की औपचारिक शिक्षा न दी जाय ।

(४) गणित के जो नियम बच्चों के दैनिक जीवन में सम्बन्धित न हों उनको अधिक महत्व न दिया जाय । जो चीज उनके जीवन में सम्बन्धित हों उसी पर विशेष जोर दिया जाय ।

(५) पाठ्यक्रम को समाप्त करने की कोई निश्चित अवधि न रखी जाय ।

(६) क्रिया द्वारा ज्ञानार्जन का अवसर दिया जाय ।

(७) सम्पूर्ण पाठ्यक्रम को एक टुकड़े के रूप में लेना चाहिए ।  
मुद्रिणा के लिए उभे भिन्न-भिन्न विषयों में बाटा जाना है ।

पाठ्यक्रम रचना के आधारभूत बतियप भादनं हमने उपर बताये है, परन्तु साथ ही हमें पाठ्यक्रम की वर्तमान परिस्थितियों पर भी तनिक दृष्टिपात कर लेना चाहिए । यह सत्य है । यद्यपि है बहुत बटु कि अभी तक पाठ्यक्रम की ओर हमारे धर्ती मनिक भी ध्यान नहीं दिया गया है । शैक्षणिक तथा मनोवैज्ञानिक तथ्यों की अवहेलना करके, यूँ ही जैसे जैसे पाठ्यक्रम की रचना कर दी जाती है । पाठ्यक्रम का सबसे बड़ा दोष यह था—ओर अब भी है कि उनमें संश्लेषी को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है ओर मातृ-भाषा को लगभग अवहेलना ही की जाती है । यही कारण है कि हमारे विद्यार्थियों की विषयानुसारी रचना होती है ।



पाठ्यक्रम में सर्वत्र पढ़ने, लिखने व श्रंकों की शिक्षा को बहुत महत्व प्रदान किया गया है। हमारी शिक्षा का हमारे जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं है, शिक्षा केवल सैद्धांतिक है उसमें व्यावहारिकता का चिन्ह भी नहीं है।

पाठ्यक्रम बच्चे की भ्रमहेलना करता है परन्तु पठन-विषय को बहुत महत्व देता है। ज्ञानार्जन को आवश्यकता से अधिक महत्वपूर्ण माना गया है, फलतः व्यक्ति की कल्पना, तर्क, प्रयोग आदि शक्तियों का विकास नहीं हो पाता। वे केवल इतिहास, भूगोल व विज्ञान के तथ्यों को ही रट लेते हैं।

हमारी वर्तमान शिक्षा का सबसे बड़ा दोष यह है कि उसमें 'परीक्षा' ही शिक्षा का धरम लक्ष्य मानी जाती है। परिणामतः अध्यापक व विद्यार्थी सबकी दृष्टि केवल उन्ही ओर रहती है। एक सम्पूर्ण राज्य में एक ही पाठ्यक्रम का प्रयोग किया जाता है, उसमें स्थानीय अथवा सामाजिक आवश्यकताओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। पाठ्यक्रम की यह दशा निःसंदेह शोचनीय है, ऐसी अवस्था में 'पिपासा द्वारा शिक्षा प्राप्त करना', आदि बानो की चर्चा करना भी व्यर्थ सा प्रतीत होता है।

पाठ्यक्रम के विषय में सर पर्सॉन ने दो महत्वपूर्ण सुझाव रखे हैं। पहिला यह कि पाठ्यक्रम में विषयों के स्थान पर क्रियाओं को रखा जाय और दूसरा यह कि शिक्षा की सर्वोत्कृष्ट पद्धति लेव पद्धति हो।

पाठ्यक्रम की एक और बड़ी समस्या है, वह यह कि आजकल का पाठ्यक्रम बहुत बोझिल है। उसमें जल्द से ज्यादा विषयों को दूँस दिया जाता है। स्पष्ट है कि जब विद्यार्थी को एक के बाद दूसरे विषय तक जाने की जरूरी हो तो वह एक विषय को भली भाँति पचाने की परवाह नहीं करता—पर यूँ कहिए कि उनके पास इतना समय ही नहीं

होता । इस दोष को दूर करने के लिए नवीन साधन 'समन्वय विषयों में समवाय' स्थापित करना है । बेसिक्-शिक्षा-पद्धति 'समवाय' स्थापित करने पर ही जोर देती है । दूसरी विधि यह है कि एक दिन पढ़ाने वाले सारे विषयों का केन्द्र कोई एक वस्तु या विषय बना दिया जाता है । प्रोजेक्ट पद्धति इस प्रकार धनुबन्धन करने की सर्वोत्तम पद्धति है । इसके धनुमार अध्यापक स्वयं ही धनेक प्रोजेक्टों में धरने पाठ्यक्रम की विभाजित कर सकता है ।

इस दिशा में एक ही नवीन सुझाव धीर है वह विषयों के वर्गीकरण को मरन बना देना है अर्थात् उन सारे विषयों को जिनके उद्देश्य समान हों, एक ही विषय के रूप में स्वीकार करना । उदाहरणार्थ इतिहास, भूगोल व नागरिक शास्त्र की शिक्षा को मिलाकर सामाजिक शास्त्र का नाम देना ।

ऊँची श्रेणियों में जाकर विद्यार्थी को अपनी रुचि व योग्यता के धनुबद्ध विषय अथवा विषयों में विशेषता प्राप्त करने का अवसर मिलना चाहिए । इस प्रकार विशेषता प्राप्ति के लिए मेकेन्डरी-ब्लून् के प्रतिम दो वर्षों में अवसर देना उचित होगा ।

प्रथम द्वय प्राथमिक जूनियर व सीनियर मेकेन्डरी स्तर के पाठ्यक्रमों को सुदृढ़ गमातीवना करेंगे ।

प्राथमिक कक्षाओं में ५ से ११ वर्ष की आयु तक के बच्चे होते हैं, इनका शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक व नैतिक विकास करना ही शिक्षा का उद्देश्य है । नवीनतम विचार के धनुमार प्राथमिक श्रेणियों की विद्यार्थी को वैश्वनिक, भाषा-सम्बन्धी शारीरिक, गणित सम्बन्धी, वैज्ञानिक, कलात्मक एवं नागरिकता—विषयों में सम्बन्धित शिक्षाओं में बाँट दिया गया है । इसका अर्थ यह हुआ कि उनको पूर्ण प्रौढ़ बनाने के लिए उनका उचित सर्वांगीण विकास हो सके । इस अवस्था में वे सब शिक्षार्थी सब सबों के लिए अनिवार्य हैं । ऐसी कोई चीज नहीं जो एक

बच्चे के लिए उपयुक्त हो और दूसरे के लिए अनुपयुक्त। इसके प्रतिरिक्त सारा काम खेन ही खेन में हो जाता है इसलिए पढ़ाई और खेन में अंतर प्रतीत नहीं होता।

जूनियर सेकेण्डरी स्तर में ११ से १३ वर्ष की आयु तक के बच्चे होते हैं। इस अवस्था में इससे पूर्व प्रारम्भ किया हुआ विकास का कार्य उमी प्रकार चलना रहता है, केवल उमके क्षेत्र का विस्तार बढ जाता है और धीरे-धीरे सर्वाधिक कार्य प्रवेश पाने लगते हैं, परन्तु फिर भी किसी प्रकार की विशेषता प्राप्त करने का प्रश्न नहीं उठता।

विशेषता प्राप्ति के लिए मीनियर सेकेण्डरी स्तर अथवा नेरह वर्ष की आयु से अवसर मिलना उपयुक्त है। परन्तु यह विशेषता प्राप्ति भी सामान्य की आवश्यकतानुकूल व्यवसाय तथा विद्यार्थी की व्यावसायिक रुचि के अनुकूल हो होनी चाहिए। अभी तक हमारे यहा सेकेण्डरी स्कूलों में भी केवल विद्या प्राप्ति पर ही ध्यान दिया जाता है। तीन विशेष प्रकार की योग्यताएँ मानी जाती हैं—बौद्धिक, शारीरिक तथा सामान्य। इन तीनों प्रकार की योग्यताओं की विकास का अवसर देना चाहिए। अभी माघार पर पाठ्यक्रम का निर्धारण करना चाहिए। इसका यह अर्थ है कि प्रत्येक विद्यार्थी कुछ सामान्य विषय, जैसे म.सृ-भाषा, सामान्य-विज्ञान तथा सामाजिक विषयों का अध्ययन अनिवार्य रूप से करे और उनके पश्चान् अपनी रुचि एवं योग्यताओं के अनुकूल विशेष विषय में विशेषता-प्राप्ति का प्रयत्न करे। इस प्रकार व्यक्ति की अन्तर्निहित योग्यताओं का विकास करके हम अपने देश की उन्नति करने में सफल होंगे और हमारे समस्त शैक्षणिक-प्रयत्न मार्थन बनेंगे। अस्तु सेकेण्डरी शिक्षा की स्वयं एवं पूर्ण होना चाहिये।

## पाठ्य पुस्तकें

अध्यापक के पदचार्, मेरे विचार में, गिशा के महत्त्वपूर्ण मापनों में दूसरा स्थान पाठ्य-पुस्तकों का ही है। हाँ, हमें हम बात का ध्यान रखना चाहिए कि अन्य मापनों के समान ही इनकी भी कुछ सीमाएँ होती हैं। पाठ्य-पुस्तकों में हमें विषय की 'समायं-परिभाषा' का भाव होना है। इनके अनिश्चित वे कार्य को व्यक्तित्व रूप में उपस्थित करने में हमारी सहायता करती हैं। परन्तु, पाठ्य-पुस्तक का सम्बन्ध: अनुसरण करना उमर से बढ़ते बढ़ते दुर्लभ होना है। पृष्ठानुपृष्ठ पुस्तक को पढ़ कर पढ़ाना अवांछनीय है। इसके अनिश्चित सबसे बड़ी बात यह है कि जिस पाठ्य-पुस्तक का हम प्रयोग करें वह वस्तुतः 'पाठ्य-पुस्तक' बतलाने योग्य हो।

उस विषय में दो बातें जाननी हैं, एक तो यह है कि अध्यापक को यह जान होना चाहिए कि एक पाठ्य-पुस्तक के क्या-क्या गुण होने चाहियें, दूसरी यह है कि अध्यापक को पाठ्य-पुस्तक चुनने और उसके प्रयोग करने का ज्ञान होना चाहिए।

पाठ्य-पुस्तक को चुनने के लिए कोई विशेष नियम नहीं हैं। भिन्न-भिन्न लोगों के मन भिन्न-भिन्न हो जाते हैं, इसमें सन्देह नहीं है। परन्तु अन्तिम चुनाव का अधिभार उस विशेष अध्यापक को होना चाहिए जिसे उस विषय की पाठ्य-पुस्तकों का प्रयोग करना है, अधिभारों वगैरे की नहीं। कारण, कि अधिभार अधिकारी स्थानीय वातावरण में एवं उस विशेष वयं के विद्यार्थियों की आवश्यकताओं से पूर्णतः भिन्न नहीं होते। गिशा विभाग द्वारा पाठ्य-पुस्तकों का निर्देशन करना औपचारिक दृष्टि से बहुत गलत है। अध्यापक के लिए भी यह आवश्यक है कि पाठ्य-पुस्तक

पुस्तक से पहले वह विशेष विषय और उसकी बहुत सी पाठ्य-पुस्तकों को भली-भाँति पढ़ें, उन पर मनन और चिन्तन करे और उसके बाद अपना निराय दे। नीचे जो कुछ कहा जा रहा है वह केवल अध्यापकों के निर्देशन के लिए है।

१. लेखक—भिन्न-भिन्न विषयों की पाठ्य-पुस्तकें उन्ही लोगों को लिखनी चाहिए जो उस विषय के विशेषज्ञ हों और कुछ अनुभव भी रखते हों। बहुत बार ऐसा देखने में आया है कि लोग जिस विषय के विशेषज्ञ होते हैं उनके अलावा अन्य विषयों की पाठ्य-पुस्तक भी लिख डालते हैं। बहुत से सज्जन अपने पद के कारण भी पुस्तकें लिखने में कसर्द सहज नहीं करते। पाठ्य-पुस्तक का आधार केवल विषय सम्बन्धी दो-चार पुस्तकें पढ़ लेना ही नहीं होता, अपितु लेखक का निजी अनुभव अधिक महत्वपूर्ण होता है। जो अध्यापक अपने विषय का प्रसिद्ध अध्यापक हो उसी की लिखी हुई पाठ्य-पुस्तक स्वीकृत होनी चाहिए।

२. पठन-सामग्री की अनुकूलता। (suitability of Material) पाठ्य-पुस्तक के अन्तर्गत जो भी पठन-सामग्री हो वह अनुकूल यथार्थ और नवीनतम होनी चाहिए। अस्तु, पुस्तकों के नवीन संस्करण (री प्रिन्ट नहीं) ले लेने चाहिए। विषय का उपस्थापन भी पुस्तक में भली-भाँति स्पष्ट रूप में किया जाना चाहिए। पुस्तक की भाषा उस विशेष आयु-वर्ग के अनुकूल होनी चाहिए जिसके लिए वह पुस्तक लिखी गई हो। यह भव तब ही हो सकता है जब कि लेखक अपने विषय में भली-भाँति परिचित हो। मेरे विचार से यदि पुस्तक विषय के विशेषज्ञों की एक कमेटी द्वारा लिखी जाय तो वह एक श्रेष्ठ पुस्तक बनेगी। इस कमेटी में वे अध्यापक भी शामिल होने चाहिए जो उस विशेष विषय को उस विशेष कक्षा में पढ़ाते हो। उनके बिना उक्त पठन सामग्री का निर्देश तथा उपयुक्त भाषा का प्रयोग करना कठिन होगा। उदाहरणार्थ घाटों रक्षा के लिए भूगोल की पुस्तक लिखने के लिए कमेटी में,

(१) एक भूगोल या प्रोफेसर

(२) ट्रेनिंग कालेज का भूगोल का लेखकार, तथा,

(३) आठवीं बच्चा का भूगोल का अध्यापक, ये होने चाहियें।

(४) अध्यापक (organisation)। पुस्तक के सम्मर्गन पाठ्य-सामग्री वितनी ही मूल्यवान् बनी न हो, यदि वह ठीक तरह से व्यवस्थित नहीं होगी तो, उसकी सरलता में पढ़ना कठिन होगा। अस्तु, सामग्री को पाठों (lessons) और इकाइयों (units) में बांट लेना चाहिए। अध्यापक, यदि आवश्यकता हो तो, उसकी परिस्थितियों के अनुसार पुनर्व्यवस्था कर सकता है। हर जगह पर आवश्यक शीपंक देने अच्छे हैं।

(५) चित्रण (illustrations) पुस्तक के चित्र स्पष्ट, बड़े और रंगीन होने चाहियें ( विशेषकर बच्चों के लिए ) इनमें न केवल पुस्तक सुन्दर ही लगती है बल्कि उसकी उपयोगिता भी बढ़ जाती है।

इसका अर्थ यह नहीं कि पुस्तक चित्रों से भरी हो। बल्कि हरेक चित्र का बोर्ड प्रयोजन होना चाहिए, साथ ही उनका बोर्ड सांश-निक मूल्य भी होना चाहिए। चित्र, रेखाचित्र, सब स्पष्ट हो, जिससे उनको देखते ही उनका अभिप्राय ज्ञात हो जाए। जहां तक सम्भव हो पुस्तक के चित्र नये और मौलिक होने चाहियें, अन्य पुस्तकों में से बाट कर नहीं लगाने चाहिए।

(६) प्रत्येक अध्यापक के मन में उसका सारांश, तत्सम्बन्धी गुणाव तथा अन्य उपयोगी पुस्तकों के नाम दे देने चाहियें। एक थोड़ा पाठ्य-पुस्तक के द्वारा अध्यापक को कुछ समझाएँ एक विद्या उस पुस्तक में मिल जानी चाहिये।

पुस्तक में Appendices रखने बड़े महत्त्वपूर्ण होते हैं। यदि उन्हें बीच में ही लगाने का प्रयत्न किया जाए तो विषय के प्रयाहात्मक विवेचन में बाधा पड़ सकती है। इनका प्रयोग अधिपरीक्षा रूप में तालिकाओं, (Questionnaires) इत्यादि में होता है।

इसी प्रकार ग्रंथ में Index भी बहुत सहायक होता है। पुस्तक के प्रारम्भ में विषय की सूची भी होनी चाहिए।

(६) फारमेट (Format) विषय का उपस्थान पुस्तक के पढ़ने में सहायता देता है। सूचना-पत्रालयों में इस कार्य को Subediting कहते हैं, पुस्तकों में यह भी अनिवार्य है। फारमेट के अन्दर (i) बड़े व छोटे शीर्षक (ii) छोटा व बड़ा टाइप (iii) नोट (iv) मार्जिन (Margine) (v) चित्रों का स्थान निश्चित करना तथा उनके शीर्षक देने होते हैं। इन सब के बिना समस्त पुस्तक पढ़ जाने के बाद महत्वपूर्ण विषयों को उसमें से खोजना पड़ता है, और फिर यह आसना रहती है कि कुछ आवश्यक चीज छूट न जाए।

(७) गेट-अप (Get up) पुस्तक में कौन सा टाइप इस्तेमाल करना चाहिए यह उस स्तर पर निर्भर करता है जिसके लिए पुस्तक लिखी जाती है। छोटे बच्चों की किताबों में बड़ा टाइप इस्तेमाल किया जाता है। अस्तु, अनुकूल टाइप का प्रयोग करना भी महत्व रखता है। चाहे यह सुनने में अजीब लगे, परन्तु यह है ठीक कि अध्यापक को पुस्तक के कागज पर भी ध्यान देना चाहिए। बिना चमक वा अनुकूल भार का कागज होना चाहिये। इसके अतिरिक्त कागज आकर्षक होना चाहिए और इतना मजबूत होना चाहिए जो जल्दी न फूट जाय।

पुस्तक ज्यादा दिन चले इसके लिए उसकी जिल्द भी मजबूत होनी चाहिए। हमारे स्कूलों में जो पाठ्य पुस्तकें इस्तेमाल की जाती हैं प्रायः उनकी जिल्दें पतली होती हैं। गतीजा यह होता है कि बच्चे को एक साल में एक किताब की कई प्रतियां लेनी पड़ती हैं। इससे माता-पिता के ऊपर भी बेभार वा बोझ पड़ता है। देहली के शिक्षा-विभाग ने यह सर्वपूल्सर निवाला है कि स्कूल के लिए जो पाठ्य पुस्तकें हो उनकी जिल्दें मजबूत वाटन-बोर्ड की होनी चाहिए। मुझे ज्ञान हुआ है कि इसी तरह से अब पाठ्य-पुस्तकों का सर्वा पचास प्रतिशत कम हो गया है।

(८) मूल्य (Price)—यह आवश्यक नहीं है कि एक अच्छी किताब कीमती भी हो। आजकल पुस्तकों के मूल्य बहुत बढ़ गये हैं जिसके कारण बच्चों की शिक्षा का ध्येय भी बहुत बढ़ गया है। इन चीजों को रोकने की कोशिश होनी चाहिये।

यदि इन कामों को केवल प्रकाशकों पर छोड़ दिया जाय तो उत्पत्ति हानि बठिन है। शिक्षा विभाग को पुस्तकें छापने या निरिष्ट करने का काम तो मेरे विचार में नहीं लेना चाहिये, हा, उनका निरीक्षण अवश्य करना चाहिये। टाइप, कागज, जिन्द, मूल्य इत्यादि के धारे में कुछ निदोष अवश्य उभे करना चाहिये। लेखक के सम्बन्ध भी कुछ नियम बना देने चाहिये हैं। उदाहरणार्थ, इन्स्पेक्टरों का पाठ्य पुस्तकों से सम्बन्ध नहीं होना चाहिये। नहीं तो हो सकता है प्रकाशक उन के पद में अनुचित लाभ उठाये।

यह सब एक श्रेष्ठ पाठ्य-पुस्तक के गुण हैं, परन्तु इनमें अध्यापक की चिन्ता का अन्त नहीं होना। पाठ्य-पुस्तक इयामपट या चित्रों के समान ही एक महात्मक माधन है। अध्यापक को उसका प्रयोग इसी रूप में करना चाहिए। पुस्तक में शिष्ट हूए तत्त्वों तक ही उसका ज्ञान सीमित नहीं रहना चाहिए। इन पुस्तकों का प्रयोग महापता लेने के लिये करना चाहिये। मानचित्रों, चित्रों, पठित पाठ के सम्बन्ध आदि के लिए इसका प्रयोग होना चाहिये; विशेषकर भूगोल, इतिहास, विज्ञान आदि के विषय में। पाठ्य-पुस्तक का सदुपयोग या दुरुपयोग अध्यापक के ऊपर निर्भर करता है।



## सफल-परीक्षा

‘सफल परीक्षा प्रणाली’ सदा से ही सन्देहास्पद विषय रहा है । इसका सम्बन्ध अधिवक्त्र अनुचित धम्यासो, तथा प्रश्न-पत्र का पता लगा लेने, परीक्षकों तथा विश्वविद्यालय के सत्ताधारियों तक पहुँच होने से लगाया जाता है । ये कारण भय का संचार करने के लिए पर्याप्त थे किन्तु अब तो परीक्षार्थियों ने परीक्षकों तथा निरीक्षकों के ऊपर बलप्रयोग भी प्रारम्भ कर दिया है । हाल ही में अलीगढ़ में सूचना मिली थी कि एक डिग्रीवालेज के प्रिंसिपल की केवल इसी कारण हत्या कर दी गई थी कि उन्होंने एक परीक्षार्थी को परीक्षा देते समय नवल करते हुए पकड़ लिया था । यदि इस दिशा में शीघ्र ही कोई कठोर कार्यवाही नहीं की गई तो मुझे भय है कि कोई भी व्यक्ति परीक्षक अथवा परीक्षा के समय सुपरिटेंडेंट या निरीक्षक बनने का साहस न करेगा, और परीक्षार्थी पुलिस के कठोर नियन्त्रण में लेनी पड़ेंगी ।

परन्तु मैं विद्यार्थियों से हम बढती हुई विरोध की भावना का उत्तर-दायी केवल विद्यार्थियों को ही नहीं मानता । हमारी सामाजिक तथा शैक्षणिक व्यवस्था भी समय के साथ चलने में पीछे रह गई है । आज का युग प्रतियोगिता का युग है—इसमें केवल विभिन्न राष्ट्रों में ही नहीं, वरन् व्यक्तियों में भी प्रतियोगिता की तीव्र भावना है । धार्मिक तथा बेकारी की कठोर समस्याएँ इस युग की प्रधान घंग हैं, अनेक व्यवसायों के लिये डिग्री या डिप्लोमा का होना आवश्यक है, यही कारण है कि विद्यार्थियों का एक मात्र ध्येय केवल परीक्षा पास कर लेना है । सहायक पुस्तकें तथा ‘कोचिंग कालेजों’ की भरमार सी हो रही है, और वास्तव में शिक्षा जिसको ‘पूरा-जीवन के लिये तैयारी’ मना जाता था, अब

## सफल-परीक्षा

हैं भी दृष्टिगोचर नहीं होती। उचित व्यवसाय अनुचित रीति से पाम  
 नें योग्य भ्रम पाना प्रत्येक परीक्षार्थी कावश्यक समझना है। यही  
 कारण है फेड होने पर अथवा परीक्षा में किसी कारणवश पकड़े जाने  
 पर विद्यार्थी व्यग्र हो उठता है, उसे अपना जीवन नष्ट हुआ दिखाई देना  
 है, और वह उचित अनुचित, अच्छा बुरा सब भूल जाता है। परिणाम  
 यह होता है कि वह या तो आत्म-हत्या कर लेता है, अथवा परीक्षार्थी  
 प्राणों की हत्या कर डालता है।

अस्तु हमें शिक्षा की प्रत्येक समस्या पर, विशेष कर परीक्षा के  
 विषय पर पुनः विचार करना तथा उमरा अध्ययन करना चाहिये।  
 शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तथा वर्तमान परीक्षा-प्रणाली उस उद्देश्य  
 की पूर्ति में कहीं तक सहायता पहुँचा सकती है? वर्तमान परीक्षा, यह  
 सत्य है, कि विद्यार्थी की स्मरण-शक्ति की परिवर्धिका अयत्न है। दो  
 वर्ष के समस्त कार्य की परीक्षा केवल पाँच या छ प्रश्नों पर अयत्नम्वित  
 होती है। यद्यपि विद्यार्थी इन प्रश्नों को किसी प्रकार ठीक कर दे, तो  
 थोड़ा होने पर भी यह डिग्री प्राप्त करने का अधिकारी मान लिया जाता  
 है। इसके विपरीत जो विद्यार्थी सारे वर्षों ठीक तरह काम करता रहा  
 हों, परन्तु किसी कारणवश परीक्षा-प्रश्नों को ठीक न कर सके, तो उनके  
 अल्प गुणों व शक्तियों की अवहेलना करते उन्हें अयत्नम्वित घोषित कर दिया  
 जाता है।

परीक्षा-प्रश्नों पर ध्यान देना भी पूर्णतः वैयक्तिक विषय है, जो  
 अधिकतर परीक्षार्थी मनोइच्छा पर अयत्नम्वित होता है। प्रयोगों व  
 अनुभव ने प्रमाणित होना है कि एक ही उत्तर-पत्र को यदि दो परीक्षार्थक  
 पुषक-सूचना दें तो उनके अंक देने में लगभग ५० प्रतिशत तक का  
 अन्तर हो जाता है। यही नहीं एक ही परीक्षार्थक एक ही पत्र को यदि  
 पुनः किसी अन्य अवसर पर देने तो उसी पर अन्तर अंक देना है, ऐसा  
 भी कई बार देखा जा चुका है। परीक्षा की यह दशा अयत्नम्वित अयत्नोप-  
 जनक है। प्राचुरित 'प्रोबेक्टिव टेस्टिंग' परीक्षा की इस वैयक्तिकता

को तो कुछ धरों में दूर कर सकते हैं, परन्तु अन्य समस्याएँ सम्भुन रह जाती हैं ।

परीक्षा की इस समस्या को सुलझाने के लिए कुछ ऐसा प्रयत्न करना चाहिये जिसमें वार्षिक परीक्षा को ही सबसे अधिक महत्व न दिया जाये । यदि यह सम्भव हो जाये तो परीक्षार्थियों को परीक्षकों से मित्रता गारुने, विश्वविद्यालय के अधिकारियों को रिस्वतें देने अथवा अन्य कोई अनुचित कार्य करने की आवश्यकता ही नहीं पड सकती । यह समस्या अत्यन्त जटिल है, प्रयोगों तथा अनुभवों से ही इसको सुलझाया जा सकता है । नीचे मैं अपने कतिपय तुच्छ सुझाव रखता हूँ :—

१ विद्यार्थियों की उन्नति की परीक्षा करने के लिए मासिक 'आदर्श-परीक्षा' अत्यन्त सहायक सिद्ध हो सकते हैं । वार्षिक परीक्षाओं के कुछ धरों से लगभग बीस प्रतिशत अंक इन मासिक परीक्षाओं को मिलने चाहियें ।

२ लगभग २५ प्रतिशत अथवा कार्यक्रम के अतिरिक्त कार्य- व्यायाम- शिक्षा, वाद-विवाद, पुस्तकालय आदि में पठन-पाठन, तथा आचरण व व्यवहार आदि, के लिए निश्चित होने चाहियें । इसके लिए इन विषयों से सम्बन्धित अध्यापक ही उत्तरदायी होने चाहियें ।

३ वार्षिक परीक्षा के सम्बन्ध में कुछ सुझाव (वार्षिक परीक्षा के अंक कुन धरों का ५० प्रतिशत भाग होना चाहिये । )

(अ) वार्षिक परीक्षा के लिए परीक्षा से पूर्व ही कोई समय-विभाग परीक्षार्थियों को नहीं बताना चाहिये, उन्हें केवल इतना ही बताना चाहिये कि परीक्षा इस तिथि से आरम्भ होगी तथा अमुक तिथि पर समाप्त होगी । प्रश्न-पत्र का विषय उगकी परीक्षा से केवल २४ घंटे पूर्व बताना चाहिये ।

(आ) प्रश्न पत्र बनाते समय धास्तव में परीक्षक को उस विषय पर कोई भी शीर्षक लेकर प्रश्न बनाने चाहियें, त्रिमसे उस विषय में विद्यार्थी

के वास्तविक ज्ञान का परिचय मिल सके। इसका उद्देश्य यह है कि दो वर्षों के समय में विद्यार्थी यथा-शक्ति उम्र समय उस विषय का अधिक ज्ञान प्राप्त करके, उम्रमें निपुणता प्राप्त कर सके। अब तो हम जानते ही हैं, कि केवल परीक्षा के निवृत्त घाने पर ही विद्यार्थी अपनी पढ़ाई प्रारम्भ करते हैं और विचित निर्वाचित अध्ययन ही कर पाते हैं, यही कारण है कि सस्ने संस्कार तथा प्रकाशको को बहुत लाभ होता है, और दुष्टानों पर सस्ती सहायक पुस्तकों पर ढेर दृष्टिगोचर प्रकाशित किये जाते हैं, परीक्षा में कुछ दिन पूर्व छात्र इन उत्तरो को कंठाय कर लेते हैं और परीक्षा में सफल भी हो जाते हैं। अब सर्व प्रथम इस प्रकार की सस्ती सहायक पुस्तकों का प्रकाशन बन्द कर देना चाहिये।

परीक्षा में बैठने में पूर्व प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम पाठ्य-पत्र के तीन चौथाई भाग का विधिपूर्वक अध्ययन अवश्य कर लेना चाहिए, सम्भवतः इस कार्य की निष्ठा के लिए यह उचित ही कि परीक्षा प्रारम्भ होने में एक मास पूर्व, प्रत्येक प्रश्न पत्र के विषय में लगभग पन्द्रह प्रश्न, सर्वसाधारण की सूचनाओं प्रकाशित कर दिये जायें। इस प्रकार विद्यार्थी कम से कम प्रत्येक विषय के उन पन्द्रह प्रश्नों को धरकर ही अपनी भाति पढ़ेंगे, और हमारी निष्ठा का कुछ उद्देश्य पूर्ण हो जायेगा।

मैं यह भी मृगच्छा रमना हूँ कि कि परीक्षा के हाल में प्रत्येक विषय की बुनी-बुनी 'रेफरेंस बुक' होनी चाहिये, दूर-दूर भी वही रम जा सकते हैं, जिनमें विद्यार्थी उनमें लाभ उठा सकें। ला (Law) की परीक्षाओं में ऐसा अब भी होता है। मृगच्छा आदि विषयों में प्रयोगिक तथा वास्तविक कार्य भी परीक्षा का एक प्रमुख घण होना चाहिए। छात्रों को ही के विद्यार्थी में 'भारत के प्राकृतिक विभाग' के सम्बन्ध में भौतिक प्रश्न करने उनकी स्मरण-शक्ति की परीक्षा लेने की परीक्षा भारत का विशेष-मन्त्रिण पढ़ाना अधिक ध्येयकर होगा।

४. उत्तर-पत्र पर धक देने के लिये मनोवैज्ञानिक साधारण होना

क्षेत्र में मनात रूप में सफलता प्राप्त कर सनता है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ 'साधारण योग्यता' अवश्य होती है; इसे उन्होंने 'g' नाम दिया। उनका कहना है कि वह साधारण योग्यता अथवा 'g' समस्त परिस्थितियों के लिए है। इसके अनिश्चित कुछ 'विशेष योग्यताएँ' (specific abilities) भी होती हैं; इसे वह "s" कहते हैं। 'बुद्धि परीक्षण' के द्वारा इसी 'g' को मापने का प्रयास किया जाता है। स्पीयरमैन के अनुसार इस 'g' की तीन विशेषताएँ हैं (यह स्पीयरमैन के "Neogenetic principles" कहनाते हैं।) यह विशेषताएँ ये हैं : (i) अपनी मानसिक-प्रक्रियाओं को स्वयं जानने की योग्यता, (ii) मानसिक लक्ष्यों के सम्बन्ध को जानने की योग्यता तथा (iii) इन सम्बन्धों का ज्ञान प्राप्त करके उनके निष्कासन की योग्यता, जिनमें उत्तम परिणाम निकल सकें।

आज हमारी सरकार ने समस्त देश में छः से चौदह वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिये अनिवार्य निःशुल्क बुनियादी-शिक्षा-पद्धति के प्रचार का आन्दोलन प्रारम्भ किया हुआ है। यह हमारे लिये जरूरी है कि हमारे बच्चे अपनी शिक्षा समाप्त करके उचित निर्देशन प्राप्त कर सकें। उचित निर्देशनार्थ उनके 'g' तथा 's' (जिनके लिए aptitude tests हैं।) का ज्ञान प्राप्त किया जाए और उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार आगे बढ़ने तथा व्यवसाय अपनाने का परामर्श दिया जाए। प्रचलित परीक्षण प्रणाली में जो परिणाम हमें प्राप्त होता है वह इस काम के लिए पर्याप्त नहीं होता, इनके स्थान पर उचित बुद्धि-परीक्षणों की आवश्यकता होती है; जन सेवा आयोगों को भी भिन्न-भिन्न बायों के लिए कार्यकर्ता चुनने समय इन परीक्षणों का प्रयोग करना चाहिए।

उपर्युक्त यह भाये है कि बुद्धि की उचित परिभाषा नहीं दी जा सकती, परन्तु इसमें बालक के जीवन में उसकी महत्ता कम नहीं हो जाती। बालक के जीवन एवं शिक्षा में 'बुद्धि' का महत्त्व बहुत अधिक है।

प्रत्येक बालक में बुद्धि समान मात्रा में नहीं होती, किसी व्यक्ति में वह अधिक होती है और किसी में कम और हमें इसी अन्तर का ज्ञान प्राप्त करना होता है। जिन बच्चों में बुद्धि की मात्रा अधिक होती है, (जो बच्चे तीव्र बुद्धि वाले होते हैं), वे प्रदत्त शिक्षा को सामान्य में और शीघ्र ग्रहण करते हैं, कम बुद्धि वाले बच्चे इतनी सरलता में और इतनी शीघ्र शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। इसलिए बच्चों की बुद्धि की परीक्षा करना आवश्यक है, इसमें न केवल उनकी शिक्षा में ही गत्यायता मिलेगी, अपितु समय व शक्ति भी अप्रव्यय न होगी।

अपने प्रतिदिन के गम्भीर में घाने वाले व्यक्तियों की बुद्धि के विषय में हम थोड़ा बहुत ज्ञान साधारण रीति में प्राप्त कर सकते हैं परन्तु इस प्रकार जिस निष्कर्ष पर हम पहुँचते हैं वह सर्वथा ठीक नहीं हो सकता। बहुधा हमारे यह निष्कर्ष हमारे पक्षपात आदि में दूषित रहते हैं। अतएव हम इन पर सर्वथा विश्वास नहीं कर सकते। मनोवैज्ञानिकों ने जिन बुद्धि परीक्षणों का आविष्कार किया है वे सर्वथा वैज्ञानिक हैं। ये परीक्षण वैयक्तिक और सामूहिक दोनों प्रकार के हैं। पश्चिमी देशों में इस प्रकार की परीक्षण-प्रणाली का प्रयोग न केवल शिक्षालयों में ही किया जाता है बल्कि वेदा तथा अन्य व्यवसायों के लिए व्यक्ति चुनने समय भी किया जाता है। परन्तु भारत में बुद्धि-परीक्षणों का अधिक प्रचार अभी तक नहीं हुआ। अभी तक केवल पाँच परीक्षणों का ही निर्माण हुआ है, वे भी केवल स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल ही बनाए गए हैं। भारत की जनसंख्या अति विशाल है। परन्तु अभी तक केवल गिने चुने व्यक्ति ही वापसेन में आए हैं। हमारे पास मानव शक्तियों को नष्ट करने के कोई साधन नहीं हैं। यदि हम इस अ-प्रयुक्त जन-शक्ति को प्रयोग करें तो हमें असाधारण सफलता मिल सकती है। अपने देश की आर्थिक एवं अन्य सामाजिक योजनाओं के लिए जन-शक्ति का प्रयोग करना अनिवार्य है और मनुष्य की योग्यताओं

को नापने के लिए यह परीक्षण तथा अन्य मनोवैज्ञानिक रीतियाँ भी अनिवार्य हैं।

यह मत्व है कि किसी मनुष्य की बुद्धि को हम बड़ा नहीं सकते, परन्तु यदि हम उसकी मात्रा को जान जायें तो उसका उचित प्रयोग करने की विधि उन मनुष्य को अवश्य बता सकते हैं, हम उसे यह बताने में महायत्न कर सकते हैं कि यह अपनी बुद्धि का सदुपयोग किस प्रकार कर सकता है। यही सच्ची शिक्षा का उद्देश्य है। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी बुद्धि के अनुकूल शिक्षा मिलनी चाहिए, परन्तु यह तभी हो सकता है जब हमें उसकी बुद्धि का ज्ञान हो। इस दृष्टि में भिन्न-भिन्न वर्गों के बच्चों के लिए उनकी बुद्धि के अनुकूल शिक्षा का प्रबंध किया जा सकता है। आयु के आधार पर बुद्धि परीक्षण भी भिन्न-भिन्न प्रकार के होंगे, उनमें स्थानीय परिस्थितियों के कारण भी विभिन्नता हो सकती है। इसलिए हमारे यहाँ अधिक मर्यादा में बुद्धि परीक्षणों का निर्माण होना चाहिए—और उन्हें प्रामाणिक भी बनना चाहिए। सर्वमान्य बनने से पूर्व उनका प्रयोग एक बड़ी संख्या में बालकों पर करना चाहिए। इस प्रकार के परीक्षण बनाने, लिखने (उनका विव्याप्त करना), उनका प्रयोग करना तथा अंक प्रदान करना, इन विषयों का भली भाँति ज्ञान होना अनिवार्य है। मैंने यह अनुभव किया है कि बुद्धि परीक्षण की यह समस्या इनती अधिक शास्त्रीय तथा गणितात्मक बना दी गई है कि प्रत्येक अध्यापक इनका प्रयोग नहीं कर सकता। यदि हमारे स्कूलों के अध्यापक इनका प्रयोग न कर सकें तो इनका महत्व कम हो जायेगा और भारत में बुद्धि परीक्षण का कार्य कुछ गिने चुने व्यक्तियों की ज़ांती बनकर रह जायेगा। इस प्रकार राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में इनका कोई लाभ न हो सकेगा।

चीने के पूर्व भी बुद्धि-परीक्षण के कुछ प्रयत्न किये गए थे और ऐसे सरल परीक्षण बताये गए थे जैसे वाक्य-पूर्ति, चित्र पूर्ति करना, आकार,

एक शब्द व वाक्य आदि पहिचानने की गति, वर्ण-निर्देशन (दिये हुए कुछ शब्दों में से निर्देशानुसार कुछ वर्णों का वाटना) इत्यादि। इस प्रकार के परीक्षण बनाने का कारण उनका यह विचार था कि बुद्धि एवं सुमंगलित शक्ति है और एक ही कार्य या परिस्थिति में यह पूरी तरह व्यक्त हो सकती है। इस प्रकार जो परिणाम मिलने के अनन्त ही ठीक ठीक से और उनमें संगतः ही गफलता भी मिली।

गवंप्रथम उपयुक्त बुद्धि—परिक्षण बीने ने माइमन के सहयोग से बनाए। वे बुद्धि को 'योग्यताओं' की एक जटिल व्यवस्था मानते थे, उन्होंने दिन-प्रतिदिन की कुछ साधारण समस्याएँ चुनी जिनको हल करने में 'बुद्धिमानों' की आवश्यकता होती है और उनको भिन्न-भिन्न वय के अनुसार थोड़ी से वर्गीकृत किया जैसे कि एक आठ वर्ष के बालक के लिए केवल वे ही कुछ समस्याएँ थीं जिन्हें आठ वर्ष का एक औसत बालक पूरी तरह सुलझा सकता है। उसी तरह भिन्न भिन्न आयु के लिए किया गया। उन्होंने ये 'परीक्षण' ३ वर्ष से लेकर प्रौढ़ आयु तक के बालकों के लिए थोड़ीबहुत किये और इन प्रकार के परीक्षणों की एक लम्बी तालिका बनाई और बारम्बार प्रयोग करने के बाद सन् १९११ में (स्वेल) मानदण्ड प्रकाशित किया। उसके बनावट परीक्षण में से कुछ नीचे उद्धृत किये जाते हैं जिनमें उनकी पद्धति और स्पष्ट हो जायगी:—

• आयु ३ वर्ष

१. नाक, घोंग व मुँह की ओर इंगारा करके बनाना।
२. दो छकों का दोहराना।
३. चित्र में दी गई वस्तुओं का बनाना।
४. अपने परिवार वालों के नाम दोहराना।
५. अक्षरों गण के वाक्य सुदराना।

• आयु ८ वर्ष

१. स्मृति के आधार पर दो वस्तुओं की तुलना करना।



## प्राथमिक शिक्षा की समस्याएँ

२. २० से ० तक उल्टा गिनना ।
३. चित्रों में छूटी हुई चीजों को नोट करना ।
४. दिन व तिथि बताना ।
५. पाँच शब्दों की पुनरावृत्ति करना ।

प्रायु १५ वर्ष

१. मात शब्दों की पुनरावृत्ति ।
२. दिए गये शब्द के तीन आनुप्रासिक शब्द देना ।
३. २६ अक्षरों से वाक्य की पुनरावृत्ति करना ।
४. चित्रों को पढ़ना ।

प्रीठ

१. बागज काटने के परीक्षण को पूर्ण करना ।
२. कल्पना में एक चित्र का पुनर्स्थापना करना ।
३. दो विरोधी-भावात्मक शब्दों का अन्तर बताना ।
४. राष्ट्रपति तथा वादनाह में अन्तर बताना ।
५. पडे हुए शय्या मुने हुए उदरग के भाव बताना ।

प्रायु के अनुकूल परीक्षणों के देने में हमें यह ज्ञात होता है कि उम्र प्रायु के एक बच्चे में जितनी बुद्धि होनी चाहिए उतनी उम्र बच्चे में है शय्या नहीं । मान सीजिये आठ वर्ष का बच्चा उम्र परीक्षण में सफल हो जाता है जो छ. वर्ष के बच्चे के लिए है परन्तु उम्र परीक्षण यह हुआ कि यद्यपि उम्र बच्चे की बालानुक्रमीय या शारीरिक उम्र आठ वर्ष है, उम्र की मानसिक उम्र केवल छ. वर्ष ही है ।

धीने द्वारा बनाए गए यह परीक्षण व्यक्तिगत परीक्षणों, विज्ञान तथा बाल-निर्देशन आदि के लिये बहुत लाभदायक है । इन परीक्षणों में

प्रत्येक बालक की व्यक्तिगत रूप से परीक्षा की जाती है, इसलिए इसमें समय भी अधिक लगता है, अनेकों कठिनाइयों भी घाती हैं और बहुत पैसों की भी आवश्यकता पड़ती है विशेषकर जब अधिक बालकों पर इसका प्रयोग करना हो।

अब अनेकों देशों ने इन परीक्षणों को श्वीकार कर लिया है; कई विद्वान जैसे मिरिल बर्ट, टरमन आदि ने इनमें और उन्नति भी की है। जर्मनी व इटली में भी इन पर कुछ प्रयोग हुये हैं। टरमन के प्रथम मंशोधन को स्टैन्वोर्ड मंशोधन कहते हैं; दूसरी बार टरमन ने मैडिल के सहयोग में काम किया और परीक्षण बनाए व अधिकांश अंग्रेजी भाषी देशों में इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। बुद्धिमत्ति (Intelligence Quotient) को देन टरमन की ही है; परिणाम अभिव्यक्त करने में अब बुद्धिमत्ति (Intelligence Quotient) का ही प्रयोग किया जाता है। बुद्धिमत्ति निकालने का सूत्र ध्वन्यन्त मरत्य है:—

$$\text{बुद्धिमत्ति (I Q.)} = \frac{\text{मानविक वय}}{\text{सारीरिक वय}} \times 100.$$

मानविक धाम्यता बनाने की यह विधि सर्वप्रथम मानी जाती है।

प्रत्येक मनुष्य के जीवन-वर्षों उनकी बुद्धिमत्ति धारित्वानि ही रहती है। माना जाता है कि एक देन की लगभग ६० प्रतिशत जनमस्या की बुद्धिमत्ति साध्य अथवा धीन है अर्थात् ६०—१०० के बीच, २० प्रतिशत व्यक्ति साधारण से ज्यादा बुद्धिमान तथा शेष २० प्रतिशत साधारण के कम बुद्धि वाले होते हैं। देशधामियों की बुद्धि नियमक यह सूचना प्राप्त करना शिक्षा आदि की योजनाएँ बनाने में बहुत साधनयक हो सकता है।

भारत में शीना-परीक्षणों के मंशोधन करने के बहुत कम प्रयास किए गए हैं। सर्वप्रथम सन् १९२२ में हर्बर्ट राइन ने इन पर काम

किया; ये परीक्षण माधारण हिन्दुस्तानी में थे और उनका नाम था "Hindustani Binet performance point scale" सन् १९४० में डा० वी वी० कामय ने स्टैन्फोर्ड संशोधन पर पुनः काम किया और मराठी व कन्नड में परीक्षण बनाए। इनके अतिरिक्त अन्य प्रयत्न भी किये गये परन्तु प्रामाणिक रूप से अभी तक कुछ नहीं बनाया गया। आशा है कि भिन्न-भिन्न भाषा-भाषी प्रदेशों में व्यक्ति इस दिशा में प्रयत्न करके प्रामाणिक परीक्षण तैयार करेंगे।

युद्ध के व्यक्तिगत परीक्षण की उपयोगिता एक ऐसे देश में जिसकी जन-संख्या बढ़ती हुई हो, कुछ सीमित है, इसके स्थान पर सामूहिक परीक्षण अधिक उपयोगी होंगे। ऐसे परीक्षणों को बनाने का श्रेय संयुक्त-राष्ट्र अमेरीका को है। सन् १९१७ में जब अमेरीका युद्ध में उतरा उस समय यह परीक्षण बनाए गये। यह परीक्षण आर्मी-एलफा व आर्मी-बीटा टेस्टस के नाम से बनाये गए और इनका प्रयोग लगभग १७,००,००० व्यक्तियों पर किया गया। इन परीक्षणों का जो प्रम निर्धारित किया गया वह बहुत विद्वत्सनीय सिद्ध हुआ। उसके बाद अमेरीका में कई सामूहिक परीक्षण बनाये गये जिन सिद्धान्तों के आधार पर ये परीक्षण बनाये गये वे बीने के सिद्धान्तों से ही मिलते हैं, परन्तु करने का ढंग तथा उनके प्रयोग की विधि भिन्न थी। प्रश्नों के विद्वत्सनीय हो सकने हैं। इनमें से अधिकांश में प्रत्येक प्रश्नों के सामने उसके तीन-चार सम्भावित उत्तर दिये जाते हैं जिनमें से सिर्फ एक, जिसकी परीक्षाओं उस प्रश्न का सबसे सही उत्तर समझे, के नीचे रेखा खींचनी होती है जैसे एक युद्धिमान व्यक्ति को मदिरापान नहीं करना चाहिए। क्योंकि—

१. यह बड़बी होती है।
२. यह मेंहमी होती है।

३. यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

भारत में डा० एस० जलोटा (बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय) तथा बनारस सोहनलाल ने कुछ सामूहिक-परीक्षण बनाये हैं। डा० जलोटा ने सन् १९३७ में कालिज के विद्यार्थियों के लिए सामूहिक परीक्षण तथा बनारस सोहनलाल ने ग्यारह वर्ष के बालकों के लिए ऐसे ही परीक्षण बनाये। इलाहबाद के मनोवैज्ञानिक केन्द्र के श्री सी० एस० भाटिया भी ऐसे परीक्षण तैयार कर रहे हैं।

सामूहिक बुद्धि-परीक्षणों से गीधे ही बुद्धि-लब्धि का पता नहीं लगता। उनसे हमें केवल एक ही मिलते हैं, बाद में उन्हें मानसिक समस्या या बुद्धि-लब्धि में बदला जाना है। इनमें मानकों की तालिका की सहायता लेनी पड़ती है। इस तालिका से यह भात हो जाता है कि कितने प्राप्तांक शिरो विशेष आयु के बालक के लिए औसत है। एक बात का धोर विशेष ध्यान रखना चाहिये कि केवल एक ही परीक्षण से प्राप्त परिणाम विश्वगनीय नहीं होता; एक ही प्रकार से कम से कम तीन परीक्षणों का प्रयोग करना चाहिये। परीक्षण तैयार करते समय भी यह ध्यान रखना चाहिये कि एक प्रकार का केवल एक ही परीक्षण न बनाया जाय।

बुद्धि-परीक्षणों काि का सम्पन्न करने में कुछ समस्यायें सामने आई हैं जिन पर भी विचार किया जा सकता है। उदाहरणार्थ :

१. माता-पिता तथा मंत्राल में समानताएँ।
२. पारिवारिक समानताएँ।
३. कुटुंबा धरुओं में समानताएँ।
४. भाई बहिनों में समानताएँ।
५. पूषक-पूषक रहने वाले सम्बन्धियों में समानताएँ।
६. गाव रहने वाले उन व्यक्तियों में समानताएँ जो परम्पर सम्बन्धी न हों।

७. वानावरण तथा शिक्षालय का बुद्धि पर प्रभाव । इत्यादि—  
 ऊपर हमने बुद्धि-परिमाणों के रूप एवं उनके महत्त्व को देखा । इसमें यह स्पष्ट है कि मनुष्य के जीवन में उसकी बुद्धि का महत्त्व कितना अधिक है । जैसा कि स्वीयरमैन ने कहा है, 'H' मनुष्य की समस्त क्रियाओं में समान है उसके 'S' का ज्ञान प्राप्त करके उन देशों के सम्मिश्रण से व्यक्ति निस्संदेह उस उच्चता पर पहुँच सकता है, जिस पर पहुँचने की योग्यता उसमें विद्यमान है । यदि विशेष योग्यता का ठीक ज्ञान न हो तो 'H' का 'S' के साथ गलत सम्मिश्रण होने की सम्भावना रहती है, इस प्रकार 'H' का मूल्य भी नष्ट हो जायगा । बुद्धि की माया मनुष्य की क्रियाओं को सीमा के स्तर-बद्ध कर देती है और यदि हमें उसका पूरा-पूरा ज्ञान होगा तो हमें पूरी सफलता नहीं मिल सकती क्योंकि इस ज्ञान के बिना यह मायाका हो जाती है कि कोई मनुष्य अपनी बुद्धि के लिए बहुत कठिन काम करे और कोई मनुष्य ऐसा काम करे जो उसकी बुद्धि की मात्रा को देखते हुये उसके लिए अत्यन्त सरल हो । यह दोनों ही सीमायें हानिकारक हैं । अस्तु, यदि बुद्धि परीक्षण का प्रयोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र (व्यवसाय) में किया जाये तो निस्संदेह हमें बहुत सफलता मिलेगी । इनके साथ ही अभिवृत्त, अभियोग्यता, प्राप्त-योग्यता आदि परीक्षणों का प्रयोग भी किया जायगा । हर राज्य को भी ऐसे कार्यकर्ताओं को नियुक्ति करना चाहिये जो 'वीने स्केल' का संशोधन कर के उन्हें परिस्थितियों के अनुकूल बनायें तथा स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल अन्य सामूहिक एवं व्यक्ति परीक्षण आयोजित करें । स्कूल की शिक्षा प्रारम्भ करने से पूर्व प्रत्येक बच्चे पर इन परीक्षणों का प्रयोग करना चाहिये, उसके बाद प्रत्येक वर्ष उनकी परीक्षा इसी प्रकार लेते रहना चाहिए जिससे यह मान्य हो सके कि उन्होंने अपनी बुद्धि के अनुकूल शिक्षा प्राप्त की है या नहीं; यदि नहीं तो यह सम्भला चाहिए कि कहीं कोई बुद्धि रह गई है—सम्भवतः विषयों के चुनाव या अध्ययन-विधि आदि में ।

जहाँ तक विभिन्न व्यवसायों आदि का सम्बन्ध है, चुनाव की अन्य विधियों के साथ-साथ बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग भी होना चाहिये। एक चीज इस सम्बन्ध में आवश्यक दीख पड़ती है। वह यह कि मनोवैज्ञानिकों आदि को विशेष व्यवसायों के लिये आवश्यक गुणों, अभिवृत्तियों आदि का निर्णय विशेषरूप से कर देना चाहिये और उस विनिष्ट व्यवसाय के लिये उन व्यक्ति को ही चुनना चाहिये जिसमें वे सब गुण विद्यमान हों। आजकल केंद्रीय जनसेवा-संयोग आदि संस्थायें जिस प्रकार व्यवसाय नियुक्ति के निमित्त चुनाव करती हैं उनमें यह स्पष्ट नहीं होता कि किस व्यवसाय के लिये किन गुणों की आवश्यकता है। हमें प्रत्येक व्यवसाय के कुछ स्तर (मानदण्ड) निर्मित करने चाहियें जिनमें चुनाव ठीक प्रकार हो सके और व्यवसायों में जो अयोग्य व्यक्ति आ जाते हैं उनकी संख्या कम की जा सके। बहुधा अति प्रसर बुद्धि वाले व्यक्ति ऐसे कामों को करने के लिये चुन लिये जाते हैं जिनमें इनकी बुद्धि की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार उनकी बुद्धि का सदुपयोग नहीं हो पाता, जैसे कई बार हम अनेक नौकरों, अपराधियों आदि को बहुत बुद्धिमान पाते हैं और उनकी बुद्धि-शक्ति भी अधिक पाई जाती है। यदि हम बुद्धि-परीक्षणों आदि की सहायता से ऐसे व्यक्तियों को खोज कर उपयुक्त काम करने को दें तो निःसन्देह वे भी देश के सम्मान में बहुत बड़ा सहयोग प्रदान कर सकने हैं।

## शिक्षा व मनोविनोद

प्रस्तुत लेख के शीर्षक में ऐसे दो शब्दों का संयोग किया है जिनका कोई संयोग होना साधारण दृष्टि से असंगत प्रतीत होता है। सम्भवतः रुढ़िग्रस्त व्यक्ति इस योगको पसन्द भी न करें। साधारण जन की दृष्टि में 'शिक्षा' का समस्त उत्तरदायित्व स्कूलों पर है तथा मनोविनोद का स्थान स्कूल के बाहर, घर तथा मित्रों आदि में है। ऐसी स्थिति में 'शिक्षा' तथा 'मनोविनोद' का परस्पर कोई सम्बन्ध भी हो सकता है, यह उनके लिए अकल्पनीय बात है। उनके विचार में शिक्षा प्राप्ति में मनोविनोद तथा मनोविनोद में शिक्षा का कोई स्थान नहीं है।

परन्तु फिर भी, यह कहना अयुक्ति-युक्त न होगा कि शिक्षा व मनोविनोद मनुष्य जीवन के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं और मनुष्य के विकास में दोनों का ही स्थान महत्वपूर्ण है। यदि हम यह मानते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी को भावी जीवन के लिए तैयार करना है तो इस तैयारी के लिए शिक्षा में उसकी समस्त क्रियाओं—बौद्धिक, शारीरिक एवं भाष्यार्थिक—का समावेश होना अनिवार्य है। मनुष्य एक पूर्ण इकाई है, उसकी समस्त क्रियाओं का परस्पर अनिवार्य सम्बन्ध है। प्रापुनिक मनोविज्ञान का मत है कि मनुष्य के प्रत्येक कार्य में उसकी शिक्षा का प्रतिबिम्ब होना चाहिये। शिक्षा का अर्थ केवल पढ़ने लिखने इत्यादि की शिक्षा देना ही नहीं है और न शिक्षा का यह अर्थ है कि बच्चा कुछ नियत समय तक बेंचक पर झुक कर पुस्तकें पढ़ता रहे। यदि हम यह चाहते हैं कि उसकी शिक्षा प्रभावात्मक और लाभदायक हो तो उसके लिए यह भी आवश्यक है कि वह शिक्षा प्राप्ति में आनन्द ले सके, दूगरे

गद्यों में हम कह सकते हैं कि शिक्षा में मनोरंजन का घोंडा सा पुट होना जरूरी है, इस विषय में सारे शिक्षाविज्ञ पेस्टोलोत्रो, हरवर्ट, फ्रायबिन, मोन्टेसोरी, ह्यूई, गांधी और टंगोर एक मत हैं। खेल पढ़ाई, संगीत, नृत्य आदि के शैक्षणिक मूल्य को वे भली भाँति समझते हैं, इन बातों को वे केवल मनोरंजन का साधन ही नहीं समझते। रेडियो, फिल्म, ग्रामोफोन, ड्रामा आदि जो चीजें आज तक केवल शैक्षणिक मनोरंजन का साधन समझी जाती थीं, अब शिक्षा का उत्तम साधन मानी जाने लगी हैं। क्योंकि इनके मनोरंजन के साथ-साथ शिक्षा ग्रहण करने पर उनकी उम्र में न तो रुचि नष्ट होती है न बच्चे परते ही हैं। खीन्द्रनाथ टाकुर द्वारा स्थापित शान्ति निकेतन में संगीत, नृत्य तथा अन्य ललित कलाओं का सम्बन्ध शिक्षा के अन्य विषयों के साथ किया गया है, वही शिक्षा खुले मंडान में दी जाती है। मनोरंजन के साथ शिक्षा देने का यह एक अभूतपूर्व प्रयोग है। वर्तमान काल के शिक्षाविज्ञ इस प्रकार शिक्षा में नवीनता लाने के दृढ़ पक्ष में हैं।

फ्रायबिन का कथन है कि "Play is the hand maid to education" यह कथन पूर्ण सत्य है। जो व्यक्ति बाल-मनोविज्ञान में परिचित नहीं है वे ही इस कथन में गहमन नहीं होंगे, अन्यथा समस्त बाल-मनोविज्ञान में परिचित व्यक्ति इस बात को मानते हैं। मनोविज्ञान का एक मूल्य है कि प्रत्येक बालक (और बच्चा भी) खेल तथा मनोरंजन चाहते हैं। यदि हम उल्लेख दोषों सत्यों को ध्यान में रखकर बच्चों के स्कूल तथा स्कूल के बाहर के जीवन की व्यवस्था करें जो अनु-गमनाएँ हम आजकाल के नवयुवक और नवयुवतियों में पाते हैं वे ही अनुगमनाएँ चाहे पाते बाले सुख और नवयुवतियों में न आनाएँ। परंतु यह समस्या हमारे सामने दो रूपों में आती है, पहला—बाला में शिक्षा का सम्बन्ध मनोरंजन में किस प्रकार किया जाय और दूसरा—बालाओं के मन में मनोरंजनार्थ-क्रियाओं तथा शैक्षणिक क्रियाओं का सम्बन्ध



कैसे किया जाय ? इसमें से समस्या के प्रथम रूप के निवारणार्थ कुछ उपाय किये जा रहे हैं परन्तु दूसरे की अभी तक व्यवहेलना ही की जा रही है, जिसका परिणाम यह हो रहा है कि स्कूलों में केवल नाम के लिए पाठ्यक्रमेतर क्रियाएँ (Extra-curricular activities) रख ली जाती हैं। सामान्यतः विद्यार्थी यह नहीं समझ पाते कि वे अपने अवकाश का किम प्रकार सदुपयोग किया जाए।

बहुत से लोगों को प्राथमिक क्रिया-केन्द्रित शिक्षण पद्धतियों के बारे में एक शिंकापत यह है कि उनमें पैसा ज्यादा लगता है। लेकिन वस्तुतः उनका यह सन्देह है। इसमें सन्देह नहीं कि इन पद्धतियों में अध्यापक की योग्यता, आत्म-निर्भरता, उत्साह, उसकी बुद्धिमत्ता आदि की अधिक आवश्यकता होगी है। इसलिए इन पद्धतियों की सफलता के लिए अधिक योग्य अध्यापकों की जरूरत है। डाल्टन-योजना, मोटेमरो पद्धति, बेसिक प्रणाली तथा सति-निवेदन की शिक्षण-शैलियों की सफलता अधिकांश में अध्यापक की कल्पना एवं व्यक्तित्व पर निर्भर है। यदि अध्यापक की कल्पना प्रखर नहीं है और वह डरपोक और आलसी है तो उसके हाथ में आकर फिल्म, रेडियो, ग्रामोफोन, एक्शन सांग (क्रियात्मक गीत) केवल मनोरंजन के होन मात्र मात्र बनकर रह जायेंगे, वह उनसे कुछ शैक्षणिक लाभ नहीं उठा पायेगा। अस्तु, मनोरंजन के साथ शिक्षा की उचित मात्रा होनी चाहिए। दो ढो का मिश्रण दोनों की उचित मात्रा में लेकर करना चाहिए और अध्यापक को इस "मिश्रण" पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए।

साधारणतया, हमारे देश में माता-पिता यही सोचते हैं कि स्कूल की धारिरी पध्ती के साथ ही बच्चों की पढ़ाई समाप्त हो जाती है। माता-पिता के अतिरिक्त स्कूल के अध्यापक भी पाठ्यक्रमेतर क्रियाओं तथा मनोरंजन को कोई महत्व नहीं देते, वे भी यही समझते हैं कि थोड़ी से विषयों की शिक्षा देना ही उनके लिए बहुत है, उनके साथ ही उनका

काम भी समाप्त हो गया। माता-पिता तथा अध्यापकों के इस विचार का एक कारण यही है कि वे मनोविज्ञान के इस विद्वान्त को भूल जाते हैं या जानते नहीं कि बच्चा अपने जीवन के प्रत्येक क्षण शिक्षा ग्रहण करता है। इसी विचार के आधार पर अब extra-curricular activities के स्थान पर Co-curricular activities शब्द को मान्यता दी गई। इस तरह हम देखते हैं कि बच्चे पर प्रत्येक क्षण ध्यान देना आवश्यक है, उसकी मनोरंजनार्थ क्रियाओं को ऐसा रूप देना चाहिये जिससे उसे शिक्षा भी प्राप्त हो।

अस्तु माता-पिता तथा अध्यापकों के लिए यह विषय कि उनके बच्चे घर-बाह्य के समय क्या करते हैं, सबसे अधिक मनोयोग और चिंतन का विषय है, क्योंकि हमारे बच्चों के लिये ऐसी क्रियाएँ जो स्वास्थ्य-कर शैक्षिक क्रियाएँ भी हों और उनसे बच्चों का मनोरंजन भी हो, नहीं के बराबर है। इसका परिणाम यह होता है कि जो कुछ शिक्षा बच्चे स्कूल में ग्रहण करते हैं वह भी स्कूल में बाहर भाकर भूल जाते हैं। किंगी सेट में भाग लेना, सूचना पत्र तथा अन्य हल्का-फुलका साहित्य पढ़ना भी उतना ही मनोरंजक होता है। स्कूल के बच्चों को ऐसे स्थानों की खेद करने से जाना चाहिये जो ऐतिहासिक और भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हों। बच्चों के निःविशेष रूप से शिक्षाप्रद किन्हीं दिग्गाना, रेडियो से विद्यापियों की प्रोग्राम सुनवाना, उनके बनब बनवाना, उनके लिये सामदायिक पुस्तकालय स्थापित करना, इत्यादि ऐसी बातें हैं जो मनोरंजन भी करती हैं और शिक्षा भी देती हैं। अभी तक हमारे बच्चों के लिये उचित साहित्य की बहुत कमी है। परन्तु अब भारत सरकार ने बच्चों और नव दिवसियों के लिए साहित्य रचना की एक स्वीय जारी की है। विभिन्न राज्यों की सरकारों तथा प्राइवेट संस्थानों भी ऐसा काम सामग्री में कर सकती हैं।

कलब एवं माता-पिता शिक्षा के प्रकार मापन माने गये हैं। इनके

सदस्यो, बच्चे और बूढ़ो, को उनकी मानसिक और शारीरिक आवश्यकताओं के लिए यहाँ से उचित खाद्य-सामग्री प्राप्त होती है। अपने साथ के अन्य व्यक्तियों से मिलने जुलने की नैसर्गिक प्रवृत्ति प्रत्येक व्यक्ति में होती है। मभा सोसाइटियों एवं क्लबों की उपादेयता सबसे अधिक इमीलिये है कि उनका जन्म मनुष्य की इसी प्रवृत्ति के कारण हुआ है। परंतु शोक की बात यह है कि अभी ऐसी चीजें हमारे स्कूलों में प्रवेश नहीं पा सकी, उनसे बहुत दूर हैं। हमारे स्कूल हम आदर्श से बहुत दूर हैं।

परन्तु अब हमें अपनी इन असफलताओं से पूरी तरह शिक्षा लेनी चाहिये। हम माता-पिता होकर भी अपने बच्चों के स्कूलों को कुछ सह-मोग नहीं देते जिससे उनकी शिक्षा लाभदायक बन सके। हमसे से जो स्वयं अध्यापक हैं वे भी ऐसी समस्याओं, क्लबों, सोसाइटियों आदि की उपादेयता पर कुछ विचार नहीं करते। अध्यापक वर्ग इन चीजों को अपने क्षेत्र के बाहर की चीजें समझता है। यदि कुछ स्कूलों में ऐसी व्यवस्था है भी तो वे विचारी बिल्कुल निर्जीव सी पड़ी है। हमें उनमें नव प्राण फूँकने की जरूरत है, हमें ऐसे उपाय करने चाहिये कि हम उनकी मर्यादा और उपादेयता को बढ़ा सकें। हमें यह समझ लेना चाहिये कि ऐसी समस्याएँ बच्चों को सामाजिक गुणों, सामूहिक कार्य, उत्तरदायित्व गम्हालने आदि की शिक्षा देती हैं, अतएव वे हमारी शिक्षा व्यवस्था के अनिवार्य अंग हैं। इसके अतिरिक्त इनके बच्चों का मनोरंजन भी हो जाता है जिससे श्रेणी के नीरस पाठों के बाद उनमें सजीवता आ जाती है।

इसी सम्बन्ध में ड्रामों का भी बहुत महत्व है। छपे हुए पक्षरों की अंधा सजीव पात्रों द्वारा खेला गया नाटक अधिक प्रभावशाली और चिरस्मयी होता है। नाटक के पात्र, स्टैज मज ने वाले, प्रोग्रामटर इत्यादि सब उगे होकर अनुपम शिक्षा ग्रहण करते हैं। यदि हम 'विंग-डीयर' नाटक केवल पुस्तक में पढ़ा दें तो बच्चों पर इतना प्रभाव नहीं

## शिक्षा व मनोबिन्द

पढ़ना जितना उसे खेनकर घोर दर्शकों के रूप देखकर पड़ेगा। इस प्रकार उमका मनोरंजन भी होना है और वे शिक्षा भी ग्रामाती ने ग्रहण कर लेते हैं। प्रवक्ता का सदुपयोग करने का भी यह बहुत अच्छा माधन है, इसीलिए शिक्षाविज्ञ इन माधन को अत्यधिक महत्व देते हैं। प्रवक्ता का सदुपयोग करने की शिक्षा को ग्रहण करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र आदि का ज्ञान प्राप्त करना।

हमारे देश में आजकल प्रौढ़ प्रयवा समाज शिक्षा का बहुत बड़ा प्रचार हो रहा है। प्रत्येक प्रौढ़ व्यक्ति को अवकाश के समय पढ़ना नियत व अन्य शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। हमारे यहाँ के मातृशाला विमान प्रयवा प्रौढ़ व्यक्ति अपने प्रवक्ता को हुक्का पीने या इधर-उधर की बातें करने में व्यतीत करते हैं। यह मनोरंजन निरर्थक है। समाज-शिक्षा कार्यक्रम में उन्हें नैमित्तिक मनोरंजन प्रदान किया जाता है। घनेतों किष्मों, सूचनाओं, वादविवाद, पुस्तकालय आदि के द्वारा मनोरंजन और शिक्षा का प्रबन्ध किया जाता है। इस प्रकार प्रौढ़ व्यक्ति का मनोरंजन भी होना है और वह उतनीगी बातें भी सोचना है। इस प्रकार उसे अपने जीवन को अच्छी तरह व्यतीत करने की शिक्षा मिलती है।

## शिक्षालयों में सामाजिक-जीवन की शिक्षा

शिक्षालयों और अन्य सामाजिक संस्थाओं में सामाजिक जीवन का सम्पूर्ण ज्ञान ही इन संस्थाओं की उन्नति में सहायक हो सकता है। सामाजिक-जीवन के आदर्शों को सामने रखते हुए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति में व्यक्ति-गत भाव, विचार, कल्पना और भावुकता का समावेश होता है, चाहे उसका समाज में कोई भी स्थान क्यों न हो। अतः सामाजिक जीवन की पूर्णता के लिये प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शक्तियों के विकास का अवसर देना चाहिए, उन पर किसी प्रकार का दबाव अथवा उनसे बल-पूर्वक आज्ञा पालन करवाना, उनके उचित विकास में बाधक है। सामाजिक जीवन की शिक्षा में बालक में वसन्ध-परायणता, सेवा तथा सहयोग की भावना उत्पन्न होती है, अतः यह चरित्र-निर्माण का उत्तम साधन है। शिक्षालय के समाज में भिन्न-भिन्न जातियों तथा वर्गों के बालक होते हैं, अतः बड़ा जाति या वर्ग-भेद कुछ नहीं माना जाता। बाल्यावस्था में मैत्री की प्रवृत्ति बहुत तीव्र होती है, अतः उन्हें वर्गों और जातियों की बिना नहीं होनी।

प्रत्येक विद्यार्थी बालक के लिये गृह और शिक्षालय दो समाज हैं, अतः उन्हें पूर्ण ज्ञान होगा है। जातीय-उन्नति तथा के प्रतिरिक्त अन्य संस्थाओं में ही अधिक सम्भव है, अतः बोर्डिंग हाउस में शिक्षालय-सामाजिक-जीवन की शिक्षा अच्छी तरह दी जा सकती है। घर तथा स्कूल दोनों पर उनका भार रहना है। जो विद्यार्थी केवल दिन भर के लिए स्कूल में हैं, विमोचक उनका भार स्कूलों तथा घरों दोनों पर

होता है। ऐसी अवस्था में, शिक्षालय के बाहर की प्रत्येक क्रिया बालक के रिक्त-समाज पुनः की समस्या बन जाती है, जिसके प्रबन्ध का उत्तर-दायित्व घर पर है।

हमारे भारतीय शिक्षालयों की क्या अवस्था है? मेरे विद्यार्थी जीवन में शिक्षालयों में सामाजिक जीवन का सर्वथा अभाव था। कुछ समय केवल खेल के मैदान में सामाजिक शिक्षा के लिए मिलता था। खेल भी मप्ताह में तीन दिन ही होते थे, उनमें से भी गृह के काम-नाश के कारण मुझे एक मप्ताह तक अनुपस्थित रहना पड़ता था। किन्तु हृष्य का विषय है कि छात्रकल स्कूलों में व्यवस्थित रूप से ये प्रारम्भ कर दिये गये हैं।

विदेशों में मुझे कुछ शिक्षालयों को देखने का मौकाम्य मिला, जिनमें माउस हेरस्टन स्थित 'जिग एडवर्ड' भी था। उन स्कूल में सामाजिक-क्रियाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिसके कारण बहुत सी समस्याएँ गलत-सुलझाई हो जाती हैं। विशेष अवसरों पर बालक पाठ के समय तक स्कूल में ही रहते हैं, दिन में भक्ति-भक्ति के खेल आदि होते हैं। स्कूल से दूर रहने वाले विद्यार्थियों के घर जाने के लिए विशेष प्रबन्ध किया जाता है। इन अवसरों पर अध्यापक और शिक्षक सृष्टिमय रूप में परस्पर मिलते हैं। हमारे शिक्षालयों में शिक्षकों तथा विद्यार्थियों के इस प्रकार मिलने का कोई अवसर नहीं दिया जाता। फलस्वरूप अध्यापक-विद्यार्थी प्रधान अध्यापक बालकों में किन्तु अलग-अलग रहते हैं। शिक्षक और छात्रों के बीच अत्यन्त ही दूरी हो जाती है। दोनों के मध्य मिलता-जुलता स्वामी और सेवक का सम्बन्ध रह जाता है। प्राचीन देवताओं के समान अध्यापक उच्च पद रह पर अधीन रहते हैं। अधीनस्थ पर्वत की उच्चतम शृंगला पर अधीन, नीचे बड़े हुए भयभीत, कपित और घाबर एवं धडा से पूर्ण, अपने एतों की ओर के उदासीन और सर्वसंगी दृष्टि से देखते हैं। मेरे कहने का ध्यान यह नहीं है कि छात्र शिक्षकों का समुचित धारण न करें, वरन् वे-दल इतना ही है

मकें तथा जो शिक्षालय-समाज की प्रकृति एवं इलाज के लिये प्रवर्ष्यभावी हों। ये नियम जीवन में उपयोगी होने चाहियें। मेरा विचार है कि इस प्रकार हमारे युवक अनुशासन और सद्ब्यवहार की बहुत शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त यदि विद्यालयों में स्कूल के नियम आदि बनाने में सहायता ली जाय, तो वे अनुशासन की शिक्षा अधिक प्राप्त कर सकते हैं। अतः उच्च कक्षाओं के विद्यालयों की एक मभा बना देना चाहिए, जो प्रत्येक अनुचित व्यवहार के लिए अपराधी के दण्ड का संविधान कर, प्रधान अध्यापक को उमकी मूचना दे। अधिक से अधिक छात्रों को इस मभा के सदस्य बनने का अवसर देना चाहिए। इसके लिए उत्तम रीति यह हो सकती है कि समय-समय पर मभा के सदस्य परिचलित कर दिये जायें। शिक्षालय के नियम आदि भी शिक्षकों के परामर्श से, इन्हीं विद्यालयों की मभा द्वारा बनाये जाने चाहियें। इस प्रकार हम विद्यालयों में बतंव्य-नरायणता, उत्तरदायित्व, तथा मेवा जैसे मद्दुणों का प्रादुर्भाव कर सकते हैं, ये प्रयोग एक अमेरिकन प्रधान अध्यापिका के निजी अनुभवों के परिणाम हैं, जिन्होंने इस प्रकार का उत्तरदायित्व विद्यालयों पर छोड़ कर बहुत मफलता प्राप्त की है। उन्होंने अपराधियों को दूँडकर उचित दण्ड देने का अपने शिक्षालय की लड़कियों को छोड़ा अधिकार दे रखा था। यही नियम प्रत्येक कक्षा में तथा खेलों आदि में भी लागू हो सकता है। हमारे यहाँ भी कनास-मानीटर आदि की कुछ व्यवस्था है। किन्तु मेरा विचार है कि कक्षा के बाहर भी विद्यालयों को उत्तरदायित्व संभालने का अग्र्याम होना चाहिये। अतः खेलों, पाठियों तथा अन्य उमकों में शिक्षकों को अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये, बल्कि कार्य-भार विद्यालयों पर ही छोड़ देना चाहिए। शिक्षकों से अधिक दवे हुए बान्नों का व्यक्तिगत-विक्रम ममुन्न नहीं हो सकता।

विद्यालयों की सामाजिक प्रवृत्ति स्वाउटिंग तथा गल्ल-गार्डिंग आदि

संस्थाओं में भली भाँति तृप्ति का प्रथम प्राप्त कर सकती है। यहाँ भी भेरे विचारमे बोर्डिंग स्कूल उचित शिक्षा दे सकते है। भारतीय स्कूलों का बोर्डिंग-जीवन अत्यन्त बन्धन-पूर्ण होता है। किन्तु बालेजों का अत्यन्त प्रयापारण और स्वतन्त्र वातावरण में महत्ता परिवर्तन तत्कालीन स्कूल में निकले हुए विद्यार्थियों के लिए बहुत दुष्कर हो जाता है। स्कूल होस्टलों में विद्यार्थियों का जीवन बहुत परतन्त्र तथा पर-अवलम्बित होता है। होस्टल भवन तथा उनके अन्य उपकरण बेहद रम-विहीन होते हैं, उनके साथ ही कठोर नियम उसे इतना असुव्युष्ट बना देते हैं कि वह विद्रोही हो उठता है और प्रथम पाले ही उनकी प्रवृत्ति करना चाहता है। उसके विचार में होस्टल के बाहर का जीवन स्वर्गीय है, जिसमें स्कूल के कार्य-कर्त्ता उसे बन्धित कर रहे है। फलस्वरूप स्कूल में बाहर निकलते हुए वह हम 'स्वर्गीय जीवन' में दुबकी मगाने लगता है, तथा अभी-अभी तो वह हमें इतना दूब जाता है कि फिर कभी वास्तविकता को समझ ही नहीं सकता। यह प्रथम्या बहुत दयनीय है। स्कूल और कान्फ्र-जीवन के अन्तर की कमी करना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी को उत्तरदायित्व की शिक्षा देनी चाहिए, जिसमें वह भविष्य की कठिनाइयों को हँसते हुए सहने में समर्थ हो।

हमारे स्कूलों में इंग्लिश पब्लिक स्कूल का 'हाउस सिस्टम' बहुत मजबूत हो सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था में मारे छात्रों को निम्न-निम्न 'हाउसों में' विभाजित कर देने है, यह 'हाउस' स्कूल के अन्तर्गत ही होते है। यदि उनमें रीति में ये 'हाउस' बन्धने जाएँ तो मनोविज्ञान के अनुसार ये स्कूल होस्टल के अयु-अय हो सकते है। यह सम्पूर्ण विद्यार्थियों द्वारा अनुशासित होने के कारण विद्यार्थियों के स्कूल में भी इसी प्रकार अनुशासन और कार्य-आदर सम्मानने की क्षमता उत्पन्न कर सकती है।

कुछ दिन हुए मदन में शिक्षा-यन्त्रा में भाषण देने हुए एक बाला ने कहा था हमारा उद्देश्य बालकों को ऐसी शिक्षा देना है जिसमें वे



## प्राथमिक शिक्षा की समस्याएँ

दुमरों के पीछे अग्रविद्यार्थी बनकर न चलें। ये सज्जन बच्चों में नेतृत्व की क्षमता उत्पन्न करना चाहते हैं। संसार के सारे देशों में शिक्षा के इस उद्देश्य को सामने रखना चाहिए। अग्रजों ने 'प्रोफेसट मिस्टम' में कुछ पूर्णता प्राप्त की है, किन्तु अब भी वह सन्तोषजनक नहीं। मैंने जो कुछ ऊपर कहा है, वह इस प्रकार की नेतृत्व-शिक्षा के लिए अत्यन्त उपयोगी सुझाव है। प्राथमिक इतिहास तथा प्राचीन और आधुनिक भूगोल भी अत्यन्त उपयोगी साधन हैं। समाचारों पर साप्ताहिक विवेचना, समाचार पत्र तथा अन्य पत्र-पत्रिकाएँ तथा बड़े विद्यार्थियों के लिए साहित्य समा प्रयत्न ऐसी समाएँ जहाँ वे भिन्न-भिन्न विषयों के लिए साहित्य तर्क कर सकें, अत्यन्त मूल्यवान् मित्र हो सकती हैं। ये मत्र व्यवस्थाएँ बालकों में सेवा-भाव उत्पन्न करती हैं तथा शिक्षक उन्हें मगर में उपयोगी पार्य करने के लिए तैयार पारके भेज सकते हैं।

कुछ सज्जन यह समझते कि मैं शिक्षकों को सर्वथा पीछे की ओर ही छोड़ देना चाहता हूँ। यह भ्रम है, मेरे विचार से शिक्षकों को प्रेरक और सहायक होना चाहिए। विद्यार्थियों की प्रत्येक क्रिया शिक्षकों के सहयोग से होनी चाहिए, तथा प्रत्येक कमी को दूर करने प्रयत्न हानि से विद्यार्थियों को बचाने के लिए शिक्षक को सदैव तत्पर रहना चाहिए।

कक्षा के बाहर प्रतिक्रियाओं के अनेक रूप हो सकते हैं, तथा : (१) स्कूल प्रारम्भ होने से पूर्व विद्यार्थियों और शिक्षकों की सम्मिलित समा (२) खेल (३) शिक्षकों द्वारा मापण और वाद-विवाद (४) संगीत सम्मेलन (५) नाटक (६) निकरिफ (७) स्कूल द्वारा प्रचलित बनन तथा अन्य गमाएँ (८) बालकों की अभिरुचि के अनुकूल काम तथा फोटोग्राफी प्रयत्न टिकट प्रादि एकत्रित करना। यह कार्यक्रम स्कूल प्रयत्न व्यक्तिके हिन को देखते हुए करने का नहीं, वरन् अधिकतर छात्रों के हितों को समुचित करने के लिए रखना चाहिए।

यूरोप के स्कूलों में 'ट्यूरीरियन मिस्टम' पाया जाता है। इसके

धनुमार प्रत्येक छात्र-विभाग के कुछ विद्यार्थी एक शिक्षक के निरीक्षण में छोड़ दिये जाते हैं। शिक्षक अपने विभाग के छात्रों की प्रत्येक क्रिया का मत्तो-भांति निरीक्षण करता है, तथा उनकी उन्नति के लिए प्रयत्न करता है। इस व्यवस्था में एक परिवर्तन उचित समझता है—यह मह कि कुछ समय पश्चात् शिक्षक तथा उनके विभाग के विद्यार्थियों में परिवर्तन कर देना चाहिए। इस प्रकार विद्यार्थियों तथा शिक्षक की अधिक व्यक्तिगत अनुभवों का सुयोग प्राप्त हो सकता है। इस व्यवस्था की सफलता बहुत कुछ निरीक्षण शिक्षक के ऊपर निर्भर है। इस प्रकार परिवर्तित स्वल्प हमारे लिए अत्यन्त उपयुक्त होगा।

उपयुक्त मुद्राओं के आधार पर निर्मित शिक्षालय-समाज अपने गदस्यों में से हीनता की भाषना निकाल उन्हें कर्तव्यगीन व्यक्ति बनाने में सफल होगा। शिक्षालय तथा गदस्यों के प्रति कृतज्ञता और प्रेम, शिक्षालय की उन्नति में सब की धनुमूति आदि उच्च भावनाओं का धीजारोपन पर उन्हें पूर्ण विवसित व्यक्ति बनाने में महामक सिद्ध होगा।

जो कुछ मैंने ऊपर कहा है वह लड़के और लड़कियों दोनों के लक्ष्यों के लिए उपयुक्त ही है। इसमें थोड़ा ना परिवर्तन कर देने से इन सब व्यवस्थाओं को हम सह-शिक्षा-मंस्थाओं में भी प्रयुक्त कर सकते हैं। धाधुनिक लड़कियों तथा लड़कों के शिक्षालय अपने निजी रूप में सर्वोत्तम उपयोगी हैं, किन्तु यहाँ भी सह-शिक्षा-मंस्थाओं के समान दिव्य दृष्टि-बोण का अभाव है। सह-शिक्षा-मंस्थाओं में विग-अद को छोड़ न करके स्त्री को भी पुरुष के समान ही समान का सदस्य समझना चाहिए। सह-शिक्षा-समस्या बहुत जटिल है, इस पर अनेक पाठ-दिव.द भी होते हैं, किन्तु स्थानाभाव के कारण मैं इस विषय में अधिक नहीं कह सकता। हमना अवरय यह कहता हूँ, कि सामूहिक ढंग पर धाधित सह-शिक्षा मंस्था, धाधानिक, विद्योपाजन, मध्यम तथा नैतिक शिक्षा के लिए बहुत उपयोगी

सिद्ध हो सकती है। इनके द्वारा लड़के और लड़कियों के स्कूलों के एकांगी भेद-भाव मिटाये जा सकते हैं, जहाँ लिंग-भेद केवल आश्चर्य की वस्तु ही समझी जाती है, तथा एक-दूसरे के प्रति दोनों जातियाँ अनभिन्न रह जाती हैं।

कभी-कभी यह शका की जाती है कि इस प्रकार की सामाजिक क्रियाएँ स्कूल की फीस तथा बच्चों के व्यय को बढ़ा देती हैं। इसका कारण यह है कि जो थोड़े-बहुत पश्चिमक स्कूल भारत में हैं, उन्होंने इन विषयों को बढ़ा-चढ़ा कर, इनके प्रति भ्रम उत्पन्न कर दिया है। ये स्कूल भारत के लिए उदाहरण रूप नहीं हो सकते। इन स्कूलों की शिक्षा भारतीय जीवन से सर्वथा विभिन्न है, अतः यहाँ के छात्र जीवन में कठिनाइयाँ ही पाते हैं। हम अपने बच्चों को भारतीय बनाना चाहते हैं। जब तक इन स्कूलों में सच्ची भारतीयता नहीं आ जाती तब तक इन्हें उचित महत्त्वना मूल्यता है। इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि हमारे शिक्षक, विदेशी शिक्षा प्राप्त होने पर भी, हृदय एवं आत्मा से भारतीय ही होने चाहिएँ, तभी हम देश की उन्नति के लिये सच्ची शिक्षा दे सकते हैं।

## शिक्षा में रेडियो का स्थान

रेडियो का लाभ तथा प्रधान गुण मुख्यतः उसके वर्गों की वास्तविकता और वक्तव्यों तथा सर्वत्र फैले हुए हजारों श्रोताओं पर उसके लगभग होने वाले प्रभाव पर निर्भर है। अतः शिक्षालयों में बेतार के तार के पाठ विद्यालयों को मान्यता तथा स्थिति बनाने वाले होते हैं।

परन्तु इसको शिक्षण के मौलिक नियमों के परिवर्तनार्थ नहीं चुना गया। इसका उद्देश्य केवल पाठन कार्य की सम्भावनाओं को विस्तृत करना है जिससे कि यह हमारे शिक्षालयों के उन बच्चों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सफल बन सकें जिनकी अधिष्ठ मुधरे हुए मानव समाज में उचित रूप में रहना है।

हममें में कुछ (मुख्यतः पाठशालाओं के शिक्षक) शिक्षा विषयक कार्य के प्रकार के विचार मात्र को ही विनोद पूर्ण उपेक्षा में उड़ा देते, मानते कि वो सामाजिक शिक्षण से वृथक हो परन्तु ऐसा करना मुख्य रूप से अध्यापक के अविचार पूर्वक निर्णय का फल है। अध्यापक को यह भय होता है कि इयामाट, पाठ तथा तबसे इत्यादि में शिक्षक यह रेडियो कक्षा नियंत्रण और अनुगमन क्रम में बाधा न डाल दें। यह कुशल दलाओं की योग्यताओं में भी ईर्ष्या कर सकता है या यह अनुचित अनुमान भी कर सकता है कि पाठशालाओं को सफलतापूर्वक चलाने वाली उररी मेवा हममें बन्द हो जायगी।

साहे कुछ भी हो परन्तु विद्वानों के अनेक अनुभवों ने यह सिद्ध कर दिया है इन प्रकार के भय निर्मूल है यदि उचित रूप में व्यवस्था की

जाय तो पाठशाला कार्यक्रम अध्यापकों के कार्य में बाधा न पहुँचा कर उनको अधिक सहायता ही दे सकते हैं। अतः इससे उनको किसी प्रकार की हानि की सम्भावना नहीं हो सकती। पाठशाला कार्यक्रम कुछ अल्प अनुभवों तथा अत्यधिक भीषण अध्यापकों को यह विदवास दिलाने में भी यथेष्ट होगा कि जब बच्चों में बौद्धिक होता है सब वे शिक्षा ग्रहण करने के लिये अधिक उत्साहित होते हैं।

अखिल भारतीय रेडियो ने अभी तक इस दिशा में किसी विचारपूर्ण नीति का अनुसरण नहीं किया है। अधिकतर आकाशवाणी केन्द्रों के पास लाभदायक पाठशाला समाचारों की कोई उचित सामग्री नहीं है। ऐसी पाठशालाओं की संख्या, जिनमें सुनने योग्य संट हों, निराशाजनक ही है और ऐसी पाठशालाओं की सरवा तो और भी अल्प है जो नियमित रूप से इन कार्यक्रमों को सुनते हैं।

सबसे बड़ा दोष वर्तमान पाठशाला सम्बन्धी रेडियो कार्यक्रम में यही है कि यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम उन अनुभवहीन तथा अल्प वेतन भोगी सहकारियों के हाथों में है जो न तो स्वयं अध्यापक हैं और न शिक्षण विधि में निपुण हैं। फल यह होता है कि इस कार्यक्रम के लिये नियत आधा घंटे में से १०-१५ मिनट तो गीत सम्बन्धी कार्यक्रम में व्यर्थ नष्ट हो जाते हैं और शेष समय बिना विचारों चुने हुये सामान्य विषयों पर व्यतीत हो जाता है।

परन्तु इन सब बातों के होते हुए भी अखिल भारतीय रेडियो द्वारा दृष्टान्त तथा मान का अधिकारी है कि जो कुछ भी हमने इस दिशा में किया है वह स्वयं ही बगैर किसी शिक्षा संस्था, शासन या प्रजा की सहायता के किया है।

बड़ी-बड़ी शिक्षा सम्बन्धी योजनाएँ भारत की बाल संतति के लिये तैयार हो रही हैं और नई-नई पाठशालाएँ तथा महाविद्यालय खोले जा रहे हैं। पाठ्यक्रमों पर भी पुनः विचार हो रहा है। इसलिये शिक्षा में

रेडियो कार्य-नामों को भी एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होना चाहिये क्योंकि यह शिक्षक तथा शिक्षितों के मध्य में जो पास्परिक व्यक्तित्व का व्यवहार होता है उसे कम न करते हुये उसमें एक प्रकार की मानसिक उत्तेजना उत्पन्न करता है जो कि पाठशालाओं के साधारण साधनों से उत्पन्न होनी कठिन है।

ग्राम विद्यालयों की ओर विशेष ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है क्योंकि इन पाठशालाओं की सामान्य सामग्री तथा इनके शिक्षक-वर्ग की योग्यताएँ नगरिक पाठशालाओं से अल्प होती हैं। अतएव ग्राम्य पाठशालाओं के लिये विशेष पाठ तथा व्याख्यान-मालाओं की योजना होनी आवश्यक है। यह नया अनुभव ग्रामीण बालक के लिये विशेष रूप में जागृति का साधन होगा और उसे अपने वर्तमान हीन भाव से भी छुटकारा मिलेगा।

प्रथम समस्या तो प्रबन्ध सम्बन्धी है। समस्त देश में रेडियो केन्द्रों की संख्या में द्रवनी वृद्धि होगी कि प्रत्येक छोटे-छोटे राज्य में भी कम से कम एक सावनावाणी केन्द्र तो होगा ही।

यदि पाठशाला कार्यक्रम का प्रबन्ध स्थानीय शिक्षा विभागों को सौंप दिया जाय और उन्हें प्रतिदिन ४५ मिनट का समय दिया जाय तो मेरे विचार से परिस्थिति में समुचित रूप से सुधार हो सकता है।

प्रत्येक केन्द्र के लिए केन्द्रीय विभाग कार्यक्रम प्रसारणार्थ एक प्रफ-मर उचित स्टाफ महिन नियत कर सकता है। अपने व्यवसाय सम्बन्धी अनुभव के आधार पर उम्मीद यह कार्य होगी कि वह कार्य-क्रम बनाये जो कि एक मिनटि द्वारा स्वीकृत होकर द्रव्य होमे—  
(१) शिक्षाप्रण (२) अ. भा. रे. के केन्द्राध्यक्ष (३) तीन अनुभवी प्रधान अध्यापक (४) तीन अनुभवी अध्यापक (५) समाचार देने वाला कर्मचारी जो कि अपनी पद स्थिति के अनुसार सेक्रेटरी भी हो सकता है। अध्यापकों तथा प्रधान अध्यापकों का चुनाव इस प्रकार करना

होगा कि जिससे सम्पूर्ण विषयो के जानकार व्यक्तियों का समावेश उनमें हो सके। अपूर्वी योजना को मुखारूप से चलाने के लिये यह भाव-श्यक है कि कर्मचारी एक अनुभववी तथा उच्च-शिक्षा प्राप्त व्यक्ति हो।

वक्ताओं का पारिश्रमिक उचित होना चाहिए जिससे कि योग्य तथा अनुभववी व्यक्ति आगे आ सकें। ट्रान्मिशन (Transmission) के वर्ष तथा सेट्स (sets) के क्रम को पूरा करने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी से एक पैसा प्रति मास चन्दे के रूप में लिया जा सकता है। यदि इस क्रम के अनुसार चला जाय तो मुझे विश्वास है कि प्रत्येक पाठशाला के पास, बिना जनता पर चन्दे का बोझ डाले, एक अच्छा रेडियो सेट हो सकता है।

इस प्रश्न का शिक्षा सम्बन्धी पक्ष लेते समय यह ध्यान देना आवश्यक है कि समाचार सामान्य पाठ्य-पुस्तक क्रम के अनुसार हो और उममे मनोरंजक विषयो का भी समावेश हो। अध्यापक को चाहिए कि वह इनका एकीकरण करे। इसके हम दो बड़े विभाग कर सकते हैं। एक जूनियर विभाग जो ६ में १२ वर्ष तक के बच्चो के लिये हो और दूसरा सीनियर जो १२ में १५ वर्ष तक के बच्चो के योग्य हो।

एक मन्त्रिय परिषद द्वारा निकालना हममे भी अधिक उपयोगी बात होगी। जिसमे विषय तथा कार्यक्रम का अनुमरण करने के लिये टिप्पणी रहे। पत्रिका में कुछ अन्य उपयोगी सामग्री भी होगी जैसा कि ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन द्वारा निकाली जाती है। इन पत्रिकाओ के लिये यह तो निरानुभव आवश्यक है कि वे मावधानी पूर्वक मपादित की जायें और आवश्यकता दूरी दूरी जायें तथा मुफ्त ही बाँटी जायें।

यह भी आवश्यक है कि ये कार्यक्रम उन अध्यापको के निरीक्षण में मुनाये जायें जिनका कार्य बच्चो को रेडियो श्रवण-कला में शिक्षित करना होगा। इस कार्यक्रम के लिये एकाग्रता चाहिये। इसमें तनिक भी विघ्न न होना चाहिये क्योंकि यह व्यक्तिगत बातचीत में

भिन्न होना है। इसमें न तो बान दोहराई जाती है और न ऊँचा बोला जाता है यदि एक बार तारतम्य टूट जाय तो कार्यक्रम का मारा प्रभाव बिगड़ जाता है।

ध्वनि करने के पश्चात् विद्यार्थी को भाषण के आवश्यक शर्तों को दोहराने के लिये उत्साहित करना चाहिये ऐसा करने से वे ध्यान से ध्वनि करना सीख लेंगे। उच्च-स्तर के पाठशाला कार्यक्रम के लिये यह ध्वनित आवश्यक है। इस कार्य को सफल बनाने के लिये प्रतिन भारतीय रेडियो इंजीनियरिंग विभाग की सहायता की आवश्यकता रहती है।



## शान्ति स्थापना के लिये शिक्षा का रूप

उन्नति व शान्ति प्रत्येक मनुष्य के जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वायं-परता तथा अन्ध संकीर्ण इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो मनुष्य उन महान् भावनों का दमन करते हैं वे मनुष्यता के भयंकर शत्रु हैं। उन्नति शान्ति पर अवलम्बित है तथा शान्ति उत्तम प्रकार की उन्नति पर। अतः सच्ची शिक्षा यही है जिसके प्राप्त करने से प्रत्येक मनुष्य अपने पुष्कल व्यक्तिश्व को समझने के साथ-साथ यह भी समझ सके कि वह उदा विद्याल मनुष्य-समुदाय का एक अंग है जो प्रतिभाग्य अपने लक्ष्य की ओर प्रगतिशील है इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये वह यह भूल जाये कि सत्कार से उसे कुछ लेना है, उसे तो यही स्मरण रहे कि उसे संतार की कुछ देना है।

अतः शान्ति-संस्थापन तथा समुर्ध्व कुटुम्बकार जैसे भावनों की प्राप्ति के लिये समान-विद्या अत्यन्त आवश्यक है। मेरे विचार से निम्न-लिखित कुछ विषय पाठ्यशास्त्रों की में अनुसूचना बनाये रखने में समर्थ होंगे :—

अन्तर्राष्ट्रीय भाषा—इसकी हमारे व्यक्तिगत, व्यापारिक व राज-नैतिक क्षेत्र में आवश्यकता। आज ऐसी कोई भाषा नहीं है इसलिये बहुत सी अशुभियाएँ हमारे सम्मुख हैं हम परस्पर एक दूसरे के विचार व भावनाओं को नहीं समझ सकते, क्योंकि हम एक दूसरे से बातचीत करने में असमर्थ हैं। एक विदेशी-भाषी को अपने भाषण में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय भाषा सीखने व समझने से अत्यन्त सरल होनी चाहिए।

शान्ति स्थापना के लिए शिक्षा का रूप

अनेक कमियों के होते हुए भी, बेमिड-इंलिंग, जिसकी बरहामाला में केवल २५० वर्ग हैं—मेरे विचार। मे अंतर्राष्ट्रीय भाषा के पद के लिये अत्यन्त उपयुक्त है। मेरी इच्छा है कि प्रत्येक मेकेंडरी स्कूल में यह दूसरी भाषा के रूप में प्रत्येक बच्चे को पढ़ाई जाय।

इस पद के लिये एतद्विधों की योग्यता का विद्वान्ग मुझे अभी तक नहीं हुआ। शिनु यहाँ किमो की मानु-भाषा की निदा करना मेरा ध्येय नहीं है।

(२) भूगोल—मेरे विचार में भूगोल अधिक योग्य व मार्मिक विषय है किन्तु मेरा आग्रह उम भूगोल में नहीं जो आजकल हमारी पाठ-गानाओं में पढ़ाया जाता है। किसी-किसी देश में भूगोल आत्म-वृष्टि व अपने मिडार्तों के प्रचार के लिए पढ़ाया जाता है। वहीं-वहीं बावनों के हृदयों में जानीय भावनाओं को उत्तेजित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।

हमें एक नवीन भूगोल की आवश्यकता है जो हमें यह सिखाये कि अंतर्राष्ट्रीय उपनि के लिए हम अन्वोन्वाश्रित हैं। जो हमें यह सिखाये कि मनुष्य के व्यक्तित्व पर वातावरण का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है तथा त्रिमके द्वारा हम उपनि के पय पर बन्दने के लिए परस्पर गहरीय व गहायता की भावनाओं को जाग्रत कर सकें।

शुंभेन में, हमें मनुष्यता पर अधिक ध्यान देना चाहिये। पाठगाना की प्रत्येक ब्रजा में मानवीय भूगोल की आवश्यकता है। मेरे विचार में उत्तम रीति में सिखाने पर यह विषय दया, प्रेम व गहयोग की भाव-नाओं को उत्पन्न करने में समर्थ होगा। यही भावनाएँ नगर में समाज-संस्था के लिये आवश्यक हैं।

इतिहास—कोई कोई मनुष्य इतिहास को कुछ घाति का मूढ बरान्तु टट्टाते हैं। यह ठीक ही है। हम सब ही यह जानते हैं कि यह

मान इतिहास मिथ्या है। हमारी इतिहास की पुस्तकें हमारे पूर्वजों को देवताओं के रूप में तथा दूसरों के पूर्वजों को राक्षसों के रूप में हमारे नन्मुख प्रस्तुत करती हैं। प्रचलित इतिहास की पुस्तकें पुनः लिखी जानी चाहिये। इन मारी कटुवाच्यों को दूर करने के लिये लेखक को विशाल हृदय व दयावान होना चाहिये। मेरे विचार में इतिहास की गफलता इसी में है कि वह वर्तमान में हमें भूतकाल की गलतियों में बचाये।

प्रत्येक बालक को प्रत्येक देश के इतिहास का ज्ञान होना आवश्यक है। यह इतिहास अत्यन्त ही सरल भाषा में लिखा जाना चाहिये तथा ईर्ष्या, द्वेष आदि की भावनाओं में रक्षित होना चाहिये। यह सत्य है कि हम नवीन इतिहास में बहुत कुछ नया विषय जोड़ना पड़ेगा तथा वर्तमान इतिहास में से बहुत कुछ छोड़ना भी पड़ेगा। इतिहास का ध्येय बालकों को भली-भाँति रहने व दूसरों को भली प्रकार रहने देने की शिक्षा देना ही है।

**साधारण-विज्ञान**—प्राकृतिक व साधारण विज्ञान भी हमारी शिक्षा के आवश्यक अंग हैं। किन्तु अधिक ध्यान उन्ही बातों की घोर देना चाहिये जिन्होंने हमारे जीवन का निर्वाह व सरल बनाने में सहायता दी है। युद्ध के घातक शास्त्र हमारे ध्यान देने योग्य नहीं हैं।

अपने व विदेशी वैज्ञानिकों का हमें समान रूप से आदर करना चाहिये, जिन्होंने हमें रेडियो, रेल वायुयान दिये हैं। मनुष्य की उत्पत्ति की घोर ही हमें अपनी स्वप्न की केन्द्रित करना चाहिये।

**नागरिक शास्त्र**—नागरिकता की शिक्षा अत्यन्त लाभप्रद है। अतः प्राधुनिक शिक्षा में नागरिक-शिक्षा शास्त्र अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है।

**धार्मिक शिक्षा**—धर्म व धार्मिक शिक्षा का, वर्तमान रूप में कुछ-विषयों की नग्नता लिये हमारी नवीन शिक्षा-प्रणाली में कोई स्थान नहीं

होना चाहिये । मेरे विचार में इसमें नैतिक-शिक्षा व चरित्र-निर्माण-शिक्षा का पुट होना आवश्यक है । प्रत्येक धर्मों की अच्छाइयों का संग्रह त्रिम पुस्तक में ही बड़ा भूमिका व प्रेरणा के लिये प्रवर्ण्य हो मान्यता प्राप्त हो सकती है ।

प्रत्येक धर्म की शिक्षा समान है, उसमें कोई भेद नहीं । ऐसी धर्म पुस्तकों को पढ़ने पर सारे जातीय व धार्मिक भेद दूर हो सकते हैं । मेरे विचार में चरित्र-निर्माण ही वास्तविक धर्म है, अन्य प्रत्येक धर्म का धर्म लक्ष्य चरित्र-निर्माण ही होना चाहिए ।

## शिक्षा क्षेत्र में खोज व अनुसन्धान और शिक्षक

प्रगति सम्पत्ता व संस्कृति का अनिवार्य अंग है । स्थिरता व जड़ता इसके विरोधी पक्ष हैं । अतः अकर्मण्य जीव सम्पत्ता के घोर शत्रु हैं, जो स्वयं भी अपने संकीर्ण क्षेत्र में बाहर नहीं निकलते और दूसरों को भी ऐसा करने से रोकते हैं । इन सब बाधाओं के होते हुए भी उन्नति आवश्यक है । यही शिक्षा के विषय में भी सत्य है, क्योंकि शिक्षा समाज की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण वस्तु है । इसके प्रभाव से कोई व्यक्ति अछूता नहीं । बालकों की शिक्षा आवश्यक है, तथा यह भार शिक्षकों को ही सम्हालना है, अतः शिक्षा क्षेत्र में नवीन खोज और अनुसन्धान आवश्यक है ।

प्रायः हमारे शिक्षकों का विचार है कि खोज और अनुसन्धान में लगना उनके क्षेत्र से बाहर की वस्तु है । उनके विचार में कोर्स समाप्त करने के ही उन्हें पैसे मिलते हैं, और यही उनका लक्ष्य है । प्रायः परीक्षा के परिणाम से शिक्षक की सफलता अथवा असफलता का अनुमान लगाया जाता है । एक बार मैंने एक प्रसिद्ध प्रबन्धन अध्यापक से इस विषय में परामर्श करने का प्रयत्न किया, तो उन्होंने मुझे यह कह कर चुप कर दिया कि खोज के क्षेत्र में जाने का कार्य उच्च पदाधिकारियों व आप जैसे विद्वद्विद्वालयों के प्रोफेसरों का है । एक साधारण अध्यापक के पास न तो इसके लिए समय ही है, और न ही पैसा । उनकी इस बात से मैं भी सहमत हूँ कि कॉलेजों के प्रोफेसरों के पास अनुसन्धान के लिए समय व साधन सुगम नहीं हैं, किन्तु मैं यह नहीं मान सकता कि विद्यालयों के अध्यापक इस क्षेत्र में नहीं आ सकते । मेरा विचार है कि विद्यालयों

में गीया सम्बन्ध रखने के कारण शिक्षक इस विषय में धार्मिक संकट हो सकते हैं। शिक्षकों की सहायता व परामर्श के बिना कोई भी शोध सफल नहीं हो सकती। बाल मनोवैज्ञानिक को बनने प्रत्येक नवीन धर्मग्रन्थ व अनुसन्धान में शिक्षक की आवश्यकता है, क्योंकि यह बालकों को पूर्ण रूप से जानता है। मनोवैज्ञानिक की विचारधारा को आचार-धारा में परिणत कर शिक्षक उसे सफलता की कमीठी पर बनता है। प्रत्येक नवीन धर्मग्रन्थ और अनुसन्धान का अन्तर्भाव ही उसकी सफलता है। शिक्षा-क्षेत्र में अनेक जटिल समस्याओं को सुलझाना शिक्षक का कर्तव्य है, और वह ही इसे नतीजा सम्पन्न कर सकता है; क्योंकि वह जानता है कि समस्या का उद्गम क्या है।

पढ़ाते समय शिक्षक अनेक साधनों का प्रयोग करता है। इन साधनों की सफलता व उपयोगिता का अनुमान बालकों के उत्तर व शुभमुद्रा से हो सकता है। एक प्रयोग में विफलता होने पर, वह अन्य प्रयोगों का प्रयोग करता है। इस प्रकार वह अनुभव ही शोध में लगा रहता है। प्रोफेसर धोलीवर के मतानुसार यह कार्य भी शोध है, जिन पर प्रत्येक पुस्तिकीय कार्य ध्यानस्मिन् है।

धर्म के विषय स्पष्ट है। शिक्षा-क्षेत्र में शोध-समृद्धि व सम्यता की उत्पत्ति के लिए आवश्यक है। धर्म विदेशों की भांति भारत में भी प्रत्येक अध्यापक को शोध में लगे रहना चाहिए। उन्हें प्रोत्साहन व सहयोग की आवश्यकता है। बिना किसी पुरस्कार अथवा प्रेरणा के अध्यापकों को इस धोरण में लगे रहना कठिन है। आर्थिक सहायता व इस विषय में उपयोगी प्रकाशनों के लिए समुचित प्रबन्ध होना चाहिए। इंग्लैंड की "एडुकेशन रिजर्च" संस्था के समान हमारे यहां भी संस्थाएँ होनी चाहियें। राष्ट्र की उन्नति के लिये शिक्षा आवश्यक है, और उत्तम शिक्षा धर्मस्था के लिए शिक्षा में नवीन शोध और अनुसन्धान।

प्रत्येक साधारण शिक्षक के प्रतिदिन के कार्यों में अनेक उत्पन्न हो जाती हैं। उनके कारणों को समझना, तथा उन्हें सुल

प्रयत्न करना ही प्रत्येक अध्यापक का कर्तव्य है सम्भव है अध्यापक अपने को समान समस्याओं में जकड़ा पाये, किन्तु प्रत्येक साधनों और विचारों द्वारा ही उसका हल सोचना चाहिये। परिणाम उत्तम होगा। कठिनाई के समय सार्जेंट रिपोर्ट, रिपोर्ट या अन्य किसी उपयोगी रिपोर्ट से सहायता ले लेनी प्रोफेसर मोलीवर की पुस्तक 'रिसर्च इन एजुकेशन' इस कार्य में सफल सिद्ध हो सकती है।

शिक्षा को हम निम्नलिखित पाँच भागों में विभाजित कर

है :—

१. शिक्षा किसे देनी चाहिये..... (बाल-मनोविज्ञान)
२. शिक्षा की आवश्यकता..... (शिक्षा के उद्देश्य व दर्शन)
३. शिक्षा का विषय..... (पाठ्यक्रम विषयक समस्याएँ)
४. शिक्षा किम प्रकार देनी चाहिए..... (शिक्षा के साधन)
५. शिक्षा कहाँ देनी चाहिये..... (शिक्षालय व उनके साधन)

उपर्युक्त विषयों से सम्बन्धित अनेक समस्याएँ हैं, जिनको मुलताने का प्रयत्न भली भाँति करना प्रत्येक शिक्षक का कर्तव्य है। असन्तोष ही प्रगति का चिन्ह है।

अन्य में 'कण्टेण्ट ग्राफ एजुकेशन' के एक उद्धरण की ओर से शिक्षकों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।—

शिक्षा के साधन, शिक्षालय आदि प्रत्येक क्षेत्र में नवीन अन्वेषण और अनुसन्धानों की आवश्यकता है। इनके मुख्य दो कारण हैं। अनेक वाद-विवाद हो रहे हैं। किन्तु अभी तक विचारपूर्ण षोज पर भवसम्बन्धित किसी उत्तम सिद्धान्त का अभाव है। अतः शिक्षा-क्षेत्र में न कभी को पूरा करना आवश्यक है।

